38वीं वार्षिक रिपोर्ट
2 0 0 6 - 0 7

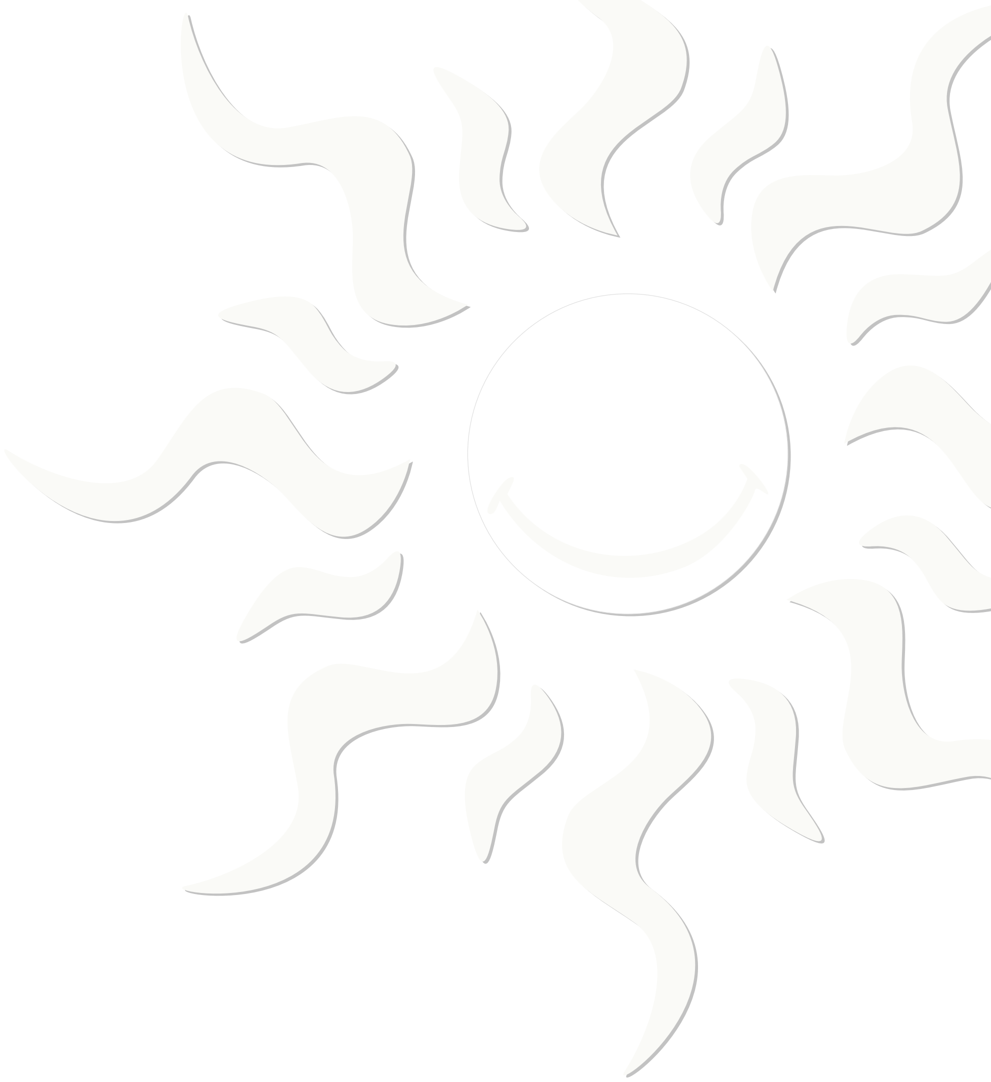

ऊर्जा से समृद्धि

आरईसी

असीमित ऊर्जा, अपरिमित संभावनाएं

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

डिस्क्लेमर

''कंपनी ने बाजार की शर्तों और अन्य कारणों के अध्याधीन अपने इक्विटी शेयर का सार्वजनिक इश्यू प्रस्तावित किया है और रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा तैयार कर सेबी के पास फाईल कर दिया है। रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा सेबी की वेबसाईट www.sebi.gov.in और संबंधित बीआरएलएम की वेबसाईटों www.investmart.in, www.icicisecurities.com और www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखे कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस के मसौदे में ''रिस्क फैक्टर'' शीर्षक भाग पढ़ लें।''

यह दस्तावेज भारत में प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राज्य में जारी न किया जाए। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य में बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारी कर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है और संयुक्त राज्य में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी अधिनियम, 1940 यथा संशोधित के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए प्रतिभूतियां तथा इस घोषणा में वर्णित कोई भी प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकृत न होने की स्थिति में अथवा पंजीकरण से छूट की स्थिति में ऑफर न की जाएं अथवा बेची न जाएं।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 1998 को जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की दुरूस्त वित्तीय मौजूदा स्थिति के बारे में कंपनी द्वारा अभिव्यक्त विचारों अथवा किए गए आवेदनों अथवा किसी प्रकार के विवरणों की यथातथ्यता के लिए और कंपनी द्वारा निक्षेपों के भुगतान और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेवारी अथवा गारंटी नहीं लेगा।

''इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जारी नहीं किया जाएगा। यह आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है।''

ºÉàÉÉ r BÉÉÉ |ÉBÉÉÉ¶É
càÉ ºÉ¤É BÉÉ VÉÉ´ÉxÉ àÉ cÉ +É{ÉÉ®

ºÉ®VÉ, >óVÉÉ BÉÉÉ +ÉFÉªÉ ºjÉÉiÉ
+É{ÉxÉÉ |É®BÉE ®É¶àÉªÉÉ ºÉ
càÉÉ® ºÉ{ÉxÉÉ BÉÉÉ ºÉÉBÉÉÉ® BÉE®

càÉ ºÉ¤É BÉÉÉ ºÉÉSÉiÉ >óVÉÉ
+ÉÉ® càÉ ºÉ¤É BÉE ºÉÉZÉÉ ºÉ{ÉxÉ
ÉnJÉÉA càÉ MÉÉ®´ÉàÉªÉ +ÉÉãÉÉBÉE {ÉlÉ

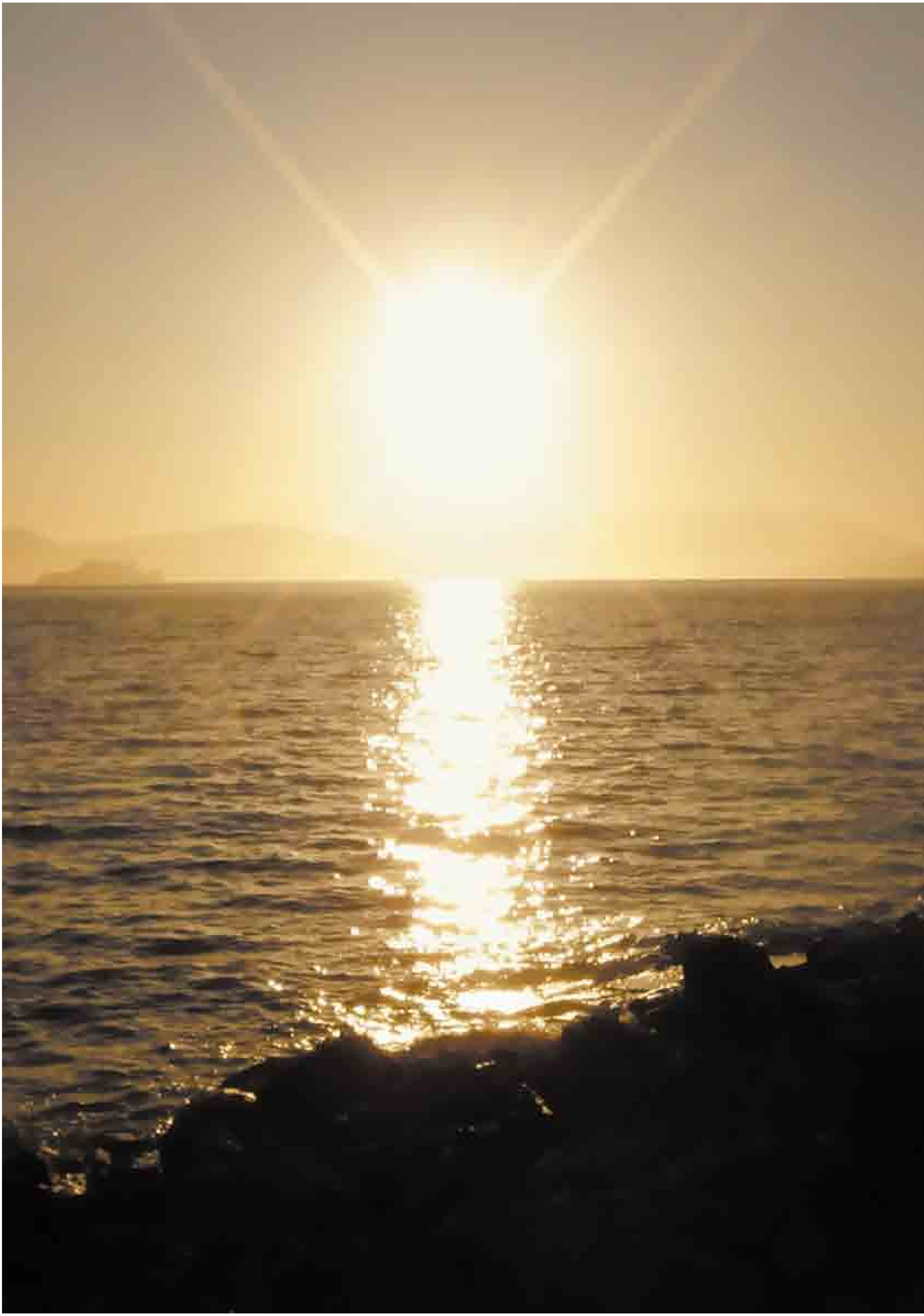

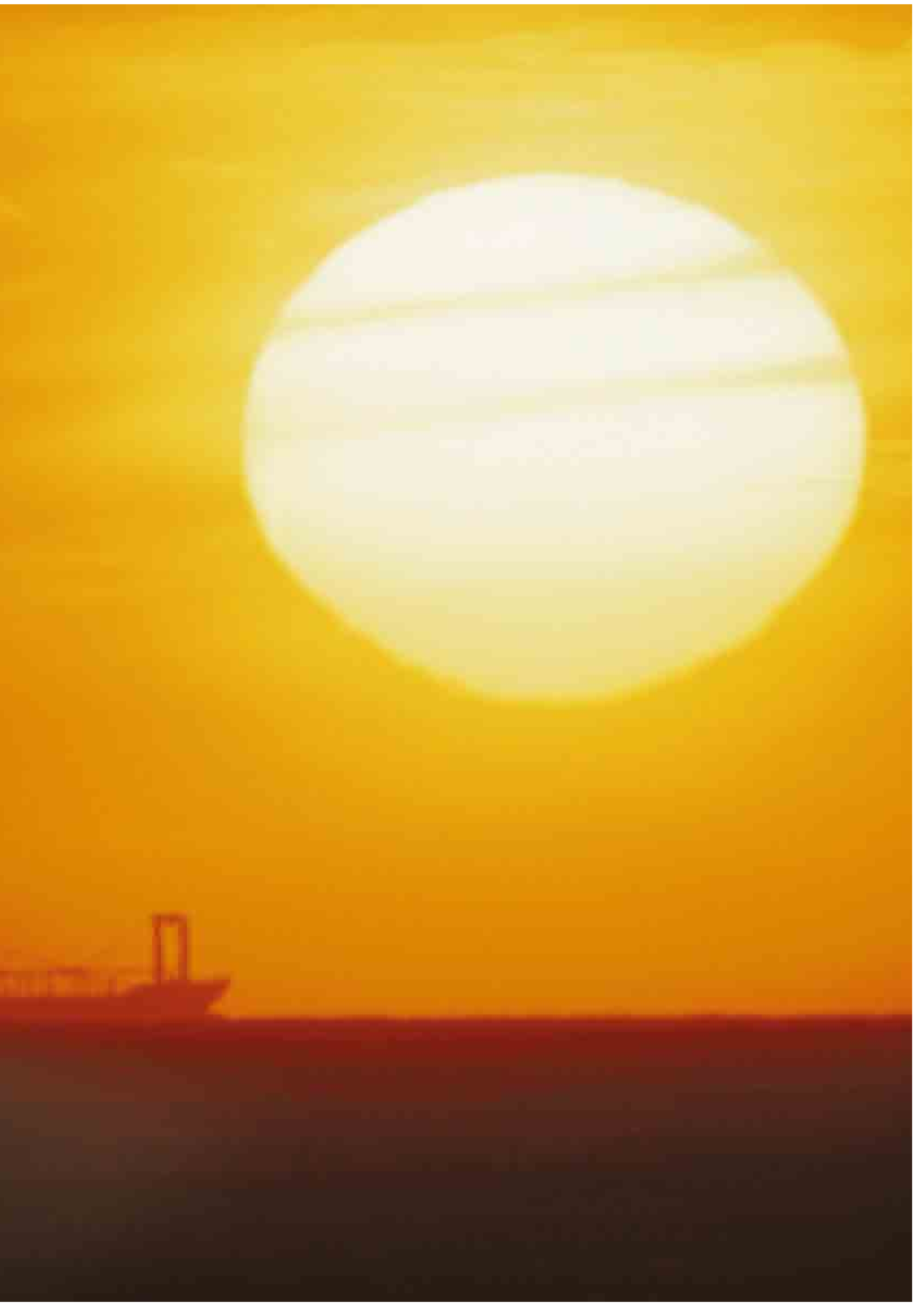

विषय सूची

कंपनी के बारे में सूचना	04
निदेशक मंडल	05
अध्यक्ष का भाषण	06
मिशन एवं उद्देश्य	12
कार्य निष्पादन की मुख्य बातें	14
नोटिस	16
निदेशकों की रिपोर्ट	18
निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	54
निगमित सुशासन पर प्रमाण-पत्र	58
खातों का विवरण	60
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	88
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक	90
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	92
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष	94
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी एवं इन पर आरईसी के प्रबंधन का उत्तर	95
आरईसी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	96
प्रबंधन दल	98
आरईसी कार्यालयों के पते	102

कंपनी के बारे में

सूचना

कारपोरेट कार्यालय

श्री ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरुण कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. डौली चक्रबर्ती
कार्यकारी निदेशक
(का.प्ला./का.वि./आं.ले.प./
आईसी एंड डी)

श्री के. विद्यासागर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री रमा रमन
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री एस.के. अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री वी.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री बी. आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक (विधि)
एवं कंपनी सचिव

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री पी.जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(का.वि./प्रशा./आई.टी.)

श्री विजय लखनपाल,
महाप्रबंधक
(आर्थिक विश्लेषक)

श्री जोगेन्दर सिंह,
महाप्रबंधक
(गुणवत्ता नियंत्रण)

श्री सुबोध गर्ग,
महाप्रबंधक
(डीडीजी)

श्री डी.एस. आहलूवालिया,
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल,
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री अशोक अवस्थी,
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी/सी.पी./का.वि.)

श्री संजीव गर्ग,
महाप्रबंधक
(जनरेशन)

आंचलिक कार्यालय

मध्य अंचल, जबलपुर
श्री टी.एस.सी. बोस,
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, लखनऊ
श्री सुनील कुमार,
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री घोष, दस्तीदार,
आंचलिक प्रबंधक

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री जे. कल्याण चक्रवर्ती,
आंचलिक प्रबंधक

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री राकेश अरोड़ा,
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैंक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिंडिकेट बैंक

निदेशक मंडल

श्री ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

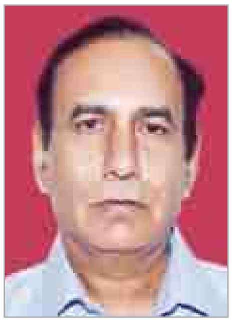

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री राजेश वर्मा
निदेशक

श्री देवेन्द्र सिंह
निदेशक

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय सदस्यो,

एक संगठन या व्यक्ति की हैसियत से हम कितने ही बड़े बन जाएं और कितने ही इलाके में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा लें, मेरा ख्याल है कि एक टीम के रूप में हमें एक जैसी सामूहिक दूरदृष्टि रखनी जरूरी है। ऐसी दूरदृष्टि जो, हम कहीं भी हों, और कुछ भी करें, हम सबको इकट्ठी रखे। आरईसी में यही दूरदृष्टि है जो हम सबको प्रेरित करती है। ऐसी दूरदृष्टि जिसके कारण हम औरों से अलग ही नहीं दिखते, बल्कि जो खुद अलग तरह की है।

आपके निगम ने एक बार फिर बढ़िया काम काज दिखाया है जो एक रिकार्ड है। उसने न केवल सभी लक्ष्य पूरे किए हैं बल्कि अनेक मामलों में विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित सभी लक्ष्यों से ज्यादा काम किया है। हमारे निष्पादन और भारत सरकार के साथ वार्षिक आधार पर किये गए समझौता ज्ञापन के अधीन निर्धारित हमारी निरंतर उपलब्धियों और लक्ष्यों को दी गई मान्यता के लिए हमें वित्त वर्ष 1994 से 2006 तक लगातार सर्वोत्कृष्ट निष्पादन का समझौता ज्ञापन पुरस्कार दिया जाता रहा है। इसके अलावा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें वित्त वर्ष 1999-2000, 2001-2002, 2004-2005 के लिए 10 शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल किया है

आपके निदेशकों को 2006-07 के लिए रुपए 177 करोड़ लाभांश देने की सिफारिश करने पर बहुत खुशी है।

मैक्रोइकोनॉमिक योजना

अगले दो दशक विद्युत क्षेत्र के लिए संवितरणों में लगे हुए वित्तीय संस्थानों के लिए जबरदस्त गतिविधियों वाले वर्ष होंगे। हाल ही में योजना आयोग द्वारा तैयार की गई समन्वित ऊर्जा नीति में ऊर्जा जरूरतों का विवरण दिया गया है, भावी कार्यनीतियों की रूपरेखा बताई गई है और अगले 20 वर्षो या इससे ज्यादा तक के लिए वृद्धिदर बरकरार रखने हेतु जरूरी निधियों का अनुमान लगाया गया

सारा दारोमदार विविधीकरण पर है। इसी तरह, अधिक लाभकारी कारोबार के लिए सहायक कंपनियों का सृजन किया जाना है। इस सामरिक दूरदृष्टि में वित्तपोषण के प्रति व्यापक व्यावहारिक रवैया अपनाना और समसामयिक कारपोरेट सुशासन के व्यवहारों से काम लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

है। बिजली का उत्पादन मौजूदा 1,60,000 मेगावाट के स्तर से बढ़ाकर 8,00,000 मेगावाट करना है।

ग्यारहवीं योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें अगले 5 वर्षों के दौरान व्यापार विकास की दिशा और संभावनाओं की मोटी रूप रेखा बताई गई है। 11वीं योजना में ही पारेषण और वितरण क्षेत्रों में 70,000 मेगावाट बिजली क्षमता जोड़ने के लिए रुपए 10,00,000 करोड़ परिव्यय की जरूरत होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप आरईसी निधियों की जरूरत को पूरी करने और अपनी भूमिका को नई दिशा देने के लिए रणनीति बना रहा है ताकि वह भारत के बिजली क्षेत्र में निवेश की बढ़ी जरूरतों से लाभ उठा सके।

यह बात सच नहीं है कि ग्राम विद्युतीकरण मात्र गांवों को विद्युतीकृत कर देना है। आरईसी इससे भी काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हो गया है जो तीन क्षेत्रों विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण को प्रौद्योगिक और वित्तीय सहायता देता है। हमारा मानना है कि बिना हमारे पूरी तरह शामिल हुए इन तीनों क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के प्रयोजन सिद्ध नहीं होगें। अपनी स्थापना के समय से ही आप के निगम ने 40,000 पारेषण और वितरण स्कीमों को वित्तीय सहायता दी है और इस सहायता से देश के लगभग सभी जिले और कस्बे लाभान्वित हुए हैं। इनमें से ज्यादातर स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं, बंद कर दी गई हैं अथवा बड़ी स्कीमों में मिला दी गई हैं। ग्राम विद्युतीकरण इस पूरी अवधि के दौरान एक फायदेमंद और तसल्लीबख्श तजुर्बा रहा है और हमारे आंकड़े इसके गवाह हैं। यहां तक कि हमारी वसूली भी लगातार बहुत बढ़िया हालत में रही है और वसूल न हो पाने वाले ऋण (एनपीए) बहुत कम हैं।

आपके निदेशकों ने आरईसी को सामरिक विकास पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया है। सारा दारोमदार विविधीकरण पर है। इसी तरह, अधिक लाभकारी कारोबार के लिए सहायक कंपनियों का सृजन किया जाना है। इस सामरिक दूरदृष्टि में वित्तपोषण के प्रति व्यापक व्यावहारिक रवैया अपनाना और समसामयिक कारपोरेट सुशासन के व्यवहारों से काम लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दो वर्षों में यह रणनीति अधिक विविधीकृत और संतुलित पोर्टफोलियो के रूप में स्पष्ट हुई है और आरईसी की नई सहायक कंपनियां पूरे उत्साह से काम शुरू करने को तत्पर हैं।

विविधीकरण

विद्युत उत्पादन

हमने अब विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी अपनी क्षमता दिखा दी है। हम कम से कम 7 परियोजनाओं में ऋण सिंडीकेटिंग के लिए अग्रणी वित्तीय संस्था हैं। इन परियोजनाओं के जरिए 4285 मेगावाट पनबिजली और ताप बिजली पैदा की जा सकेगी। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण क्षेत्र में हम अपेक्षाकृत नए ऋणदाता हैं। इससे यह भरोसा और भी पक्का होता है कि हम इस तरह के कारोबार में और खास तौर से बिजली उत्पादन के बढ़ रहे क्षेत्र में अपना हिस्सा बढ़ाते रहेंगे।

सहायक कंपनियों की स्थापना

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी

वित्त वर्ष 2007 में, भारत सरकार ने एक ऐसी स्कीम शुरू की जो प्रमुख पारेषण परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने से संबंधित है। इस स्कीम के तहत अंततः निजी क्षेत्र के **उद्यमी बनाओ, स्वामी बनो और संचालित करो,**

आधार पर पारेषण क्षेत्र में सेवा प्रदाता बन सकेंगे। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

पहचान की गई इस तरह की दो परियोजनाओं के लिए हमें नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इन परियोजनाओं के नाम है - उत्तर करनपुरा पारेषण परियोजना और तालचेर आगमेंटेशन सिस्टम ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। इसके परिणामस्वरूप आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी की स्थापना की गई है और उसने काम शुरू कर दिया है।

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

हमने आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की भी स्थापना की है। यह एक सहायक कंपनी है जिसका उद्देश्य है वितरण तंत्र के बारे में संचालन और परामर्श सेवाएं देना। इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में हमारी विशेषज्ञता की मांग से लाभ उठाना। इस सहायक कंपनी को शुरू करके हम सही अर्थों में लाभ उठा रहे हैं।

ग्राम विद्युतीकरण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

आरजीजीवीवाई की शुरूआत भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में सभी गांवों और ग्रामीण आवासों को बिजली देने के लिए की थी। आपके निगम ने लक्षित गांवों में ग्राम विद्युतीकरण की मूल सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में उपलब्धियों की सार्वजनिक रूप से सराहना की है। आरईसी इन सभी गांवों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम जारी रखने के लिए कमर कस चुका है।

वित्तपोषण के लिए व्यापक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण

आपके निदेशकों ने कई नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें आरईसी के विवेकपूर्ण मापदंड और जोखिम प्रबंधन नीतियां शामिल हैं। इनके अंतर्गत निवेश नीति, परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन नीति, डेरायवेटिव पॉलिसी और सुदृढ़ दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और इसे औपचारिक बनाने की आरईसी की समीक्षा नीति शामिल है। इन सभी उपायों को उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणालियों में शामिल किया जा रहा है। इन्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए लागू किया जा रहा है और इनसे हमें दूर-दृष्टि वाले व्यवस्था-परक और अंतर्निहित नियंत्रण व्यवस्था वाले समसामयिक संगठन बनने में सहायता मिलेगी।

आपके निगम ने लक्षित गांवों में ग्राम विद्युतीकरण की मूल सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में उपलब्धियों की सार्वजनिक रूप से सराहना की है

निधियां जुटाना

आपके निगम ने वर्ष 2006-07 के दौरान बाजार से निधियां जुटाईं। इनमें वाणिज्यिक बैंकों से सिंडीकेटेड ऋण, आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अंतर्गत कम लागत वाले कैपिटल गेंस टैक्स इग्जेम्पशन बांड और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बांड शामिल हैं। आरईसी ने पहली बार एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग के जरिए स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, लंदन और डीईपी एफ ए इंवेस्टमैंट बैंक लिमिटेड, साईप्रस से जुटाए। वर्ष 2006-07 के दौरान हमारे कुल उधार की वास्तविक लागत जो हमारे प्रतियोगी संस्थानों द्वारा जुटाए गए संसाधनों की लागत से कम है।

आपके निगम को क्राइसिल, केयर और फिच जैसी प्रतिष्ठापूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने दीर्घ अवधि ऋणों पर सर्वोच्च घरेलू क्रेडिट रेटिंग दी है, जो शुरू से अब तक बरकरार है। इसके अलावा मूडीज और फिच ने आरईसी को लम्बी अवधि के विदेशी ऋणों के मामले में भारत के सावरेन रेटिंग के बराबर रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आपके निगम ने दूसरे साल भी अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत बनाया है। जेबीआईसी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय एजेंसियां पारेषण और वितरण क्षेत्र की ग्राम विद्युतीकरण गतिविधियों के लिए ऋण देने हेतु आगे आईं हैं।

मानव संसाधन

वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इसके लिए एक तिहरी रणनीति अपनाई गईः यह है अग्रणी संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, विदेशों में अनुभव दिलाकर वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रोत्साहित करना और आंतरिक प्रशिक्षण आधारिक संरचना का सृजन। आरईसी ने 307 कर्मचारियों को 641 प्रशिक्षण श्रम दिवसों के बराबर प्रशिक्षण दिलवाया है और 19 कर्मचारियों को 107 श्रम दिवसों के बराबर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया है। केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद को नए प्रशिक्षक नियुक्त करके मजबूत बनाया गया है।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करके आरईसी अपनी मौजूदा और आगामी गतिविधियों में और ज्यादा व्यावसायिकता लाने के लिए बराबर कृत-संकल्प है। पिछले दो वर्षों में व्यावसायिक कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 107 अधिकारी लाए गए हैं। यह बिना किसी न्यूनतम असुविधा के हो पाया है। इसके अलावा कुल के लगभग आधे कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लिए पदोन्नत कर दिया गया है।

आगे का रास्ता

आरईसी भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब यह बात व्यापक रूप से मान्य है कि अपने संतुलित और विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो के साथ आरईसी को ग्रामीण और अर्ध-शहरी विद्युतीकरण कार्यक्रमों में और व्यापक भूमिका निभानी है। हमें उम्मीद है कि हमारे संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी के अवसर

आते रहेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि हम इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाएं और उनके जरिए आरईसी के लाभ में वृद्धि करें।

भारत में ग्राम विद्युतीकरण त्वरित गति से एक सफलता की कहानी बन रहा है। इस क्षेत्र में आपके निगम की बुनियादी और व्यापक भूमिका रही है। दुनिया के अन्य भागों में व्यापार के अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में अपने तजुर्बे को बिक्री बढ़ाने का साधन बनाया जा सकता है। यही समय है जब आरईसी को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए। यह कहना असंगत न होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जरिए आरईसी के विश्व मुख्यालय, गुड़गांव का डिजाइन बनाया जा रहा है और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को साकार किया जा सकेगा।

कृतज्ञता ज्ञापन

वर्ष 2006-07 चुनौतीपूर्ण, सुखद और उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा है। मुझे विद्युत मंत्रालय, निदेशक मंडल, आरईसी के अपने सहकर्मियों, राज्य विद्युत संगठनों और बैंकों का अनोखा सहयोग मिला है। मैं इस बात से भी अभिभूत हूं कि निजी उद्यमियों ने हममें अपना भरोसा बनाए रखा है। इस अवसर पर मैं इन सभी और निवेशकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हममें अपना भरोसा जाहिर करते हुए चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारे तरीकों की सराहना की है और हर तरह से सद्भावपूर्ण समझ दिखाई है।

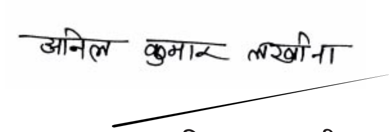

अनिल कुमार लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
27.09.2007

डिस्क्लेमर

''कंपनी ने बाजार की शर्तों और अन्य कारणों के अध्याधीन अपने इक्विटी शेयर का सार्वजनिक इश्यू प्रस्तावित किया है और रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा तैयार कर सेबी के पास फाईल कर दिया है। रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा सेबी की वेबसाईट www.sebi.gov.in और संबंधित बीआरएलएम की वेबसाईटों www.investmart.in, www.icicisecurities.com और www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखे कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस के मसौदे में ''रिस्क फैक्टर'' शीर्षक भाग पढ़ लें।''

यह दस्तावेज भारत में प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राज्य में जारी न किया जाए। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य में बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारी कर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है और संयुक्त राज्य में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी अधिनियम, 1940 यथा संशोधित के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए प्रतिभूतियां तथा इस घोषणा में वर्णित कोई भी प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकृत न होने की स्थिति में अथवा पंजीकरण से छूट की स्थिति में ऑफर न की जाएं अथवा बेची न जाएं।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 1998 को जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की दुरूस्त वित्तीय मौजूदा स्थिति के बारे में कंपनी द्वारा अभिव्यक्त विचारों अथवा किए गए आवेदनों अथवा किसी प्रकार के विवरणों की यथातथ्यता के लिए और कंपनी द्वारा निक्षेपों के भुगतान और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेवारी अथवा गारंटी नहीं लेगा।

''इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जारी नहीं किया जाएगा। यह आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है।''

“ ¶ÉÉBÉ¡É BÉÉÉ

»ÉÉ¡É

ºÉàÉÉ r BÉÉÉ £ÉbÉ® ”

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जन जातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।

पंपसेट ऊर्जायन, आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत युटिलिटि, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए विभिन्न स्त्रोतों से निधि संग्रह करने पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने में सहायता मिलेगी।

- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत युटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना।
  - (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना;
  - (ii) बिजली की मांग का विकास;
  - (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और
  - (iv) टेक्नालॉजी प्रोन्नत करना।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

कार्य निष्पादन की
मुख्य बातें

10 वर्षों से लगातार विकास

विवरण	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00	1998-99	1997-98
संसाधन										
(वर्ष के अंत में)										
इक्विटी पूंजी (लाख रुपए)	**78060**	78060	78060	78060	78060	78060	73060	68060	68060	63060
उधार (लाख रुपए)										
भारत सरकार से	**10048**	11997	14017	118336	220341	480947	566779	559894	501749	455591
बांड जारी करके	**2248372**	1675724	1360591	1197511	1049404	671927	372068	277573	209102	197517
जीवन बीमा निगम से	**350000**	350000	350000	150000	—	—	—	—	—	—
अन्य बैंकों से	**419680**	366200	213200	44000	20000	21000	—	—	—	—
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**323211**	341773	299830	248377	208105	168570	141769	121105	89827	65307
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**748**	661	1523	1322	1060	979	1301	1379	1468	1261
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**3292538**	1877114	1631636	1597791	1212534	676394	630809	467820	287873	121368
संवितरण	**1373299**	800658	788509	601704	660664	472193	410922	305105	220260	109381
कर्जदारों से ऋण वसूली	**403444**	350646	468324	358732	471594	266998	216262	155259	111024	41483
वर्ष के अंत में बकाया	**3126218**	2456368	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919	1029368	884231	779923
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	**40233**	181	765	122	—	207	581	1996	2502	3045
वर्ष के अंत तक	**356412**	306010	305829	305064	304942	304942	304735	304154	302158	299661
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**174750**	182239	175772	132914	134583	139917	206071	252877	279201	242173
वर्ष के अंत तक	**8740243**	8565493	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068	7593997	7341120	70611919
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)										
कुल आय	**285399**	224506	230209	199671	205389	166466	141961	129401	113631	79596
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**6416**	5770	4434	4659	5866	4972	3141	2544	2400	1792
उधार पर ब्याज	**174089**	133913	120475	114220	120274	109879	93216	79189	69372	63163
मूल्यह्रास	**113**	110	115	103	104	151	621	623	607	601
कर पूर्व लाभ	**100619**	82983	103665	80154	76663	50120	44647	41936	38454	12073
कर के लिए प्रावधान	**34593**	19232	23590	18915	18811	11355	10958	10502	8530	2576
कर पश्चात लाभ	**66026**	63751	80075	61239	57852	38765	33690	31434	29924	9497
इक्विटी पर लाभांश	**17700**	19126	23450	18300	17400	12000	6700	5000	5000	1000
निवल मूल्य	**401271**	419833	377890	326437	286165	246630	214829	189165	157887	128367

* गांवों की संख्या जहां आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया। इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

** वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पूर्ण किया गया। 10,169 गांवों में निर्माण कार्य (350 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण मिला कर) भी शामिल है।

वित्तीय निष्पादन के सभी प्रमुख संकेतक गांवों की प्रगति और समृद्धि में आरईसी के योगदान को स्पष्टतः दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं।

स्वीकृत (लाख रुपए)

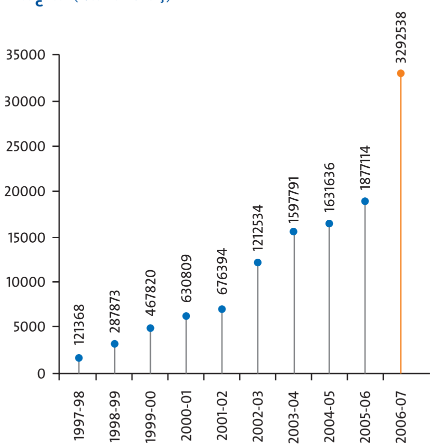

निवल लाभ (लाख रुपए)

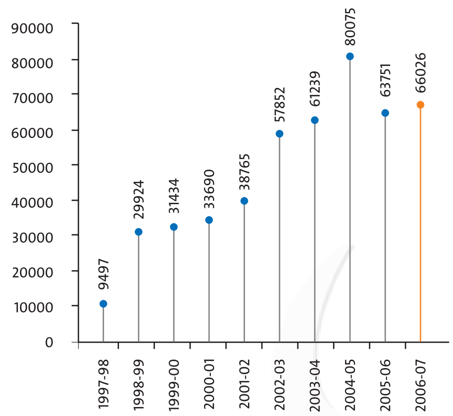

संवितरण (लाख रुपए)

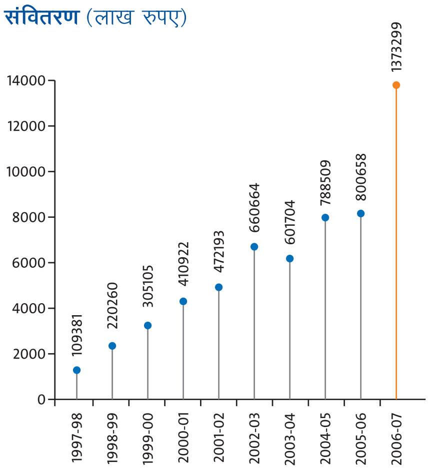

लाभांश (लाख रुपए)

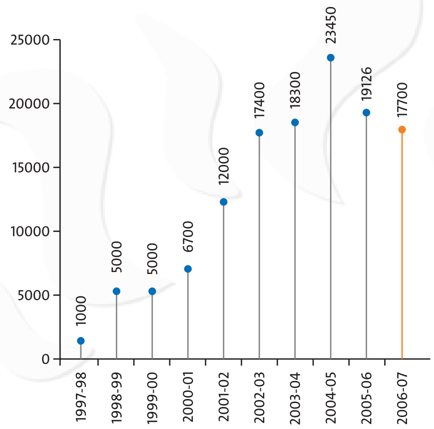

सकल आय (लाख रुपए)

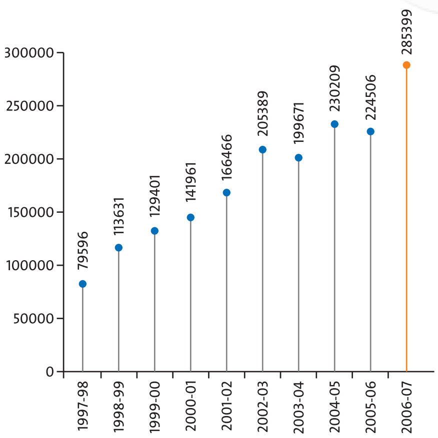

निवल मूल्य (लाख रुपए)

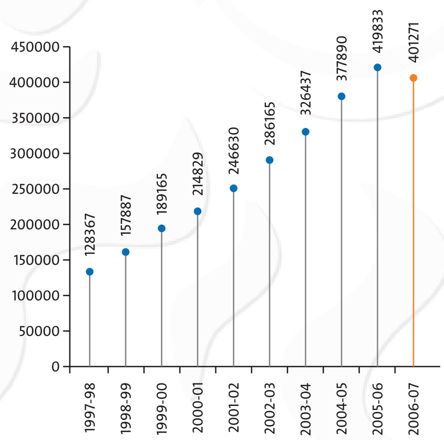

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की अड़तीसवीं (38वीं) वार्षिक महासभा निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, में गुरूवार, 27 सितंबर, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि खाते और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
2. वर्ष 2006-07 के लिए लाभांश घोषित करना
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना तथा उनका पारिश्रमिक नियत करना

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बी.आर.रघुनंदन
महाप्रबंधक(विधि)एवं कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 7 सितंबर, 2007

सेवा में
1. निगम के सभी सदस्य
2. आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक

टिप्पणी:

1. जिस सदस्य को बैठक में उपस्थित होने और मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिपत्री(प्राक्सी)के रुप में बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिपत्री(प्राक्सी)के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिपत्री को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिपत्र बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा करा दिया जाना चाहिए।

2. इक्कीस (21) दिन से कम नोटिस पर वार्षिक महासभा बुलाने, बैठक का नोटिस तथा अन्य अपेक्षित प्रलेख परिचालित करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त की जा रही है।

“É´ÉBÉÉÉºÉ

cÉ ¶ÉÉÉBÉÉiÉ BÉÉÉÉ

ºÉcÉ tÉÉiÉBÉÉ c”

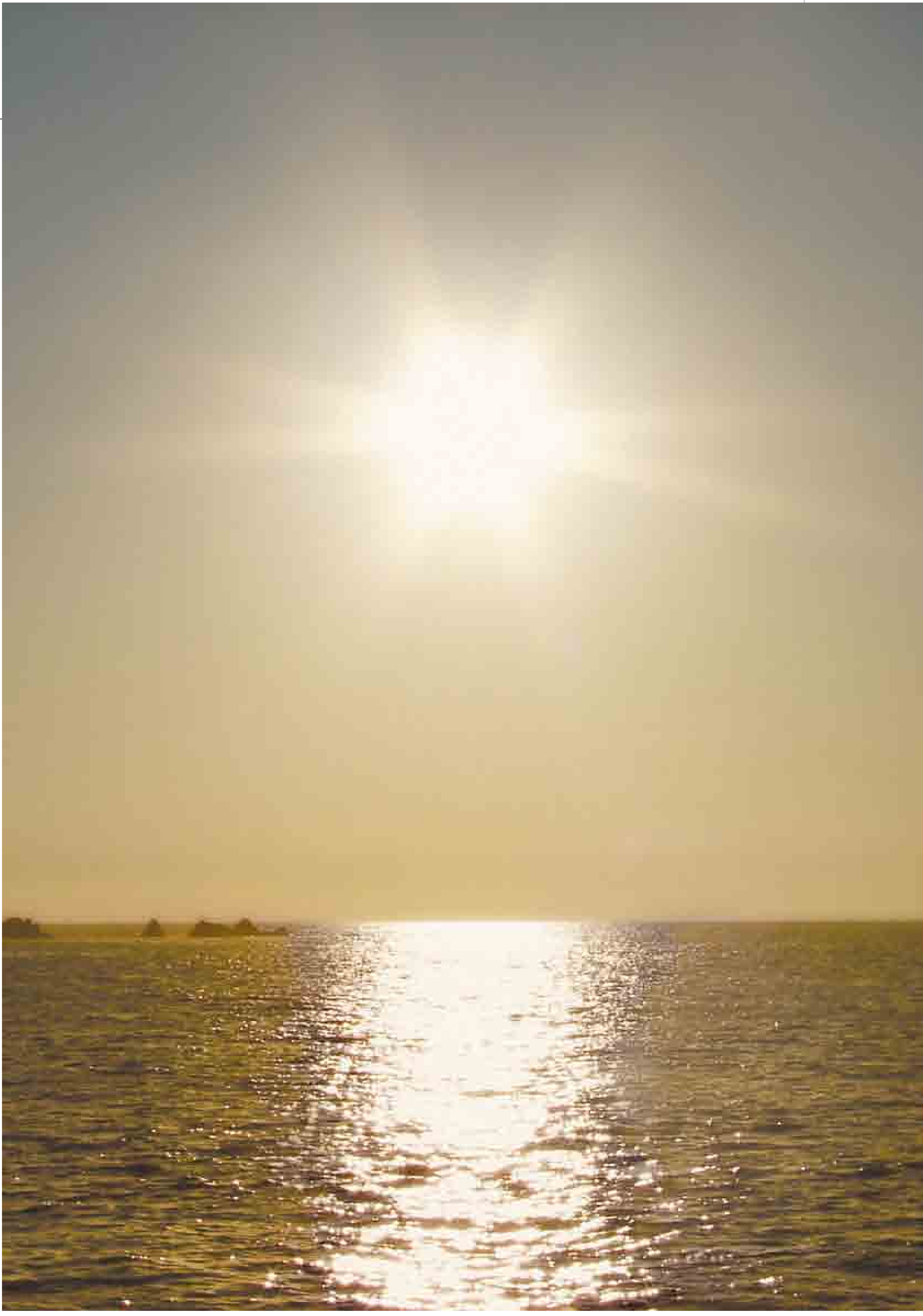

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयर धारक

निदेशक मंडल को निगम की अड़तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें

रिकार्ड तोड़ ऋण स्वीकृतियां, संवितरण, वसूलियां, प्रचालनात्मक आय और लाभ

गत दशक से आरईसी ने लगभग सभी विकास मापदंडों में सतत वृद्धि की है और गत वर्ष का कार्यनिष्पादन रिकार्ड तोड़ रहा है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

मापदंड	पिछले वर्ष का कार्यनिष्पादन 2006-07 (करोड़ रूपए)	गत वर्षों का कार्यनिष्पादन 2005-06 (करोड़ रूपए)	प्रतिशत वृद्धि
स्वीकृत ऋण	32925	18771	+ 75%
संवितरण	13733	8007	+ 71.5%
वसूलियां	6584.67	5434	+ 21%
प्रचालनात्मक आय	2651.70	2071.31	+28%
कर-पूर्व लाभ	1006.19	829.83	+21%

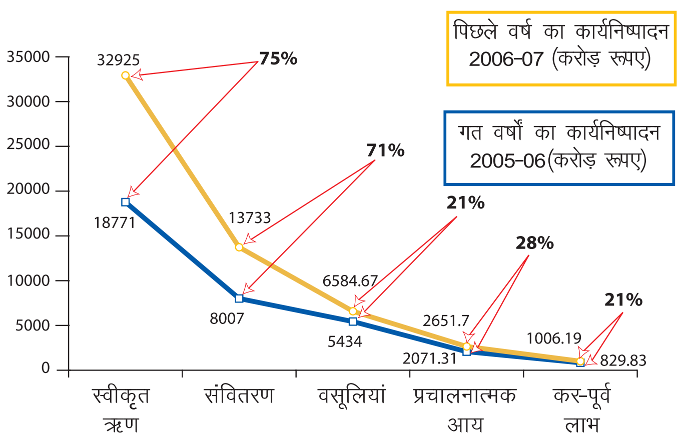

उच्च लाभांश देने और बढ़ते निवल लाभ से आरईसी ने ट्रैक रिकार्ड बनाया है।

कर-पश्चात लाभ

कर-पश्चात लाभ में वृद्धि 22.75 करोड़ रूपए की सीमांतिक अर्थात गत वर्ष के 637.51 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2006-07 में 660.26 करोड़ रूपए थी। यह मुख्यतया 116.29 करोड़ रूपए का आस्थगित कर वसूल करने और वर्ष 2006-07 में 21.04 करोड़ रूपए के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के कारण थी। इसके अलावा, वर्ष 2006-07 के दौरान खातों में वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के लिए 448.17 करोड़ रूपए का आस्थगित कर प्रावधान सामान्य प्रारक्षित निधि के लेखा से तदनुरूपी राशि अंतरित करके किया गया था। तथापि, वर्ष 2000-01 तक की अवधि के लिए 190.63 करोड़ रूपए का आस्थगित कर सामान्य प्रारक्षित निधि से आस्थगित कर देयता में अंतरित कर दिया गया है

लाभांश का भुगतान

कर हेतु प्रावधान करने और 379 करोड़ रूपए की सांविधिक प्रारक्षित कोष के लिए आवश्यक विनियोजन करने के बाद आपके निदेशक वर्ष 2006-07 के लिए 177 करोड़ रूपए के लाभांश के भुगतान की सिफारिश करते हैं।

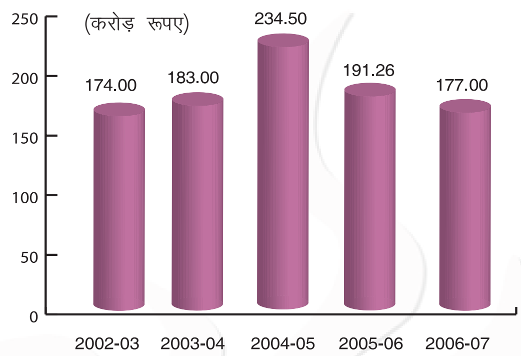

वित्तीय समीक्षा

वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश निम्न प्रकार हैः-

(करोड़ रूपए)

	2006-07	2005-06
संस्वीकृतियां	**32925.00**	18771.00
संवितरण	**13732.99**	8007.00
सकल आय	**2854.00**	2245.06
कर-पूर्व लाभ	**1006.19**	829.83
मूल्यह्रास	**1.13**	1.10
आयकर, आस्थगित कर और एफबीटी के लिए प्रावधान	**345.93**	192.32
निवल लाभ	**660.26**	637.51
विशेष आरक्षित कोष में स्थानांतरण	**345.00**	265.00
आशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित कोष में स्थानांतरण	**34.00**	27.50
सामान्य प्रारक्षित कोष में स्थानांतरण	**72.00**	211.00
प्रस्तावित लाभांश	**177.00**	191.26
लाभांश कर	**30.08**	26.82
अग्रेनीत शेष	**2.18**	4.43

वर्ष 2006-07 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं हुआ तथा 31 मार्च, 2007 को 1200 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 780.60 करोड़ रूपए थी।

संसाधन जुटाना

निगम ने वर्ष 2006-07 के दौरान बाजार से 9437.74 करोड़ रूपए की कुल राशि जुटाई। इसमें 899.80 करोड़ रूपए वाणिज्यिक बैंकों से समूह ऋण के रूप में, 7352.89 करोड़ रूपए की राशि पूंजी लाभ पर कर की छूट वाले बांडों के रूप में और 314.80 करोड़ रूपए गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बांडों के रूप में शामिल थी। आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को "एएए " रेटिंग मिलनी जारी रही, जो क्राइसिल, केयर और फिच द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है।

नकद ऋण सुविधा

दिन प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए निगम ने विभिन्न बैंकों से 1030 करोड़ रूपए की नकद ऋण सीमा भी सुनिश्चित की।

विदेशी वाणिज्यिक उधार

पहली बार निगम ने दीर्घावधिक निधि के रूप में 870.26 करोड़ रूपए के बराबर 23.570 बिलियन जापानी येन का प्रथम विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) जुटाया।

सार्वभौमिक दर्जा निर्धारण(सौवरन रेटिंग)

आरईसी को("बीएए3" और "बीबीबी −" श्रेणी वाली) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों मूडी तथा एफआईटीसीएच एजेंसियों से भारत की सार्वभौमिक रेटिंग के बराबर अंतर्राष्ट्रीय साख श्रेणी प्राप्त है।

उधार की निम्न लागत बनाए रखना

वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार केवल आरईसी और एनएचएआई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत बांड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के लिए पात्र थे। इसने उधार की लागत को निम्न स्तर पर बनाए रखने में सहायता की। वर्ष 2006-07 के दौरान निधियों की समग्र लागत 6.40% थी जोकि हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अनुकूल है, जिसके परिणामस्वरूप आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषण प्रदान कर रहा है।

मोचन तथा पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान, निगम ने भारत सरकार को 19.49 करोड रूपए की राशि लौटाई। इसने गैर-प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र बांड धारकों को 1160.70 करोड़ रूपए की कुल राशि विमोचित की । इसके अलावा, 1436.84 करोड़ रूपए के पूंजी लाभ कर छूट वाले तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड भी विमोचित किए गए।

वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर निगम के कुल संसाधन 35033.38 करोड़ रूपए थे। इसमें 780.60 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 3232.11 करोड़ रूपए की आरक्षित एवं अधिशेष राशि (जिसमें 739.67 करोड़ रूपए की आस्थगित कर देयता शामिल नहीं है), 30281.00 करोड़ रूपए के भारतीय जीवन बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा बाजार उधार शामिल हैं। इन निधियों को 32099.10 करोड़ रूपए के दीर्घ/लघु अवधि ऋण एवं 63.63 करोड़ रूपए की अचल परिसंपत्तियों, 1194.54 करोड़ रूपए के निवेश तथा 1676.11 करोड़ रूपए की कार्यशील पूंजी के रूप में नियोजित किया गया था।

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:-

(i) वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया और ऐसे फैसले एवं आकलन किए, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों, ताकि कंपनी की उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यथेष्ट लेखा रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर (गोइंग कंसर्न बेसिस) तैयार किए हैं।

आरईसी गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। इस संबंध में की गई विभिन्न पहलों का वर्णन नीचे किया गया है:-

उत्पादन परियोजनाएं

वर्ष 2002 से आरईसी ने नई उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण में विविधीकरण किया है।

ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं: आरईसी इस समय सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन

परियोजनाओं में कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र, गैस-आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र, कैप्टिव सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र और जैवपिंड (बायोमास) आधारित विद्युत संयंत्र शामिल हैं। वर्ष 2002 से आरईसी ने विभिन्न राज्यों में अवस्थित 26 से अधिक ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। आरईसी ने पिछले वर्ष 2005-06 में 2966.50 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 7512.20 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया जो ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृतियों में 253% की वृद्धि है।

जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएंः आरईसी सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन को भी वित्त प्रदान करता है। जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में बड़ी से लेकर लघु जल विद्युत परियोजनाएं और अति लघु जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। वर्ष 2002 से अब तक आरईसी ने विभिन्न राज्यों में अवस्थित 41 से अधिक जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है।

नवीकरण, आधुनिकीकरण और अवधि विस्तार योजनाएंः आरईसी पुराने ताप और जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और अवधि विस्तार के लिए भी वित्त प्रदान करता है। ऐसे नवीकरण और आधुनिकीकरण से पुराने विद्युत संयंत्र क्षमतापूर्वक, सुरक्षापूर्वक, मितव्ययितापूर्वक और अधिक पर्यावरण-अनुकूल तरीके से प्रचालित होते हैं। वर्ष 2002 से अब तक आरईसी ने 21 नवीकरण, आधुनिकीकरण और अवधि विस्तार योजनाओं के लिए वित्तपोषण स्वीकृत किया है।

पिछले वर्ष में 133.50 करोड़ रूपए की स्वीकृति की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान आरईसी ने ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के नवीकरण, आधुनिकीकरण और अवधि विस्तार से संबद्ध परियोजनाओं के लिए 338.10 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया है, जो पुनः 253% की वृद्धि है।

वर्ष 2006-07 के दौरान कुल मिलाकर निगम ने वित्तपोषित की जा चुकी एक परियोजना को अतिरिक्त ऋण सहायता सहित अन्य वित्त संस्थाओं के साथ परिसंघ वित्तपोषण को मिलाकर कुल 10364.40 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय से दस विद्युत उत्पादन/नवीकरण, आधुनिकीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इससे 4503 मेगावाट (ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं 2800 मेगावाट और जल विद्युत परियोजनाएं-1703 मेगावाट) की क्षमता वृद्धि हुई है। संचयी रूप से, वर्ष 2002-03 से और दिनांक 31.03.2007 तक, आरईसी ने नवीकरण और आधुनिकीकरण, ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 28542 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। आरईसी ने वर्ष 2006-07 के दौरान चालू (ऑन गोइंग) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 4291.06 करोड़ रूपए संवितरित किए।

शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में भूमिका

आरईसी निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में शीर्ष वित्तीय संस्थान रहा हैः-

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	श्रेणी	क्षमता (मेगावाट)	परियोजना लागत	ऋण राशि	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
1.	मलाना -II एचईपी, जिला-कुल्लु, हिमाचल प्रदेश	2003-04	जल विद्युत	100	598.00	328.90	जुलाई, 2009
2.	तीस्ता फेज-III, जल विद्युत परियोजना, सिक्किम	2006-07	जल विद्युत	1200	5700.00	2100.00	मार्च, 2012
3.	वरोरा में 270 मेगावाट कोयला-आधारित ताप विद्युत परियोजना, एमआईडीसी, चंद्रपुर महाराष्ट्र	2007-08	ताप विद्युत	270	1110.20	555.00	जुलाई, 2009
4.	मध्यप्रदेश में माहन सुपर ताप विद्युत परियोजना	2007-08	ताप विद्युत	1200	4860.00	1000	नवंबर, 2010
5.	वरोरा में 270 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना, फेज-II एमआईडीसी, चंद्रपुर महाराष्ट्र	2007-08	ताप विद्युत	270	1305	448	जनवरी, 2010

पारेषण और वितरण नेटवर्क का निर्माण

आरईसी ने नई अवसंरचना सृजित करने और पारेषण तथा वितरण नेटवर्क सुधारने में भागीदारी का अपना स्तर बढ़ा दिया है। आरईसी ने देश के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने विभिन्न ऋण पोर्टफोलियो के अधीन राज्य विद्युत संगठनों को पूर्ण रूप से निम्नानुसार समर्थन दिया हैः

- वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत प्रदान करना;
- एटीएंडसी हानियों को कम करना;
- पारेषण नेटवर्क का विस्तारण और उसे सुदृढ़ करना; और
- वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना

तंत्र सुधार-पारेषण और वितरण हानियों को कम करना

आरईसी अपने तंत्र सुधार पोर्टफोलियो के अधीन विद्युत संगठनों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इन ऋणों का प्रयोग देश में पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे सुधारने तथा पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए किया जाता है।

आरईसी संगठनों को प्रणाली संबंधी कमियों और कमजोरियों का पता लगाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करता है। तंत्र को सुधारने के लिए यह विभिन्न विकल्प प्रदान करता है, जिसमें से सबसे अधिक लागत-प्रभावी और तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधानों को अपनाया जाता है। परंपरा के अनुरूप ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण पर बल देना वर्ष के दौरान बनाए रखा गया।

उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)

ऐसी एक परियोजना, जिसका लक्ष्य पारेषण और वितरण सुधारना है, उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) है। यह परियोजना कृषि भार का पोषण कर रहे सभी एलटी फीडरों के लिए पारंपरिक निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली (एलवीडीएस) के स्थान पर उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) स्थापित करते हुए तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की कमी करने की संकल्पना करती है। एलटी लाइन हानियों को कम करने के अतिरिक्त, वोल्टेज की प्रोफाइल सुधर जाती है; वितरण ट्रांसफॉर्मरों की खराबी कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विश्वसनीयता और गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति होती है। वर्ष 2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए 1569 करोड़ रूपए की एचवीडीएस योजनाओं का आरईसी द्वारा वित्तपोषण किया गया था और वर्ष 2006-07 के दौरान पंजाब और राजस्थान के लिए 2914 करोड़ रूपए की योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

बल्क लोन वित्तपोषण

तंत्र सुधार परियोजनाओं के अतिरिक्त, आरईसी अपेक्षित विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति और संस्थापना/प्रतिस्थापन के लिए वित्तपोषण करता है। उदाहरणार्थ, अधिकांश विद्युत संगठन द्वारा निर्धारित 100% मीटरिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मीटरों के संस्थापन/प्रतिस्थापन का कार्य हाथ में ले रहे हैं। इसी प्रकार, निगम ने ट्रांसफॉर्मरों, कैपेसिटरों आदि की संस्थापना और प्रतिस्थापन की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक अधिप्राप्ति की योजनाओं का वित्तपोषण जारी रखा है।

आरईसी ने पिछले वर्ष 2005-06 में 8185 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए 20109 करोड़ रूपए के 642 ऋण स्वीकृत किए हैं, जो 246% की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2005-06 में 2780.70 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2006-07 में पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए संवितरित राशि 4784 करोड़ रूपए थी, जो 172% की वृद्धि है।

गांवों का विद्युतीकरण:

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-ग्रामीण विद्युत आधारिक संरचना और आवास विद्युतीकरण की एक योजना" प्रारंभ की। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में सभी आवासों को विद्युत की अभिगम्यता प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त करना और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनएमसीपी) में यथा निर्दिष्ट ग्रामीण विद्युत आधारिक संरचना में सुधार लाना था। यह योजना एकमात्र नोडल एजेंसी अर्थात आरईसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा **इस रिपोर्ट के अनुबंध -I** में दिया गया है।

एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापन

सभी राज्य, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। आरईसी ने परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और दक्षता उपलब्ध कराने तथा कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताएं बढ़ाने के लिए एनटीपीसी,पावरग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऑनलाइन मानीटरिंग

कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से मूल्यांकन करने और मॉनीटरिंग करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार की गई है। सभी राज्यों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के जिला स्तर तक के स्थैतिक आंकड़े एनआईसी के अस्थायी सर्वर पर रख दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयनाधीन 235 परियोजनाओं में दिनांक 31 मार्च, 2007 तक प्राप्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति को पहले ही अपलोड किया जा चुका है। यह सूचना राज्य-वार और जिला-वार उपलब्ध है। इस डाटाबेस को अद्यतन सूचना प्रस्तुत करने के लिए आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा और यह शीघ्र ही ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

स्वीकृत परियोजनाएं और उनका कार्यान्वयन

वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 4772.81 करोड़ रूपए की परियोजना लागत पर आरजीजीवीवाई के अधीन कुल 119 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। ये परियोजनाएं 1,03,913 गांवों और 99,73,659 आवासों को शामिल करती हैं। राज्य-वार ब्यौरे **सारणी-I** में संलग्न हैं।

कुल 9696 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत पर आरजीजीवीवाई के चरण-I में कुल 235 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं 67012 अविद्युतीकृत गांवों और 83 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों सहित 1.26 करोड़ ग्रामीण आवासों को शामिल करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में स्वीकृत और प्रदत्त परियोजनाएं:

क) निगम ने कुल 11514 करोड़ रूपए के परिव्यय से देश के 27 राज्यों में 316 जिलों (317 परियोजनाएं) के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वीकृत की हैं। यह लगभग 234,658 गांवों (69534 अविद्युतीकृत गांवों सहित) में लगभग 175 लाख ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण कवर करती हैः

ख) 272 जिलों (273 परियोजनाएं) के लिए निविदा आमंत्रण का नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 210 जिलों (211 परियोजनाएं) के लिए ठेका दे दिया गया है।

राज्य-वार ब्यौरे **सारणी-2** में संलग्न हैं।

“ càÉÉ® |ÉªÉÉºÉ cÉ
|ÉBÉÉÉÉ¶ÉÉ¡É
BÉÉÉÉ]-BÉÉÉÉ] ºÉ{ÉxÉÉ ºÉ
ÉVÉxÉºÉ cÉ |É{ÉÉÉãÉãÉ¡É
càÉ ºÉ¤É BÉÉ ¡ÉxÉ–àÉxÉ ”

लक्ष्य बनाम उपलब्धियां - बढ़ती अपेक्षाएं

40,000 के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तरांचल, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में फैले 40233 गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाएं पूरी की गई हैं। राज्य-वार ब्यौरे **सारणी-3** में संलग्न हैं। अन्य 40,000 गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाएं वर्ष 2007-08 के लिए लक्षित हैं।

फ्रैंचाईजी आधारित विद्युत वितरण

विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण का प्रबंध करने के लिए फ्रैंचाईजी मॉडल की स्थापना करने की संकल्पना की। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में यथा उल्लिखित इस पद्धति को सुविधाजनक बनाने के लिए आरईसी ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें सभी राज्यों और संबंधित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अग्रेषित किया गया है। राज्यों ने फ्रैंचाईजी के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण हेतु फ्रैंचाईजी की तैनाती के लिए उन्होंने अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट)/निविदा आमंत्रण का नोटिस जारी किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 10,000 गांवों के लिए फ्रैंचाईजी के नेतृत्व वाला विद्युत वितरण स्थापित करने के प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में 50,000 से अधिक गांवों को शामिल करते हुए 13 राज्यों में फ्रैंचाईजी नियुक्त किए गए हैं, जिससे संग्रहण/प्रबंधन में वृद्धि हुई है।

निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अधीन आरईसी को पूंजी सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त 3000 करोड़ रूपए की राशि जारी की और उसका उपयोग किया जा चुका है। आरजीजीवीवाई के अधीन आरईसी द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किया गया संवितरण 3364.82 करोड़ रूपए है, जिसमें संलग्न **सारणी-4** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 3000.15 करोड़ रूपए की पूंजी सब्सिडी और आरईसी द्वारा 364.67 करोड़ रूपए की ऋण सहायता शामिल है।

संस्वीकृत ऋण

गत वर्ष के 18771 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा परियोजनाओं के लिए 32925 करोड़ रूपए के ऋण मंजूर किए गए। वर्ष के दौरान मंजूर ऋण राशि का राज्यवार और श्रेणीवार विवरण क्रमशः **सारणी-5 और 6** में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के अंत तक मंजूरी की राज्यवार स्थिति का संचयी विवरण **सारणी-7** में दिया गया है।

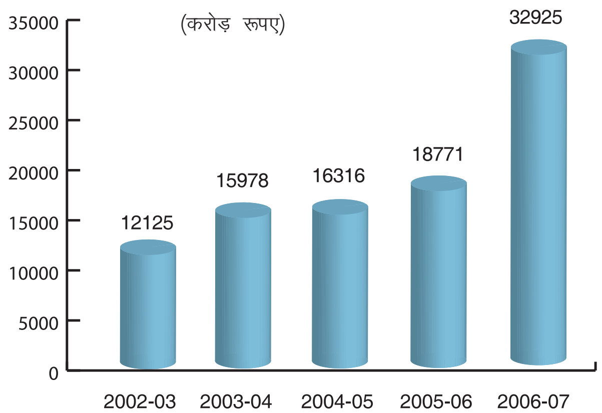

संवितरण

वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 13732.99 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई। वर्ष के दौरान उधारकर्त्ताओं द्वारा राज्यवार संवितरणों और वापसी अदायगियों तथा 31.3.2007 के अनुसार संचयी आंकड़ों और बकाया सहित विवरण **सारणी-8** में दिया गया है।

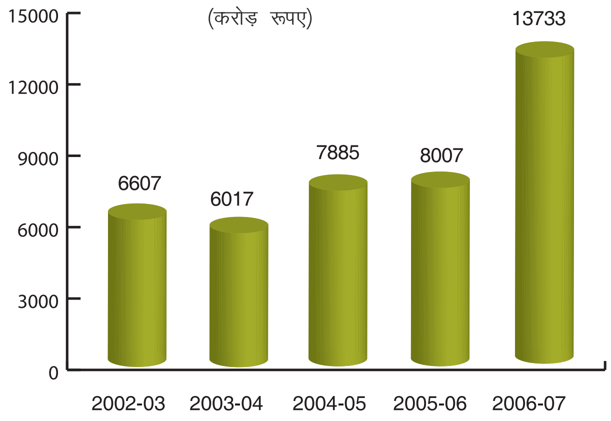

वसूलियां

गत वर्ष के दौरान 5474.97 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान 6629.59 करोड़ रूपए, चूककर्त्ता राज्य बिजली बोर्डों को मिलाकर, वसूली के लिए देय थे। निगम ने कुल 6547.14 करोड़ रूपए की राशि वसूल की। 1.4.2006 को चूककर्त्ता उधारकर्ताओं की अतिदेय राशि, वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि, वर्ष में की गई वसूलियों के विवरण **सारणी-9** में दिए गए हैं। निगम इन राशियों की वसूली/निपटान के लिए हर संभव प्रयास करता रहा है।

वास्तविक कार्यनिष्पादन

विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

वर्ष 2002-03 से आरईसी द्वारा स्वीकृत प्रमुख विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विवरण **सारणी-10** में दिया गया है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए वास्तविक संवितरण वर्ष 2005-06 के 1553.4 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 4291.06 करोड़ रूपए हो गया, जोकि 276% की वृद्धि दर्शाता है।

चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 (31.8.2007 तक) के दौरान निगम अट्ठारह परियोजनाओं के लिए पहले ही 11566.79 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत कर चुका है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए भी 1071.63 करोड़ रूपए का संवितरण किया गया है।

पारेषण एवं वितरणः

पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 174750 विद्युत सिंचाई पंपसेटों का ऊर्जायन किया गया। राज्यवार ब्यौरे एवं 31.3.2007 तक की संचयी स्थिति **सारणी-11** में दी गई है। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान 246.56 करोड़ रूपए की ऋण सहायता वाली 109 नई योजनाएं स्वीकृत की गई।

तंत्र सुधार

वर्ष 2006-07 के दौरान 13844.63 करोड़ रूपए की ऋण परिव्यय वाली कुल 398 तंत्र सुधार स्कीमें मंजूर की गई। इनमें निम्नलिखित शामिल थी :-

(i) विद्युत मंत्रालय के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अधीन 159.04 करोड़ रूपए की ऋण परिव्यय वाली 14 स्कीमों के लिए काउंटर पार्ट वित्तपोषण,

(ii) ट्रांसफार्मर और मीटरों जैसे आवश्यक उपस्करों के अधिष्ठापन के जरिए संवितरण प्रणाली में निवेश वित्तपोषण के लिए 1415.87 करोड़ रूपए की ऋण सहायता वाली 56 स्कीमें,

(iii) निम्न वोल्टता संवितरण (एलवीडी) के उच्च वोल्टता संवितरण प्रणाली (एचवीडीएस) में परिवर्तन के लिए 2914.03 करोड़ रूपए की ऋण सहायता वाली 60 स्कीमें,

(iv) पारेषण नेटवर्क में सुधार के लिए 2539.86 करोड़ रूपए की 74 स्कीमें शामिल हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान 31.8.2007 तक 1174.52 करोड़ रूपए की राशि वाली 64 तंत्र सुधार योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

ग्राम विद्युतीकरणः आरजीजीवीवाई

31 अगस्त, 2007 तक कुल 63820 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं, जिनमें से 43100 अविद्युतीकृत थे और 20702 को विद्युतीकृत किया गया तथा आगे तेजी लाई गई। इसके अलावा 1337486 कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को दिए गए।

पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए आरईसी ने 2514.07 करोड़ रूपए की राशि से पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य, निजी और संयुक्त क्षेत्र में तीन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में चालू राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 162.75 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की गई है।

वर्ष 2006-07 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों ने पारेषण एवं वितरण कार्यक्रमों के अंतर्गत नई और चालू योजनाओं के अधीन 16.21 करोड़ रूपए की राशि आहरित की, जबकि गत वर्ष के दौरान 13.09 करोड़ रूपए की राशि आहरित की गई थी। तंत्र सुधार श्रेणी के अंतर्गत मिजोरम के लिए 6.58 करोड़ रूपए के ऋण परिव्यय वाली एक योजना भी स्वीकृत की गई थी।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)के संदर्भ में उपलब्धियां

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम के कार्यनिष्पादन को "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94 से, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, निगम को लगातार 13वें वर्ष "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्रदान की गई है।

वर्ष 2006-07 के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री ने निगम को वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए "सर्वोच्च 10 सरकारी उपक्रम" के पुरस्कार से सम्मानित किया।

वर्ष 2006-07 के लिए भी निगम "उत्कृष्ट" की श्रेणी प्राप्त करने की स्थिति में है। निगम ने न केवल सभी कार्यनिष्पादन सूचकों के संबंध में उत्कृष्ट श्रेणी के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, बल्कि उत्कृष्टता के लक्ष्यों को निम्नानुसार पार कर लिया हैः-

- निगम ने सर्वकालीन उच्चतम 32925 करोड़ रूपए की स्वीकृतियां (लक्ष्य से 99.5% अधिक), दर्ज की।
- सर्वकालीन उच्चतम संवितरण 13733 करोड़ रूपए (उत्कृष्ट लक्ष्य से 53% अधिक),
- सर्वकालीन उच्चतम कर-पूर्व लाभ (एककालिक आय के बिना) 1006.19 करोड़ रूपए (उत्कृष्ट लक्ष्य से 39% अधिक) और
- 16.45% का निवल लाभ/निवल परिसंपत्ति अनुपात,(उत्कृष्ट लक्ष्य से 32% अधिक)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास

ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन परियोजना हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) सहायता

आरईसी की ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन (आरईडीबी) परियोजना हेतु आरईसी ने ओडीए ऋण पैकेज के अंतर्गत 31.3.2006 को 21 बिलियन येन (822 करोड़ रूपए) की ऋण सहायता हेतु जेबीआईसी के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की गई। आरईसी ने नए उपकेन्द्रों के उत्थापन एवं उपकेन्द्रों का विस्तार करने के लिए वर्ष 2006-07 में उपर्युक्त राज्यों को 576 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया है।

आरईसी राजस्थान और हरियाणा राज्यों में प्रस्तावित ईएचवी पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जेबीआईसी से ओडीए ऋण की दूसरी श्रृंखला के लिए बात-चीत कर रहा है।

एचवीडीएस परियोजनाओं के लिए भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग

आरईसी ने एचवीडीएस परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केएफडब्ल्यू के साथ 70 मिलियन यूरो(416 करोड़ रूपए) की ओडीए ऋण सहायता के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर ली है। इस संबंध में दिनांक 08.08.2006 को ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तत्पश्चात आरईसी ने आंध्रप्रदेश के चित्तूर और कड़प्पा जिलों में एचवीडीएस परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एपीएसपीडीसीएल को 556 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

उपर्युक्त ओडीए ऋण सहायता के एक भाग के रूप में केएफडब्ल्यू ने आरईसी ऊर्जा कुशलता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण उपाय के अंतर्गत 5,00,000 यूरो भी स्वीकृत किए हैं। इस संघटक के अंतर्गत आरईसी ने आधुनिक स्थापना तकनीकों, मानीटरिंग उपकरणों, विद्युत पारेषण एवं वितरण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में मानक स्थापन और श्रेष्ठ पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 18 फरवरी, 2007 से 23 फरवरी, 2007 तक प्रोविंसियल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (पीईए), थाईलैण्ड का एपीएसपीडीसीएल, पीवीवीएनएल और आरईसी के अधिकारियों का एक अध्ययन दौरा प्रायोजित किया है।

केएफडब्ल्यू ने पीवीवीएनएल की एचवीडीएस परियोजनाओं के लिए 50 मिलियन यूरो की सीमा तक दूसरी श्रृंखला की वचनबद्धता भी की है। केएफडब्ल्यू संवितरण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में और ऋण सहायता प्रदान करने के लिए भी इच्छुक है, आरईसी इस संबंध में

उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है।

स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम)

आरईसी ने ऊर्जा कुशलता परियोजनाओं के क्षेत्र में सीडीएम परामर्शी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने हेतु 10 जनवरी, 2007 को प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स के साथ एक परामर्श संविदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवाओं के कार्यक्षेत्र में आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीडीएम सेवाएं प्रदान करना है, जिनमें ये शामिल है -

- नैदानिक अध्ययन;
- सीडीएम परियोजना विकास;
- सभी संबंधित दस्तावेज तैयार करने; और
- विपणन उत्सर्जन में कमी करना और आरईसी को वरीयता वाले क्रेताओं के साथ लेन-देन संपन्न करने में सहायता प्रदान करना शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान निगम मुख्यालय में वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक शामिल करके सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को मजबूत बनाया गया है।

ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली का कार्यान्वयनः

आरईसी ने पूरे निगम में कार्यात्मक प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए निगम भर में ईआरपी प्रणाली का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। इसका उद्देश्य निगम के विभिन्न कार्यालयों से आंकड़ों के निर्बाध प्रवाह के साथ सभी कार्यों हेतु एक मजबूत एमआईएस प्रणाली स्थापित करना और सभी स्तरों पर प्रबंध सहायता प्रदान करना है। इस प्रयोजनार्थ खुली निविदा आमंत्रण प्रक्रिया द्वारा ईआरपी अनुप्रयोग के रूप में आरेकल ई-व्यवसाय स्यूट को चुना गया है और इसे टाटा कंस्लटेंसी सर्विसिज (टीसीएस) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रबंध विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव को भी इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध परामर्शदाता के रूप में चुना गया है। इस प्रणाली के वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

मानव संसाधन विकास

आरईसी अपनी कार्यपालक मानवशक्ति का लगातार व्यावसायीकरण कर रहा है और निगम में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्षेत्रों यथा; परियोजना मूल्यांकन, परियोजना वित्तपोषण, अतंर्राष्ट्रीय वित्तपोषण, आंतरिक संसाधन जुटाने इत्यादि में अनुभव एवं जानकारी रखने वाले कार्यपालक तैनात हैं, ताकि बढ़ी हुई व्यापारिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। आरईसी प्रबंधकीय संवर्ग को अधिक मजबूत बनाने हेतु व्यावसायिकों को शामिल करता रहा है। खुले विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के अलावा आरईसी भारत सरकार, विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों और अन्य राज्य विद्युत संगठनों से भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यपालक शामिल करता रहा है।

दिनांक 31 मार्च,2007 को निगम में 698 कर्मचारी थे, जिनमें 355 कार्यपालक और 343 गैर-कार्यपालक शामिल थे। आरईसी के 51% कार्यपालकों के पास इंजीनियरी, प्रबंधन, विधि एवं परामर्श सहित अनेक क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में औपचारिक अर्हता प्राप्त है।

"वर्ष 2006-07 के दौरान और अगस्त, 2007 तक निगम ने इंजीनियरी, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, विधि इत्यादि के क्षेत्रों में 56, व्यावसायिकों " को शामिल किया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षानुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ष या इसके भाग के लिए 2,00,000/- रूपए प्रतिमाह अथवा 24,00,000/- रूपए प्रतिवर्ष से ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन

वर्ष 2005-06 के लिए निगम के कार्यनिष्पादन के आधार पर निगम ने वर्ष 2006-07 के दौरान सभी पात्र कर्मचारियों को मूल वेतन के 90% का प्रोत्साहन प्रदान किया। वर्ष 2006-07 के लिए कार्यनिष्पादन के उच्च स्तर के आधार पर कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन की सीमा को बढ़ाकर मूल वेतन का 103% कर दिया गया और चालू वर्ष 2007-08 के दौरान सभी पात्र कर्मचारियों को भुगतान किया गया।

प्रशिक्षण

वर्ष 2006-07 के दौरान, देश के विभिन्न भागों और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थाओं/निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निगम ने 136 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, 190 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए नौ आंतरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। फरवरी-मार्च, 2007 के दौरान निगम के दो अधिकारियों को एओटीएस निगम प्रबंध कार्यक्रम, भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में दो सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर), हैदराबाद की गतिविधियां

भारतीय विद्युत क्षेत्र की बदलती हुई एवं विविध आवश्यकताओं के अनुसार सीआईआरई के कार्यकलापों का सुधार एवं उन्नयन करने के लिए अनेक पहल की गई। प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ सीआईआरई के अधिक प्रभावी प्रबंधन हेतु सीआईआरई के निदेशक के स्तर का भी उन्नयन किया गया है और नियमित संकाय के चार अतिरिक्त पद - 2 तकनीकी, 1 मानव संसाधन और 1 वित्त क्षेत्र से स्वीकृत किए गए हैं। वास्तविक और शैक्षिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने जैसे अन्य उपाय भी कार्यान्वयनाधीन हैं। विद्युत वितरण क्षेत्र में व्यापक अनुभव वाले दो सुविज्ञ संकाय सीआईआरई द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए संविदा आधार पर रखे गए हैं। डीआरयूएम कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा टेरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीआईआरई को सहायक-एजेंसी की भूमिका प्रदान की गई है।

वर्ष 2006-07 के दौरान, केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान ने कुल 38 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 5 खुले कार्यक्रम, वितरण सुधार

उन्नयन एवं प्रबंधन के (डीआरयूएम) अधीन 25 प्रायोजित कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम लोक उद्यम संस्थान के साथ, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 आंतरिक कार्यक्रम शामिल हैं। खुले कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित थेः

- विद्युत क्रय करार;
- बिजली की चोरी;
- तकनीकी और विधिक उपाय;
- एस्सार और जीएएपी के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र लेखाकरण**;**
- बिजली अधिनियम, 2003 - पारेषण एवं वितरण तक खुली पहुंच - मुद्दे और चुनौतियां; और
- विद्युत विपणन एवं प्रशुल्क - एबीटी।

प्रायोजित कार्यक्रमों (डीआरयूएम) के अंतर्गत सीआईआरई ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किएः

- वितरण हानि में कमी संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर 5 कार्यक्रम;
- वितरण प्रचालन एवं अनुरक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियों पर 5 कार्यक्रम;
- विद्युत वितरण में परिवर्तन प्रबंध और कृषि पंपिंग प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियों पर एक-एक कार्यक्रम;
- वितरण व्यवसाय के वित्तीय प्रबंध पर 4 कार्यक्रम;
- वितरण दक्षता और मांग पक्ष प्रबंध तथा ग्रामीण मांग पक्ष प्रबंध पर 7 कार्यक्रम; और
- वितरण प्रचालन और हानियों में कमी लाने संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर 2 कार्यक्रम।

सीआईआरई ने प्रबंध संबंधी कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया है और वित्तीय प्रबंध के लिए उद्यम संसाधन आयोजना तथा नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों एवं प्रतिभूति प्रबंध के लिए आईपीई के साथ संयुक्त रूप से 2 कार्यक्रम आयोजित किए।

आरईसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आंतरिक कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार, आरजीजीवीवाई और प्रतिभूतियों पर कार्यक्रम शामिल हैं।

आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन सीआईआरई को पैनल में रखना

प्रथम बार संस्थान को विदेशी नागरिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु विदेश मंत्रालय के अधीन इंडियन टेक्नीकल एंड इक्नॉमिक को-ऑपरेशन (आईटीईसी)/विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (एससीएएपी) के अंतर्गत पैनल में शामिल किया गया है। इस वर्ष अक्तूबर, 2006 से मार्च, 2007 के दौरान सीआईआरई द्वारा विद्युत वितरण प्रबंध एवं प्रौद्योगिकियां, विद्युत वितरण परियोजना वित्तपोषण एवं लेखाकरण प्रणाली और विकास अर्थव्यवस्थाओं में विद्युत क्षेत्र की आयोजना एवं प्रबंध पर 8 सप्ताह की अवधि वाले तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 19 देशों से 49 प्रतिभागी शामिल हुए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समूहवार विवरण **सारणी-12** में दिए गए हैं।

औद्योगिक संबंध

निगम में सभी स्तरों पर औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सद्भावना और मैत्रीपूर्ण बने रहे। निगमित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी संगठन की भूमिका सराहनीय रही है। सभी संवर्गों के प्रेरित कर्मचारियों ने टीम भावना से कार्य किया और इस वर्ष भी गत वर्ष के रिकार्डों को पार किया।

कर्मचारी कल्याण

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा गया। वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैः-

- पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीच्यूट, नेशनल हार्ट इंस्टीच्यूट और धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- सीडीए पैटर्न वेतनमान वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में, कारपोरेशन ने गुर्दे प्रत्यारोपण के पश्चात की देखभाल तथा "गुर्दे की किसी बीमारी का इलाज" सहित गुर्दा प्रत्यारोपण को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक 19.3.2007 से "विशेष रोग" के रूप में शामिल किया।

जन शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। लोक शिकायतों को भी इस तंत्र के अंतर्गत लाकर समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों के प्रभागाध्यक्षों द्वारा शिकायतें सुनने के लिए सप्ताह में एक दिन "बैठक दिन" के रूप में निश्चित किया गया है।

महिला एकक

महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देख-रेख के लिए एक महिला एकक प्रचालनरत है। इसके अलावा, यौन शोषण एवं लिंग भेदभाव संबंधी एक शिकायत समिति भी आरईसी में कार्यरत है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि शामिल है।

सतर्कता कार्यकलाप

निगम में सतर्कता प्रभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। यह निगम कर्मचारियों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने की आदत डालने के अलावा संगठन में ईमानदारी स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभा रहा है। सतर्कता संगठन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और तीन अधिकारी सतर्कता के सभी पहलुओं अर्थात् निवारात्मक, गुप्तचरी और दंडात्मकता में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी दिशानिर्देशों का निगम द्वारा ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए।

निगम के मुख्यालय और सभी परियोजना कार्यालयों में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रमों के दौरान ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने और कार्यकुशलता बढ़ाने के उपायों के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाने के संदेश पर भी बल दिया गया।

वर्ष के दौरान निवारात्मक सतर्कता, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, विभागीय जांच, सूचना का अधिकार और अन्य सतर्कता मामलों में प्रशिक्षण देने के लिए सतर्कता प्रभाग के एक वरिष्ठ स्तर के कार्यपालक और दो मध्यम स्तर के कार्यपालकों को सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद, एएससीआई, हैदराबाद और आईएमए, नई दिल्ली में भेजा गया।

कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के संबंध में मुख्य सतर्कता आयुक्त के आदेशों के अनुसार अनुप्रयोग पता लगाने की प्रणाली आरईसी की वेबसाइट पर डाली जा रही है। टेंडरों के ब्योरे सूचित करने के लिए 15 लाख रूपए की न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई है। सतर्कता प्रभाग ने कार्यालय प्रणालियों और पद्धतियों को व्यवस्थित एवं मजबूत बनाने के उपाय आरंभ किए हैं। निगम में कार्यचालन के संवेदनशील क्षेत्रों की भी पहचान की गई है, ताकि संवेदनशील पदों की सूची का विस्तार किया जा सके। एक निगरानी उपाय के रूप में सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण किए। इन सतर्कता निरीक्षणों के दौरान कर्मचारियों को बताया गया कि नियमों, पद्धतियों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारियों की 60% से अधिक वार्षिक संपत्ति विवरणियों की व्यवस्थित तरीके से जांच की गई और जहां आवश्यक हुआ वहां स्पष्टीकरण मांगे गए। मुख्य सतर्कता आयुक्त के महत्वपूर्ण परिपत्र आरईसी के इंटरानेट पर डाल दिए गए हैं। वर्तमानतः, निगम के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई सीबीआई मामला नहीं है और केवल दो अनुशासनात्मक मामले जांचाधीन हैं, जोकि सतर्कता प्रभाग के कारगर होने का संकेत है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थानीय शाखाओं के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् दिल्ली स्थित अपने कारपोरेट कार्यालय सहित आरईसी के सभी परियोजना कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में सहमत सूची को अंतिम रूप दिया गया। इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल ने निर्धारित नियमों के अनुसार सतर्कता प्रभाग के कार्यचालन की समीक्षा की।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा विभाग के निदेशों और राजभाषा अधिनियमों के अनुपालन में सतत प्रयास किए गए और अधिकतर लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी में रूचि दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप पत्राचार एवं टिप्पण-आलेखन में वृद्धि हुई है।

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से होता रहा है। दैनिक कामकाज हिंदी में करने हेतु वरिष्ठ कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों की झिझक मिटाने के लिए 10 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 87 कार्यपालकों और 59 गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा लागू सभी प्रोत्साहन योजनाएं आरईसी में क्रियान्वित की जा रही हैं।

कारपोरेट कार्यालय के आठ प्रभागों और आठ परियोजना कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन करने और बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किए गए।

दिनांक 14.9.2006 से 28.9.2006 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए हिंदी में नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उप-महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए एक वाद-विवाद प्रतियोगिता विशेष तौर पर आयोजित की गई। वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ रीडर को आमंत्रित किया गया था। उस मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार विजेता घोषित किए गए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। पुरस्कार राशि का 50% नकद रूप में और 50% हिंदी साहित्य की पुस्तकों के रूप में तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। निगम के एक अधिकारी और एक कर्मचारी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा आयोजित दो हिंदी प्रतियोगताओं में प्रथम पुरस्कार जीते।

निगम के मुंबई आंचलिक कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन दिनांक 15.5.2006 को अधिसूचित किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने भी वड़ोदरा एवं मुंबई के परियोजना कार्यालयों में हिंदी में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। पुस्तकालय बजट का 53% हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए प्रयोग किया गया है। आरईसी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है तथा इसे लगातार अद्यतन एवं संशोधित किया जाता है।

सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, संस्था अंतर्नियमावली, प्रेस रिलीज इत्यादि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी की जा रही हैं। वार्षिक रिपोर्ट भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है।

“ºÉ¤É BÉE ¡ÉxÉ-àÉxÉ BÉEÉ càÉ BÉE®¡É +ÉÉãÉÉÉBÉE¡É”

निगमित सुशासन का अनुपालन

निगम द्वारा जारी कुछ ऋण प्रतिभूतियां और बांड निजी कंपनियों को कार्य सौंपे जाने के आधार पर (प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं। निगमित सुशासन से संबंधित सामान्य सूचीकरण करार के लागू खंड 49 का अनुपालन निगम पहले कर रहा था। तथापि, ऋण प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए आदर्श सूचीकरण करार लागू करने हेतु सेबी द्वारा दिनांक 1.11.2004 को जारी परिपत्र के बाद निगम को कंपनियों पर यथा लागू आदर्श सूचीकरण करार के खंडों 1 और 3 का अनुपालन करना अपेक्षित है, जिनके डिबेंचर/बांड केवल निजी तौर पर अनुबंध दिए जाने के आधार पर जारी किए जाते हैं। तदनुसार, निगम ने आदर्श सूचीकरण करार के लागू खंडों 1 और 3 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त उपाए किए हैं।

आदर्श सूचीकरण करार के खंड 3.5 के अनुसार आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं सिफारिश किस्म की हैं और इन्हें जारीकर्ता कंपनी के विवेक के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी इन्हें अपनाए जाने हेतु, यदि कोई है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में प्रकट करने के लिए सहमत है। निगम ने करार के खंड 2.18 को औपचारिक तौर पर न अपनाने का निर्णय किया है, लेकिन फिर भी कंपनी निगमित सुशासन की अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखे हुए है और इसके साथ-साथ खंड 2.18 में उल्लिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के प्रयास कर रही है। तदनुसार, प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुबंध-2**, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध-3** और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन पर जारी प्रमाण-पत्र **अनुबंध-4** के रूप में संलग्न हैं।

निदेशक मंडल

श्री अरविंद जाधव, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय और आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक दिनांक 13.3.2007 से निदेशक नहीं रहे और उनके स्थान पर श्री जयंत कावले, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, को नियुक्त किया गया। श्री जयंत कांवले भी 29.8.2007 से निदेशक नहीं रहे और उनके स्थान पर विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र सिंह को नियुक्त किया गया।

श्री एम. साहू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय और आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक दिनांक 18.7.2007 से निदेशक नहीं रहे तथा श्री राजेश वर्मा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल में वर्तमानतः पांच निदेशक हैं अर्थात् श्री ए.के.लखीना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त), श्री बाल मुकंद, निदेशक (तकनीकी) पूर्णकालिक निदेशक के रूप में और श्री राजेश वर्मा तथा श्री देवेन्द्र सिंह अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में शामिल हैं।

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कारपोरेट सुशासन के कोड के उपबंधों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई और उसे निदेशक मंडल द्वारा 10 जुलाई, 2007 से प्रभावी बनाया गया। उक्त आचार संहिता तैयार करने का उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के मामलों में ईमानदारी, पारदर्शिता तथा नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों के पालन को सुनिश्चित करना है। इस आचार संहिता के माध्यम से कंपनी अपने शेयरधारकों, हितधारकों तथा बाहर के अन्य पक्षों को यह बताना चाहती है कि यह कारोबार किस प्रकार से करना चाहती है। संहिता के उपबंध प्रकार्यात्मक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित बोर्ड के सदस्यों पर बाध्यकर हैं। इससे उन पर निगम के हित में संहिता के विधिवत अनुपालन का दायित्व डाला जाता है।

मानकीकरण एवं परामर्शी सेवा

आरईसी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणालियों में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। आरईसी द्वारा जारी विनिर्देशों और मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों में द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए आरईसी विद्युत वितरण के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास का प्रयोग करते हुए नए परिवर्तनों की लगातार खोज करता रहा है। आरईसी ने हाल ही में पूर्व-भुगतान मीटर प्रणाली, संयुक्त इंसुलेटर और एकल फेज़ वितरण ट्रांसफार्मर संबंधी तकनीकी विनिर्देश जारी किए हैं। आरईसी वितरण के क्षेत्र में भी परामर्शी सेवाओं की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)

वर्तमान में, निगम की 780.60 करोड़ रूपए की संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार और इसके नामितों द्वारा धारित है। भारत सरकार ने आरईसी की शेयर धारिता के 10% के विनिवेश का अनुमोदन कर दिया है और इसके साथ-साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 2/8 मार्च, 2007 के पत्र द्वारा आरईसी के निर्गम-पूर्व चुकता इक्विटी पूंजी के 10% के बराबर नई इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम(पब्लिक इश्यू)का अनुमोदन कर दिया है।

आरईसी ने उपर्युक्त निर्गम के लिए मैसर्स एसबीआई केपिटल मार्किट्स लिमिटेड, आईएल एंड एफएस इंवेस्टमेंट लिमिटेड और मैसर्स आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज़ प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मेनेजर्स (बीआरएलएमएस) के रूप में नियुक्त किया है। आरईसी ने उपर्युक्त निर्गम के लिए मैसर्स अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी, अमरचंद टावर्स, 216, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली, को आंतरिक विधि सलाहकार तथा मैसर्स अरव्हर्स्ट, ब्रॉडवॉक हाऊस, 5 अपोल्ड स्ट्रीट, लंदन ईसी 2ए 2एचए, यूनाइटेड किंगडम को अंतर्राष्ट्रीय विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

मूल्य सीमा (प्राइस बैंड)/न्यूनतम (फ्लोर) मूल्य और पेशकश(ऑफर)मूल्य का निर्धारण सरकारी शेयरों की बिक्री का मूल्य समूह निर्णीत करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के शक्ति प्राप्त समूह द्वारा किया जाता है।

विवेकपूर्ण मानदंड स्थापित करना

वर्ष के दौरान, आरईसी ने अपने विवेकपूर्ण मानदंड तैयार किए थे, जिनका आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2006 को अनुमोदन किया गया था। विवेकपूर्ण मानदंडों में उल्लेख के अनुसार

ऋण/निवेश के एकत्रण हेतु मानदंड 13 दिसंबर, 2006 को ही लागू कर दिए गए थे। आरईसी के अन्य विवेकपूर्ण मानदंड पहली अप्रैल, 2007 से लागू हो गए हैं।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर 12 दिसंबर,2006 को एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना के अनुसरण में व्यवस्थित रूप में निक्षेप लेने वाली सभी महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को भारत सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न घटकों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने और 31 मार्च, 2007 तक उसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था।

चूंकि, आरईसी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी की श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसलिए आरईसी ने आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने विवेकपूर्ण मानदंड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिए थे।

जोखिम प्रबंध

निदेशक मंडल को व्यवसाय जोखिमों और नकदी, ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर सहनशीलता के लिए दरें निर्धारित करने सहित जोखिम प्रबंध नीतियों के कार्यान्वयन का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अप्रैल, 2007 में, आरईसी ने जोखिम प्रबंध नीति अपनाई थी, जिसके कुछ पहलुओं के कार्यान्वयन में समय लगेगा। परिसंपत्ति देयता प्रबंध नीति में नकदी जोखिम प्रबंध नीतियां, ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीतियां और मुद्रा जोखिम प्रबंध नीतियां तथा जोखिम परीक्षण पद्धति एवं जोखिम सूचना प्रणालियां शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी ने मुद्रा दरों और ब्याज दरों में घटबढ़ के कारण होने वाले जोखिम को समाप्त करने के लिए व्युत्पन्न रणनीतियों के क्रियान्वयन का आगे समाधान करने के लिए एक व्युत्पन्न नीति अपनाई है।

आईएसओ-9001:2000 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आरईसी अखिल भारत स्तर पर नौ प्रमुख परियोजना कार्यालयों और निगम मुख्यालय के छह प्रमुख प्रभागों में आईएसओ-9001:2000 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंध प्रणालियों के कार्यान्वयन में सफल रहा। यूकेएएस (यूनाइटेड किंगडम प्रमाणन सेवा) गुणवत्ता प्रबंध, यूके के प्रमाणन के अधीन बीएसआई मैनेजमेंट सिस्टमस द्वारा प्रमाणित थीं। निगम की गुणवत्ता नीति ग्राहक संतुष्टि एवं गुणवत्ता कार्य संस्कृति में सतत सुधार के लिए वचनबद्धता को दर्शाती है।

आरईसी की पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां प्रदान करते हैं और विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन मुख्य संघटकों में से एक है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए ढांचा समर्थ बनाते हुए दिनांक 13.04.2006 को ''पारेषण क्षेत्र के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने के दिशानिर्देश'' अधिसूचित किए। दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य पारेषण सेवाओं की प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति को बढ़ावा देना और पारेषण लाइनों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है।

इस योजना के अधीन विकास हेतु परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सदस्य, के.वि.वि.आ. की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है। यह समिति "निर्मित करें, स्वामित्व लें और प्रचालित करें (बीओओ)" आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से निर्माण हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धा बोली देने के माध्यम से विकास के लिए 14 परियोजनाओं का पता लगा चुकी है। इन 14 पारेषण प्रणालियों में से दो परियोजनाएं यथा, (i) नॉर्थ कर्णपुरा के लिए पारेषण प्रणाली और (ii) तालचर वृद्धि पारेषण प्रणाली प्रतिस्पर्धा बोली देने के माध्यम से विकासक के चयन के लिए आरईसी को आबंटित की गई हैं। इन नए अवसरों का लाभ लेने और विद्युत क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए आरईसी ने निम्नलिखित सहायक कंपनियां गठित की हैं:-

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरटीपीसीएल)

आरटीपीसीएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में दिनांक 8 जनवरी, 2007 को निगमित की गई थी। इसने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 5 फरवरी, 2007 को प्राप्त किया। आरटीपीसीएल का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में विद्युत के पारेषण और वितरण से संबंधित कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं और/अथवा परियोजना कार्यान्वयन के व्यवसाय का संवर्धन, आयोजन और व्यवसाय प्रारंभ करना है।

नव-गठित ट्रांसमिशन कंपनी आरईसी को सौंपी गई दो पारेषण परियोजनाओं के लिए विकासक के चयन का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। आरटीपीसीएल को प्रक्रिया में सहायता करने के लिए तकनीकी परामर्शदाता और बोली प्रक्रिया परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। तत्पश्चात, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के अधीन दो परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) नामतः (i) नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और (ii) तालचर -II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड भी बाद में स्थापित किए गए हैं। इन एसपीवी का के.वि.वि.आ. द्वारा विकासक को लाइसेंस प्रदान करने के बाद पारेषण प्रणाली के पारेषण सेवा प्रदायक (टीएसपी) में विलय कर दिया जाएगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध वितरण क्षेत्र में भी नए अवसर और चुनौतियां प्रदान करते हैं। विद्युत वितरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परंतु विद्युत आपूर्ति की श्रृंखला में इस समय यह सबसे कमजोर कड़ी है। इसलिए, वितरण सुधारों की पहचान विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया में ध्यान केंद्रण के मुख्य क्षेत्र के रूप में की गई है। वितरण व्यवसाय करने के लिए आरईसी ने निम्नलिखित सहायक कंपनी गठित की है:-

आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरपीडीसीएल)

आरपीडीसीएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में दिनांक 12 जुलाई, 2007 को निगमित की गई थी। इसने अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र दिनांक 31 जुलाई, 2007 को प्राप्त किया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 66 केवी और कम वोल्टता वर्ग की विद्युतीकरण, वितरण, विद्युत आपूर्ति लाइनों अथवा वितरण प्रणालियों का संवर्धन, विकास, निर्माण, स्वामित्व लेना, प्रचालित, वितरित और

अनुरक्षित करना है।

आरईसी का अन्य कार्यालय

आरईसी ने हरियाणा राज्य में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) से अपने कारपोरेट कार्यालय कांप्लेक्स के लिए गुड़गांव में बड़े आकार वाली भूमि भी अधिग्रहित की है। इस समय, आरईसी भवन योजना आदि की तैयारी और इसे अंतिम रूप देने के लिए वास्तुविद की नियुक्ति के लिए कार्यरत है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों की समीक्षा की। लेखा परीक्षकों की 30 मई, 2007 की रिपोर्ट के साथ उक्त वर्ष के लेखा परीक्षित खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण, नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई अर्हताओं/ टिप्पणियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत अपेक्षित आरईसी के प्रबंधन वर्ग का पैरावार उत्तर इस रिपोर्ट के अनुशेष के रूप में संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर निगम का उत्तर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निगम के उक्त खातों की समीक्षा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभार

निगम, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत एवं वित्त मंत्रालय, योजना, आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सहयोग और लगातार सहायता के लिए आभारी है।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटी और अन्य उधारकर्ताओं को निगम में उनके द्वारा लगातार रूचि दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, आरईसी के पूंजी जुटाने के कार्यक्रम में सम्माननीय निवेशकों, बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए अनवरत सहयोग और विश्वास प्रकट करने की सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं, जिनके कारण पिछले वर्ष की तरह इस बार भी उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण कार्यनिष्पादन प्राप्त किया जा सका।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

दिनांकः7 सितंबर, 2007
स्थानः नई दिल्ली

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिस्क्लेमर

''कंपनी ने बाजार की शर्तों और अन्य कारणों के अध्याधीन अपने इक्विटी शेयर का सार्वजनिक इश्यू प्रस्तावित किया है और रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा तैयार कर सेबी के पास फाईल कर दिया है। रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा सेबी की वेबसाईट www.sebi.gov.in और संबंधित बीआरएलएम की वेबसाईटों www.investmart.in, www.icicisecurities.com और www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखे कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस के मसौदे में ''रिस्क फैक्टर'' शीर्षक भाग पढ़ लें।''

यह दस्तावेज भारत में प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राज्य में जारी न किया जाए। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य में बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारी कर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है और संयुक्त राज्य में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी

अधिनियम, 1940 यथा संशोधित के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए प्रतिभूतियां तथा इस घोषणा में वर्णित कोई भी प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकृत न होने की स्थिति में अथवा पंजीकरण से छूट की स्थिति में ऑफर न की जाएं अथवा बेची न जाएं।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 1998 को जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की दुरूस्त वित्तीय मौजूदा स्थिति के बारे में कंपनी द्वारा अभिव्यक्त विचारों अथवा किए गए आवेदनों अथवा किसी प्रकार के विवरणों की यथातथ्यता के लिए और कंपनी द्वारा निक्षेपों के भुगतान और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेवारी अथवा गारंटी नहीं लेगा।

''इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जारी नहीं किया जाएगा। यह आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है।''

“ ºÉ®VÉ
ºÉ cÉ VÉMÉàÉMÉ
{ÉãÉÉBÉEiÉ |ÉÉ®iÉ iÉxÉ-àÉxÉ
VÉMÉàÉMÉ BÉE® n càÉ
VÉMÉ BÉEÉ ”

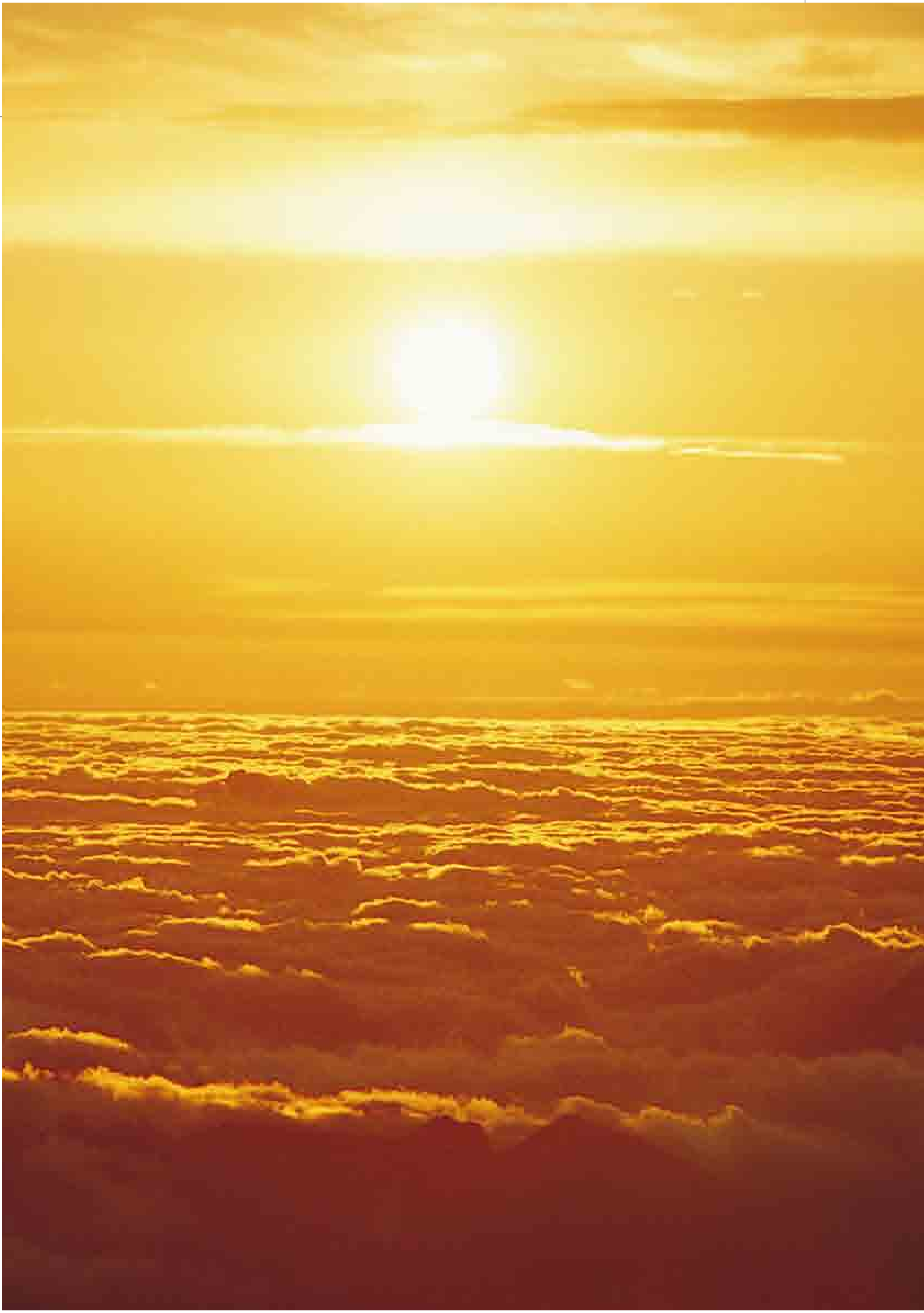

अनुबंध-I

आरजीजीवीवाई योजना की मुख्य विशेषताएं

1. इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90% पूंजी, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
2. राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।
3. योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी की पात्रता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न वचनबद्धताएं प्राप्त करनी होंगीः

   (क) इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं

   (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी के लिए प्रावधान करना।
4. इस योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता हैः-

   (क) ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)

   - ब्लाकों में उपयुक्त क्षमता एवं लाइनों के 33/11केवी (या 66/11केवी) उप-केंद्रों और लाइनों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं हैं।

   (ख) ग्राम विद्युतीकरण आधारिक संरचना (वीईआई) का सृजन

   - अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
   - अविद्युतीकृत वास स्थलों का विद्युतीकरण।

   (ग) विद्युतीकृत गांवों/वास-स्थलों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था।

   (घ) विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति।

   - उन गांवों, जहां ग्रिड संयोजन व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन एवं वितरण, बशर्ते कि यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्रदान करने के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25000 गांवों के अपने सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल नहीं है।
5. आरईडीबी, वीईआई और डीडीजी कृषि एवं निम्नलिखित सहित अन्य गतिविधियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करेगाः-

   - सिंचाई पंपसेट
   - लघु एवं मध्यम उद्योग
   - खादी एवं ग्राम उद्योग
   - कोल्ड चेन
   - स्वास्थ्य देख-भाल
   - शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

   यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा।
6. सभी ग्रामीण वास-स्थलों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100% पूंजीगत आर्थिक-सहायता से वित्तपोषित किया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।
7. फ्रैंचाइजी, जो गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ता संघ, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंध में पंचायत संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था उप-केंद्र से और उससे बाहर अथवा वितरण ट्रांसफार्मर और वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है।
8. उपभोक्ता-मिश्र और वर्तमान उपभोक्ता प्रशुल्क तथा संभावित भार के आधार पर फ्रैंचाइजी के लिए बल्क आपूर्ति प्रशुल्क (बीएसटी) का निर्धारण फ्रैंचाइजियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर किया जाएगा। जहां संभव हो, बीएसटी निर्धारण के लिए बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह बल्क आपूर्ति प्रशुल्क राज्य यूटिलिटियों के अपनी राजस्व आवश्यकताओं और प्रशुल्क निर्धारण के लिए राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को प्रस्तुत अनुरोधों में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। बिजली अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य यूटिलिटियों को आवश्यक राजस्व आर्थिक-सहायता प्रदान करना अपेक्षित है, यदि वह उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिए प्रशुल्क को एसईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क से निम्नतर रखना चाहती हैं। इस स्कीम को लागू करने से पहले राज्य सरकार से निम्नलिखित के संबंध में पूर्व-वचनबद्धताएं ली जानी चाहिएः-

   (क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति प्रशुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

   (ख) राज्य संगठनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान जैसाकि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।
9. इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाएगी। ये पात्र परियोजनाएं उपर्युक्त दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यान्वित की जाएंगी। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यदि परियोजनाएं संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती हैं, तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

सारणी - 1ः आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत * लाख रूपए	शामिल गांवों की संख्या **	आवास ***
1	आंध्र प्रदेश	13	48720.35	16138	2512731
2	अरूणाचल प्रदेश	1	2381.82	223	3720
3	असम	6	24477.47	4682	383672
4	बिहार	1	7634.61	526	268168
5	छत्तीसगढ़	3	15197.14	3963	330571
6	गुजरात	7	8230.37	5490	381039
7	जम्मू एवं कश्मीर	2	7346.12	1174	90989
8	झारखंड	11	106738.49	11789	1256561
9	कर्नाटक	9	23797.88	7626	685384
10	मध्यप्रदेश	7	37884.2	7907	652670
11	महाराष्ट्र	10	13011.75	12210	844307
12	मणिपुर	2	4791.54	313	25959
13	मेघालय	3	6171.2	1824	55688
14	मिजोरम	6	6424.13	500	29157
15	नगालैंड	1	962.58	187	11545
16	उड़ीसा	3	36870.05	4453	445436
17	राजस्थान	2	7415.56	2189	117568
18	सिक्किम	4	5625.82	443	28166
19	तमिलनाडु	16	26501.26	7758	1125715
20	त्रिपुरा	1	1957.77	120	20548
21	उत्तरप्रदेश	2	42810.97	3287	435231
22	उत्तरांचल	9	42330.05	11111	268834
	जोड़	**119**	**477281.13**	**103913**	**9973659**

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजीगत आर्थिक-सहायता एवं ऋण शामिल हैं।
** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युतविहीन और विद्युतीकृत, दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं।
*** बीपीएल आवास शामिल हैं।

सारणी-2 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना, जारी एनआईटी और दिए गए ठेकों का विवरण

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार
राशि करोड़ रूपए में

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं							जारी एनआईटी							दिए गए ठेके							
		परियो-जनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल परियोजना की लागत	परियो-जनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल परियोजना की लागत	परियो-जनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	कुल स्वीकृत परियोजना की लागत	ठेकों की कुल परियो-जना लागत
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		20	21
1	आंध्रप्रदेश	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.16	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.16	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.16	648.16
2	अरूणाचल प्र.	2	2	237	321	7230	4377	43.30	2	2	237	321	7230	4377	43.30	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	7	7	1831	3926	445804	329668	300.44	7	7	1831	3926	445804	329668	300.44	1	1	230	660	77666	73512	65.07	63.0784
4	बिहार	29	29	18959	169	1196385	1008898	1694.38	29	29	18959	169	1196385	1008898	1694.38	26	25	17125	0	843499	843499	1495.80	1928.64
5	छत्तीसगढ़	5	5	166	5642	494414	271170	236.53	5	5	166	5642	494414	271170	236.53	1	1	0	889	106166	39365	47.49	60.20
6	गुजरात	9	9	0	7347	580071	412628	129.23	9	9	0	7347	580071	412628	129.23	3	3	0	2409	243397	188471	60.85	84.76
7	हरियाणा	6	6	0	1820	205646	92948	77.00	6	6	0	1820	205646	92948	77.00	4	4	0	1075	116814	49198	48.48	71.23
8	हिमाचल प्र.	1	1	0	1118	2531	647	25.02	1	1	0	1118	2531	647	25.02	-	-	-	-	-	-	-	-
9	जम्मू एवं कश्मीर	4	4	108	2044	126104	71914	145.93	4	4	108	2044	126104	71914	145.93	-	-	-	-	-	-	-	-
10	झारखंड	11	11	7563	4226	1256561	777234	1067.38	11	11	7563	4226	1256561	777234	1067.38	10	10	6149	3466	1194674	760871	970.39	1384.37
11	कर्नाटक	26	26	132	28695	2005323	902373	613.37	26	26	132	28695	2005323	902373	613.37	17	17	49	21152	1319939	631828	375.39	641.77
12	केरल	7	7	0	373	227320	122187	221.76	7	7	0	373	227320	122187	221.76	1	1		38	23799	17834	19.76	19.42
13	मध्यप्रदेश	16	16	176	17998	1254435	625114	809.47	12	12	172	13695	934751	496504	575.73	9	9	129	10933	681384	393064	461.68	604.48
14	महाराष्ट्र	17	17	0	20661	1394893	1016583	214.81	7	7	0	8451	550586	412109	84.70	3	3	0	3472	260041	181792	42.50	69.67
15	मणिपुर	3	3	244	393	41622	26622	94.63	3	3	244	393	41622	26622	94.63	1	1	133	191	15663	10645	46.71	68.94
16	मेघालय	3	3	193	1631	55688	37869	61.71	3	3	193	1631	55688	37869	61.71	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मिजोरम	8	8	137	570	44334	27417	102.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	नगालैंड	3	3	12	373	35601	22908	25.69	3	3	12	373	35601	22908	25.69	1	1	0	104	10156	5799	6.63	6.97
19	उड़ीसा	4	3	1329	3353	472752	324443	409.77	4	3	1329	3353	472752	324443	409.77	2	2	1197	1907	292497	164389	234.60	259.32
20	पंजाब	1	1	0	962	69125	25004	22.97	1	1	0	962	69125	25004	22.97								
21	राजस्थान	27	26	1820	16239	1064622	748011	480.92	26	25	1739	15608	1010255	700184	455.73	25	24	1705	15608	1009310	699951	453.23	512.36
22	सिक्किम	4	4	25	418	28166	11458	56.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	तमिलनाडु	16	16	0	7758	1125715	388067	265.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	त्रिपुरा	1	1	48	72	20548	13119	19.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	उत्तरप्रदेश	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.52	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.52	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.52	3985.47
26	उत्तरांचल	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89	732.87
27	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	0	145918	97847	385.04	13	13	4283	0	145918	97847	385.04	13	13	4283	0	145918	97847	385.04	383.83
27		317	316	69534	165124	17518353	10875086	11514.23	273	272	69239	139162	15081232	9654114	10681.89	211	210	63271	100919	11558468	7674645	8725.19	11525.54

* निर्धारित लागत में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कुछ परियोजनाओं के कुछ पैकेज अभी दिए जाने हैं।

** आंध्र प्रदेश में निर्माण कार्य आंशिक टर्नकी आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। सामग्री की आपूर्ति एवं उत्थापन की निर्धारित लागत को अंतिम रूप दिए जाने तक स्वीकृत राशि को ही ठेके की लागत माना गया है।

सारणी -3: आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पूर्ण किया गया ग्राम विद्युतीकरण का कार्य

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2005-06 के दौरान	वर्ष 2006-07 के दौरान	संचयी उपलब्धि
1	बिहार	1600	8415	10015
2	पश्चिम बंगाल	352	2108	2460
3	उत्तर प्रदेश	7503	16620	24123
4	राजस्थान	230	1335	1565
5	उत्तरांचल	87	3130	3217
6	कर्नाटक	397	8000	8397
7	गुजरात	-	625	625
	जोड़	10169	40233	50402

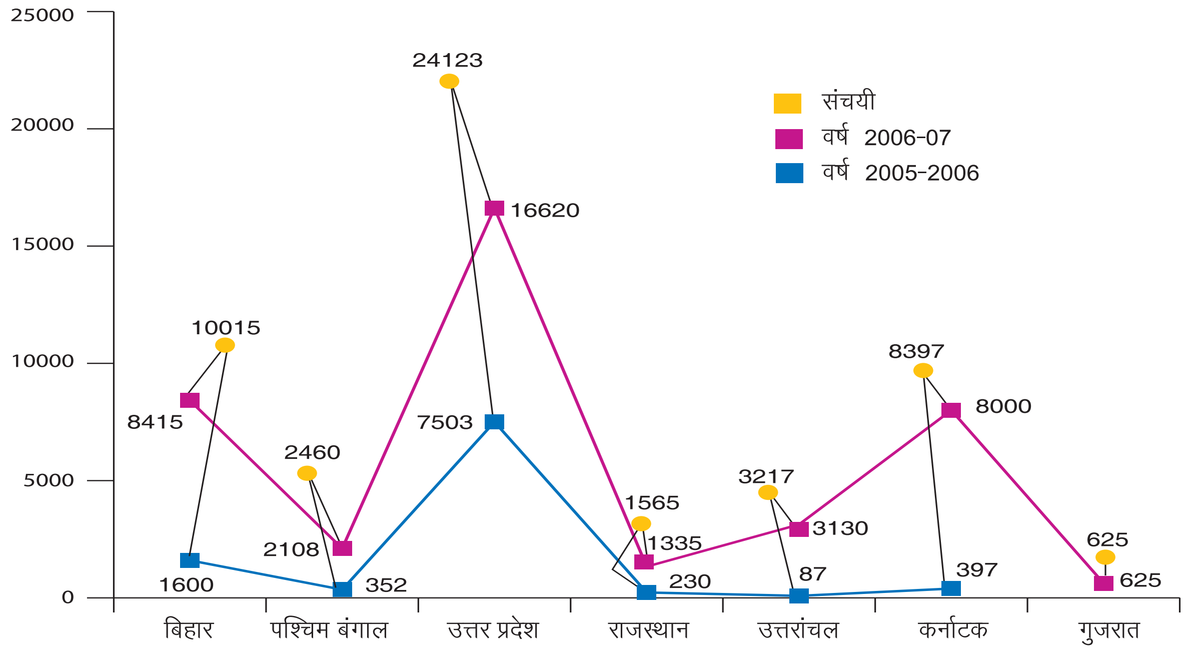

सारणी-4: वर्ष 2006-07 के दौरान "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा संवितरण

(लाख रूपए)

क्र.सं.	राज्य	कुल संवितरित राशि	ऋण राशि	कुल पूंजीगत आर्थिक-सहायता
1	आंध्रप्रदेश	9285	1817	7468
2	बिहार	46904	4591	42313
3	गुजरात	1336	232	1104
4	हरियाणा	1234	146	1088
5	जम्मू एवं कश्मीर	1959	196	1763
6	कर्नाटक	8684	1162	7522
7	महाराष्ट्र	982	98	884
8	राजस्थान	8654	1157	7497
9	उत्तर प्रदेश	154296	16429	137867
10	उत्तरांचल	27367	2869	24498
11	पश्चिम बंगाल	20471	2046	18425
12	असम	3874	387	3487
13	छत्तीसगढ़	3618	409	3209
14	हिमाचल प्रदेश	734	74	660
15	झारखंड	28133	2814	25319
16	केरल	503	50	453
17	मध्यप्रदेश	10466	1187	9279
18	मणिपुर	1326	132	1194
19	नगालैंड	415	41	374
20	उड़ीसा	6241	630	5611
	कुल जोड़	**336482**	**36467**	**300015**

सारणी - 5: आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2006-07 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	(लाख रूपए) ऋण राशि	शामिल			
				पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
ए.	**पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	80	34598.00	-	-	-	-
2	गुजरात	4	7600.00	-	-	-	-
3	हरियाणा	30	91828.00	-	-	-	-
4	हिमाचल प्रदेश	12	1589.00	-	-	-	-
5	जम्मू एवं कश्मीर	1	2972.00	-	-	-	-
6	झारखंड	3	40624.00	-	-	-	-
7	कर्नाटक	44	52875.00	-	-	-	-
8	मध्यप्रदेश	3	26213.00	-	-	-	-
9	महाराष्ट्र	92	568561.00	-	-	-	-
10	मिजोरम	1	658.00	-	-	-	-
11	उड़ीसा	9	3436.00	-	-	-	-
12	पंजाब	50	272552.00	-	-	-	-
13	राजस्थान	63	163465.00	-	-	-	-
14	तमिलनाडु	116	111564.00	-	-	-	-
15	उत्तर प्रदेश	8	17740.00	-	-	-	-
16	उत्तरांचल	5	18919.00	-	-	-	-
17	पश्चिम बंगाल	2	5230.00	-	-	-	-
	उप-जोड	**523**	**1420423.00**	-	-	-	-
बी	विद्युत उत्पादन परियोजनाएं						
1	राज्य क्षेत्र	8	786440	-	-	-	-
2	निजी क्षेत्र	1	40000	-	-	-	-
3	संयुक्त क्षेत्र(निजी एवं सरकारी)	1	210000	-	-	-	-
	उप-जोड़	**10**	**1036440**	-	-	-	-
सी	ब्रिज लोन	-		-	-	-	-
1	कर्नाटक	-	6690	-	-	-	-
2	उत्तर प्रदेश	-	18000	-	-	-	-
	उप-जोड़	-	**24690**	-	-	-	-
डी	लघु अवधि ऋण	-		-	-	-	-
1	गुजरात	-	50000	-	-	-	-
2	हरियाणा	-	35000	-	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश	-	10000	-	-	-	-
4	कर्नाटक	-	15000	-	-	-	-
5	राजस्थान	-	15000	-	-	-	-
6	उत्तरांचल	-	10000	-	-	-	-
7	उत्तर प्रदेश	-	85500	-	-	-	-
	उप-जोड़	-	**220500**	-	-	-	-
ई	आरजीजीवीवाई परियोजनाएं						
1	आंध्र प्रदेश	13	48720.35	-	-	16138	2512731
2	अरूणाचल प्रदेश	1	2381.82	-	-	223	3720
3	असम	6	24477.47	-	-	4682	383672
4	बिहार	1	7634.61	-	-	526	268168
5	छत्तीसगढ़	3	15197.14	-	-	3963	330571
6	गुजरात	7	8230.37	-	-	5490	381039
7	जम्मू एवं कश्मीर	2	7346.12	-	-	1174	90989
8	झारखंड	11	106738.49	-	-	11789	1256561
9	कर्नाटक	9	23979.88	-	-	7626	685384
10	मध्यप्रदेश	7	37884.2	-	-	7907	652670
11	महाराष्ट्र	10	13011.75	-	-	12210	844307
12	मणिपुर	2	4791.54	-	-	313	25959
13	मेघालय	3	6171.2	-	-	1824	55688
14	मिजोरम	6	6424.13	-	-	500	29157
15	नगालैंड	1	962.58	-	-	187	11545
16	उड़ीसा	3	36870.05	-	-	4453	445436
17	राजस्थान	2	7415.56	-	-	2189	117568
18	सिक्किम	4	5625.82	-	-	443	28166
19	तमिलनाडु	16	26501.26	-	-	7758	1125715
20	त्रिपुरा	1	1957.77	-	-	120	20548
21	उत्तर प्रदेश	2	42810.97	-	-	3287	435231
22	उत्तरांचल	9	42330.05	-	-	11111	268834
	उप-जोड़	**119**	***477281.13**	-	-	****103913**	*****9973659**
एफ	आईसी एंड डी परियोजनाएं						
1	आंध्र प्रदेश	45	94036	-	-	-	-
2	मध्य प्रदेश	33	13234	-	-	-	-
3	महाराष्ट्र	9	5934	-	-	-	-
	उप-जोड़	**87**	**113204**	-	-	-	-
	कुल जोड़	748	3292538.13	-	-	**103913	***9973659

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजीगत आर्थिक-सहायता एवं ऋण शामिल हैं।

** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युतविहीन और विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं।

*** बीपीएल आवास शामिल हैं।

सारणी - 6: आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2006-07 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	(लाख रूपए) ऋण राशि	शामिल			
					पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
ए	पारेषण एवं वितरण परि.							
1	परियोजनाः गहन विद्युतीकरण	पीःआईई	16	11305.00	-	-	-	-
2	विशेष परियोजना कृषिः पंपसेट ऊर्जायन	एसपीएःपीई	109	24656.00	-	-	-	-
3	परियोजनाः तंत्र सुधार	पीःएसआई-वितरण	194	681583.00	-	-	-	-
4	परियोजनाः तंत्र सुधार	पीःएसआई-वितरण (एचवीडीएस)	60	291403.00	-	-	-	-
5	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	14	15904.00	-	-	-	-
6	तंत्र सुधारः मीटर (वितरण)	एसआईःमीटर	18	22886.00	-	-	-	-
7	तंत्र सुधारः ट्रांसफार्मर (वितरण)	एसआईःट्रांसफार्मर	34	111827.00	-	-	-	-
8	तंत्र सुधारः पेनल/ केपेसिटर (वितरण)	एसआईःपेनल /केपेसिटर	3	1769.00	-	-	-	-
9	परियोजनाः तंत्र सुधार	पीःएसआई-पारेषण	74	253986.00	-	-	-	-
10	एसआई-पावर ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	1	5105	-	-	-	-
	उप-जोड		**523**	**1420423.00**	-	-	-	-
बी	परियोजनाः विद्युत उत्पादन	पीः उत्पादन	10	1036440.00	-	-	-	-
सी	आरजीजीवीवाई	पीःआरएचएचई	119	*477281.13	-	-	**103913	***9973659
डी	लघु अवधि ऋण	एसटीएल	7	220500.00	-	-	-	-
ई	ब्रिज लोन		2	24690	-	-	-	-
एफ	आईसी एंड डी परियोजनाएं	आईसी एंड डी	87	113204	-	-	-	-
	कुल जोड़		**748**	**3292538.13**	**-**	**-**	****103913**	*****9973659**

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजीगत आर्थिक-सहायता एवं ऋण शामिल हैं।

** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युतविहीन और विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं।

*** बीपीएल आवास शामिल हैं।

सारणी-7: आरईसी परियोजनाओं के अधीन 31.3.2007 तक गत 37 वर्षों के दौरान कुल मिलाकर राज्यवार मंजूरी

(लाख रूपए)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर ऋण राशि
1	आंध्र प्रदेश	5914	1653794.35
2	अरूणाचल प्रदेश	213	122580.89
3	असम	426	63388.47
4	बिहार	1733	236672.61
5	छत्तीसगढ़	25	298736.32
6	दिल्ली	8	48140.00
7	गोवा	16	2007.00
8	गुजरात	1908	699754.37
9	हरियाणा	1346	325209.03
10	हिमाचल प्रदेश	467	158435.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	534	161035.12
12	झारखंड	27	147602.49
13	कर्नाटक	2857	677205.88
14	केरल	1744	446741.00
15	मध्यप्रदेश	5241	496759.20
16	महाराष्ट्र	5445	1604909.75
17	मणिपुर	149	30158.54
18	मेघालय	109	50922.20
19	मिजोरम	69	24240.13
20	नगालैंड	97	13439.58
21	उड़ीसा	1654	201754.05
22	पंजाब	1519	915092.12
23	राजस्थान	3609	923980.56
24	सिक्किम	42	11035.82
25	तमिलनाडु	3606	559415.26
26	त्रिपुरा	178	52105.77
27	उत्तरप्रदेश	3129	790615.97
28	उत्तरांचल	85	308192.05
29	पश्चिम बंगाल	1453	453899.00
30	डीवीसी	1	48726.00
31	निजी उत्पादन	15	337543.00
32	सीसीआई-निजी पार्टी	0	1519.00
33	नीपको	0	10000.00
	जोड़	**43619**	**11875610.53**

सारणी-8: वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रम वार संवितरण एवं कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.3.2007 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यक्रम-वार ऋण संवितरण																	वर्ष के अंत तक संवितरित	अदायगी		वर्ष के अंत में 31.3.07 तक बकाया (20-22)
		पी:आई ई/ओए	पी:वीई/ ओबी	पी:एचई	डीबी/ एचबी	एसपीए/ बीपी/ ओपी	सीईएन/ एसआई	एसआई (ईएचवी)	एसआई (एम)	एसआई (टी)	एसआई (कंड/ रिएक्टर)	एसआई (केपे)	एसआई (वीसीबी/ सीबी)	एसआई (लाइनें)	उत्पादन	आरजीजी वीवाई	एसटीएल/ ऋण पुनर्वित्त.	कुल संवितरण (3 से 19)		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्रप्रदेश	.	-	-	2314	10077	26466	-	8117	11559	206	-	195	1632	56318	1817	-	118701	910291	55402	450186	460105
2	अरूणाचल प्रदेश	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	426	17601	44	6076	11525
3	असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		387	-	387	26864	-	4645	22219
4	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4591	-	4591	41480	3272	16037	25443	
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77840	409	-	78249	174472	-	32880	141592
6	गोआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479	127	1462	17
7	गुजरात	-	-	-	-	147	6856	-	109	-	-	-	-	-	3390	232	30000	40734	452450	45741	337584	114866
8	हरियाणा	6	-	-	-	17	10657	-	2147	23211	-	-	-	37	-	146	7500	43721	194844	8574	102240	92604
9	हिमाचल प्रदेश	696	-	-	-	1429	475	-	-	2647	-	-	-	-	10996	74	-	16317	121734	8755	58271	63463
10	जम्मू एवं कश्मीर	59	-	-	-	543	953	-	-	-	-	-	-	-	9300	196	-	11051	81866	5476	33728	48138
11	झारखंड	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2813	-	2813	18147	-	15334	2813
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	6141	-	95	2549	-	-	-	-	921	1162	19490	30358	335107	11979	225809	109298
13	केरल	-	-	-	-	29	3492	-	-	-	-	-	-	-	0	50	-	3571	330152	21515	260795	69357
14	मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1187	-	2187	193829	851	125083	68746
15	महाराष्ट्र	1765	-	-	-	10284	45532	1613	-	18848	194	679	-	1620	-	98	-	80633	760569	56621	409750	350819
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133	-	133	15373	0	2425	12948
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14412	-	-	14412	40540	44	12066	28474
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-	-	-	-	1748	-	-	2307	18148	-	2341	15807
19	नगालैंड	480	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	794	10424	562	5074	5350
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	1742	-	-	-	-	-	-	-	503	630	-	2875	95556	22518	67514	28042
21	पंजाब	2640	-	-	-	1826	3737	-	317	18445	17	248	87	675	72566	-	-	100558	530285	14709	263245	267040
22	राजस्थान	-	-	-	-	7959	65658	884	3476	32138	-	-	-	-	-	1157	15000	126272	629564	49371	369492	260072
23	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3442	175	2476	966
24	तमिलनाडु	6962	-	-	-	2441	33785	-	-	1358	-	-	-	-	-	-	-	44546	355413	21829	144347	211066
25	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11055	865	10547	508
26	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	24751	880	-	3671	-	-	-	-	-	16429	93800	139531	467828	72985	128291	339537
27	उत्तरांचल	-	9	-	-	-	-	3393	-	8030	-	-	-	-	150102	2869	-	164403	230305	1997	3579	226726
28	पश्चिम बंगाल	-	549	1863	768	-	4849	-	-	2122	-	-	-	1633	29884	2046	-	43714	157211	32	11389	145822
29	पवन उर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3013	-	158	2855
	जोड़	**12918**	**558**	**1863**	**3082**	**34752**	**235367**	**6770**	**14261**	**125137**	**417**	**927**	**282**	**5597**	**429096**	**36467**	**165790**	**1073284**	**6229042**	**403444**	**3102824**	**3126218**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी																	**300015**	**442364**			
	कुटीर ज्योति																	-	**53666**			
	ईसीपी, जलधारा आदि अनुदान																	-	**2986**			
	कुल जोड़																	**1373299**	**6728058**			

सारणी - 9: भुगतान में चूक करने वाले उधारकर्ताओं से 31.3.2007 को अतिदेय राशि का विवरण

(लाख रूपए)

	मणिपुर	अन्य *	**कुल**
1.4.2006 को अतिदेय राशि	7246	18469	25715
वर्ष के दौरान देय राशि (इसमें एनपीए पर ब्याज शामिल है, जिसे लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया)	3111	659848	662959
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1300	653414	654714
31.3.2007 को अतिदेय राशि	9057	24903	33960

* और कुछ दिनों के विलम्ब के कारण भुगतान करने वाले राज्यों की वर्ष के अंत में अस्थायी अतिदेय राशि एवं सहकारी समितियों, निजी उधारकर्ताओं आदि की अतिदेय राशि दर्शाता है।

सारणी 10: वर्ष 2002-03 से आरईसी द्वारा मंजूर प्रमुख विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण का नाम	श्रेणी	मंजूरी का वर्ष	परियोजना की किस्म	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा मंजूर ऋण
	आंध्र प्रदेश							
1	कोनासीमा विद्युत परियोजना	कोनासीमा ईपीएस ऑकवैल पावर लिमिटेड	निजी	2003-04	गैस	445	1383	132.00
2	विजयवाड़ा चरण-iv जिला कृष्णा	एपीजीईएनसीओ	राज्य	2005-06	कोयला	500	2059.34	1560.00
3	आंध्र प्रदेश (काकतीय टीपीपी) में भोपालापल्ली पर 500 मे.वा. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना	एपीजीईएनसीओ	राज्य	2005-06	कोयला	500.0	2059.34	1544.51
	केरल							
4	केरल में जिला कोजिकोड में कुट्टीयाडी विस्तार योजना	केएसईबी	राज्य	2004-05	जल विद्युत	100	220.5	154.35
	मध्य प्रदेश							
5	श्री महेश्वर जल विद्युत प्रा.लि.	मै.श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	निजी	2005-06	जल विद्युत	400	2245.30	250.00
	उत्तरांचल							
6	विष्णु प्रयाग	जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड (प्राइवेट)	निजी	2002-03	जल विद्युत	400	1901.12	114.00
7	उत्तरांचल में टिहरी चरण-1 जल विद्युत परियोजना	टिहरी हाइड्रो डवलैपमेंट कारपोरेशन	राज्य	2005-06	जल विद्युत	1000	7500.32	1860.00
	मेघालय							
8	माइंटडू	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	राज्य	2004-05	जल विद्युत	84	363	254.00
	मिजोरम							
9	सेरलूई-बी	मिजोरम सरकार	राज्य	2002-03	जल विद्युत	12	135.2	80.9

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण का नाम	श्रेणी	मंजूरी का वर्ष	परियोजना की किस्म	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा मंजूर ऋण
	पंजाब							
10	गुरू हर गोबिंद ताप विद्युत परियोजना चरण-।। लेहरा मोहबत	पीएसईबी	राज्य	2003-04	ताप विद्युत	500	1789.67	1610.70
	जम्मू एवं कश्मीर							
11	बगलीहार एचईपी चरण-।	जम्मू एवं कश्मीर पीडीसीएल	राज्य	2003-04	जल विद्युत	450	4000	400.00
	हिमाचल प्रदेश							
12	मलाना ।। एचईपी जिला कुल्लू	एवरेस्ट पावर प्रा. लिमिटेड	निजी	2003-04	जल विद्युत	100	598	328.90
13	किन्नौर जिला हि.प. 230304 में करचम वांगटू एचईपी	जेपी करचम कारपोरेशन लिमिटेड	निजी	2005-06	जल विद्युत	1000	5499	750.00
	छत्तीसगढ़							
14	कोरबा (पूर्वी) ताप विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रा.वि.बोर्ड	राज्य	2003-04	ताप विद्युत	500	2045	1431.00
15	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में 2X250 मे.वा. कोयला आधारित भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना	भिलाई विद्युत आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	राज्य	2004-05	ताप विद्युत	600	2755	1285.00
16	छत्तीसगढ़ में 300 मे.वा. पठाडी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना- यूनिट -। एवं ।।	मैसर्स लेनको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड	निजी	2004-05	ताप विद्युत	300	2631.97	516.57
17	कोरबा (पश्चिमी) ताप विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रा.वि.बोर्ड	राज्य	2006-07	कोयला	600	2597.72	2078.18
	पश्चिम बंगाल							
18	पश्चिम बंगाल में संथालदी ताप विद्युत परियोजना विस्तार 5वी यूनिट	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	2003-04	ताप विद्युत	250	1137.00	955.53
	महाराष्ट्र							
19	भुसावल ताप विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	राज्य	2006-07	ताप विद्युत	1000	4616.00	3693.00
20	वरोरा,एमआईडीसी,चंद्रपुर, महाराष्ट्र में 270 मे.वा. कोयला आधिरत ताप विद्युत परियोजना	मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (केएसके एनर्जी)	राज्य	2007-08	कोयला	270	1110.20	555.00
	सिक्किम							
21	सिक्किम में तीस्ता चरण-।।। जल विद्युत परियोजना	मैसेर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड	सिक्किम सरकार और मैसर्स तीस्ता के बीच संयुक्त क्षेत्र	2006-07	जल विद्युत	1200	5700.00	2100.00
22	सिक्किम में तीस्ता चरण-V। जल विद्युत परियोजना	मैसर्स लेंको एनर्जी लिमिटेड	निजी	2006-07	जल विद्युत	500	3000.00	400.00
	हरियाणा							
23	हरियाणा में 1200 मे.वा. हिसार ताप विद्युत परियोजना	एचपीजीसीएल	राज्य	2006-07	कोयला	1200	4465.06	1536.03

सारणी-11: आरईसी द्वारा वित्तपोषित पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के अंतर्गत 2006-07 के दौरान ऊर्जायित पंपसेट की 31.3.2007 तक संचयी स्थिति

(लाख रूपए)

क्र.सं.	राज्य	2006-07 के दौरान उपलब्धि	31.3.2007 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	68795	1581758
2	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	1922
4	बिहार	-	113354
5	दिल्ली	-	-
6	गोवा	-	-
7	गुजरात	3357	420456
8	हरियाणा	262	223928
9	हिमाचल प्रदेश	-	5913
10	जम्मू एवं कश्मीर	1553	9425
11	झारखंड	-	-
12	कर्नाटक	-	862387
13	केरल	11266	340882
14	मध्यप्रदेश	-	1054108
15	छत्तीसगढ़	-	-
16	महाराष्ट्र	45106	1652769
17	मणिपुर	-	29
18	मेघालय	-	58
19	मिजोरम	-	-
20	नगालैंड	-	164
21	उड़ीसा	-	63015
22	पंजाब	5875	483658
23	राजस्थान	5011	485459
24	सिक्किम	-	-
25	तमिलनाडु	33525	977684
26	त्रिपुरा	-	1530
27	उत्तरप्रदेश	-	379544
28	उत्तरांचल	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	82202
	जोड़	**174750**	**8740243**

सारणी-12 : 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचरियों का समूहवार विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	284 (218)	27 (19)	6 (4)
बी	187 (197)	23 (22)	6 (8)
सी	116 (178)	21 (32)	1 (1)
डी	111 (114)	34 (35)	5 (5)
कुल जोड़	698 (707)	104 (108)	18 (18)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तद्नुरूपी स्थिति दर्शाते हैं)

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचरियों का समूहवार विवरण

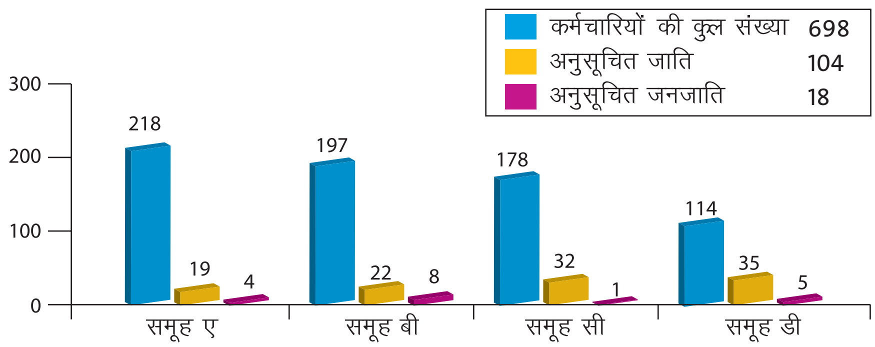

31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचरियों का समूहवार विवरण

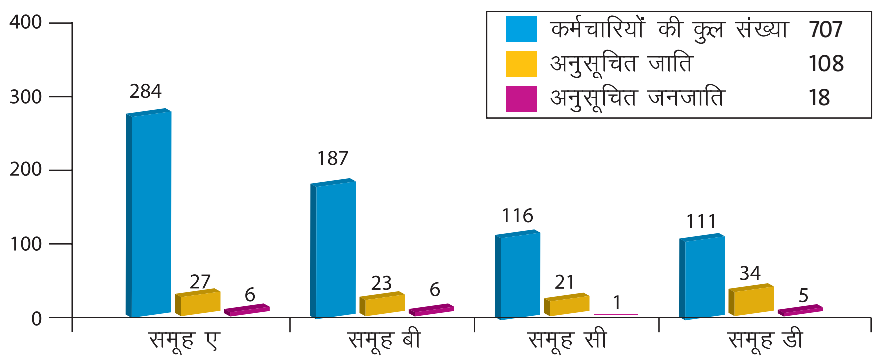

“ºÉJÉ ºÉàÉÉ r

BÉÉÉ ®Éc ÉnJÉÉA

É´ÉBÉÉÉºÉ {ÉlÉ

{É® ¤ÉfiÉ VÉÉA”

अनुबंध:II

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(स्टॉक एक्सचेंज के साथ आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 (एफ)(i)के अनुसरण में)

वहनीय विद्युत की उपलब्धता और पहुंच जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है। योजना परिव्यय निर्धारित करते समय सरकार ने स्वतंत्रता की प्राप्ति से ही इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। परिणामस्वरूप अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता स्वतंत्रता के समय के लगभग 1300 मेगावाट से बढ़कर अब 1,34,716.63 मेगावाट से अधिक हो गई है।

भारत में समग्र विद्युत उत्पादन वर्ष 1992-93 के दौरान 301 बिलियन यूनिट (बीयू)से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 659 बिलियन यूनिट हो गया है। तथापि, यह वृद्धि मांग में वृद्धि अथवा अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान भारत की कुल ऊर्जा कमी 68,341 मिलियन यूनिट अथवा इसकी कुल आवश्यकता का 9.9% थी और भारत की व्यस्ततम कमी 13,610 मिलियन यूनिट अथवा व्यस्ततम मांग आवश्यकता का 13.5% थी।

भारत की अधिष्ठापित क्षमता

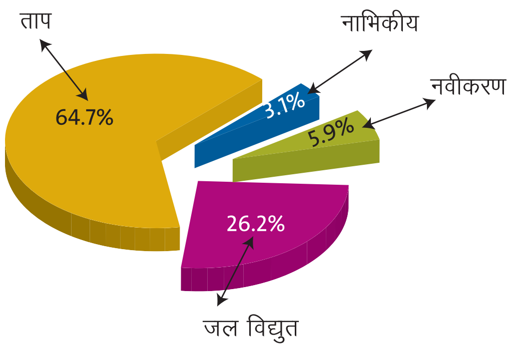

भारत के विद्युत स्रोत

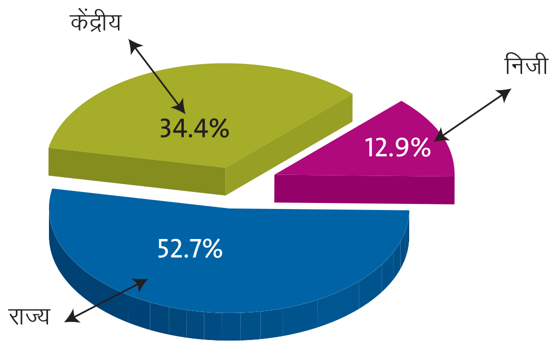

(स्रोतः विद्युत मंत्रालय)

औद्योगिक ढांचा

विद्युत उद्योग के तीन महत्वपूर्ण संघटकों में ये शामिल हैं: विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण

विद्युत उत्पादन

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,32,330 मेगावाट थी। ग्यारहवीं योजना के दौरान बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 78,577 मेगावाट की अभिवृद्धि किए जाने की संभावना है।

(मे.वा.)

क्षेत्र	अधिष्ठापित क्षमता (2007)	क्षमता अभिवृद्धि (2012)
राज्य	70,096	27,952
केंद्रीय	45,121	39,865
निजी	17,113	10,760
जोड़	132,330	78,577

(स्रोतः सीईए)

सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रगतिशील नीतियों की शुरूआत से प्रभावी विद्युत उत्पादन को बल मिला है। विद्युत अधिनियम ने राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन, उनकी परिसंपत्तियों के अलग-अलग विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों के रूप में विभाजन पर जोर दिया है।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 1991 में आरंभ की गई थी, जिसमें मूल्य-निर्धारण प्रणालियों के मानकीकरण, कार्यकुशलता में सुधार और परिसंपत्तियों के उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। तथापि, निजी क्षेत्र की सभी राज्यों में प्रतिक्रिया असमान रही है, फिर भी समग्र आधार पर विद्युत उत्पादन क्षेत्र की नीति ने सीमित सफलता प्राप्त की है, जोकि मुख्यतया राज्य बिजली बोर्डों और उनकी उत्तराधिकारी संस्थाओं की सम्पन्नता की कमी के कारण थी।

हाल ही में, विभिन्न उद्योगों में आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 20,000 मेगावाट से भी अधिक की अधिष्ठापित क्षमता के साथ भारत में आबद्ध विद्युत संयंत्रों वाली लगभग 1627 फैक्टरी हैं। ऐसा अनुमान है कि आबद्ध विद्युत संयंत्रों से विद्युत की मांग अतिरिक्त 1500 मेगावाट से 2000 मेगावाट प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगी।

आबद्ध विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) का बाजार आकार

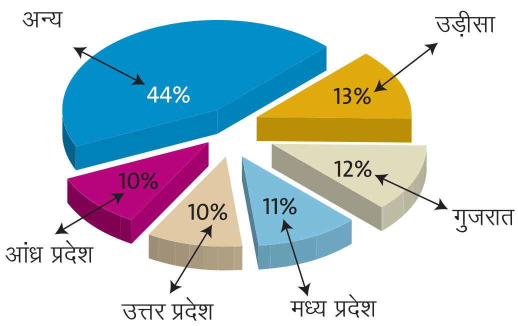

आबद्ध विद्युत संयंत्रों का उद्योग-वार प्रयोग

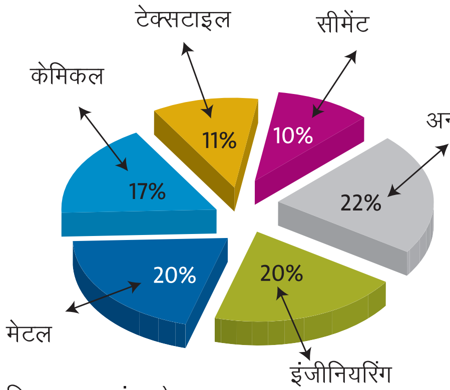

(स्रोतः सिग्नस अनुसंधान)

पारेषणः

भारत में 3 स्तरीय पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) प्रणाली है, जिसमें वितरण नेटवर्क, राज्य ग्रिड और क्षेत्रीय ग्रिड शामिल हैं। इसमें उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में पांच क्षेत्रीय ग्रिड प्रचालनरत हैं।

सरकार की वर्ष 2012 तक 60,000 सीकेएम पारेषण नेटवर्क जोड़कर राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की योजना है, जिससे 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त की निकासी होगी और देश में उत्पादित 60% विद्युत वहन की जाएगी। मौजूदा 9000 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत स्थानान्तरण क्षमता को "ट्रांसमिशन सुपर हाईवेज" की स्थापना द्वारा वित्त वर्ष 2012 तक और बढ़ाकर 30,000 मेगावाट भी किया जाना है।

वर्ष 2006-07 में सरकार ने प्रमुख पारेषण परियोजनाओं में निजी क्षेत्र से निवेश आमंत्रित करने हेतु बिजली अधिनियम के अंतर्गत एक योजना आरंभ की है। इस प्रकार, सरकार ने 14 पारेषण-संबंधी परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।

वितरणः

भारत में बिजली सुधारों के एक दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उद्योग का वितरण खंड कुशल एवं संपन्न नहीं बनता, तब तक विद्युत क्षेत्र की समस्या का कोई भी हल अपर्याप्त रहेगा। राज्य बिजली बोर्डों और राज्य विद्युत संगठनों की ऐतिहासिक तौर पर खराब वित्तीय स्थिति नई विद्युत उत्पादन क्षमता में निवेश करने, पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को अद्यतन करने और कोई तंत्र सुधार आरंभ करने में उनकी योग्यता को प्रभावित करती है। परस्पर आर्थिक-सहायता और संग्रहीत राजस्व तथा आपूर्ति की वास्तविक लागत के बीच बढ़ता अंतर संपूर्ण क्षेत्र के लिए बाधक सिद्ध हुआ है। इसलिए, विद्युत क्षेत्र सुधार प्रक्रिया में वितरण सुधारों पर ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

प्रगतिशील नीतियां

हाल के वर्षों में भारत सरकार (जी ओ आई) ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार पैकेज बिजली अधिनियम, 2003 लागू करना है, जिसने बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विधायी ढांचे को संशोधित कर दिया है और जिसे भारत के विद्युत क्षेत्र के सामने आ रही अनेक समस्याओं का उन्मूलन और बड़े स्तर की विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। बिजली अधिनियम एक केंद्रीय स्वीकृत विधायन है और इसने भारतीय बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विभिन्न विधायन को प्रतिस्थापित करना है। बिजली अधिनियम में सभी मौजूदा विधायन समेकित हैं और इस क्षेत्र में आगे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए प्रावधान किया गया है।

फरवरी, 2005 में अधिसूचित की गई **राष्ट्रीय बिजली नीति** में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

(i) अगले पांच वर्षों में सभी आवासों के लिए बिजली तक पहुंच;

(ii) ऊर्जा और व्यस्ततम कमी पर काबू पाना तथा वर्ष 2012 तक विद्युत की मांग पूर्णतया पूरी करना;

(iii) विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता वाली विद्युत की दक्ष तरीके से तथा तर्कसंगत दरों पर आपूर्ति;

(iv) बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वर्ष 2012 तक 1000 यूनिट से अधिक की वृद्धि करना;

(v) वर्ष 2012 तक यूनिट/आवास/दिन की न्यूनतम आवश्यक खपत की एक अच्छी उपलब्धता प्राप्त करना;

(vi) बिजली क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता; और

(vii) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा।

जनवरी, 2006 के प्रथम सप्ताह में अधिसूचित **राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति** का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ताओं को उचित दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रशुल्क निर्धारण हेतु विनियामक दृष्टिकोण में निरंतरता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। बिजली के लिए जुलाई, 2005 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी आरंभ किया गया है।

विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने और इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए **विद्युत वितरण सुधारों** की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी।

(i) भारत सरकार ने अन्य विभिन्न पहलों के साथ-साथ मुख्यतः सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी लाने और विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने के उद्देश्य से वितरण क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के लिए मार्च, 2003 में **"त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)"** नामक

एक योजना अनुमोदित की थी। इसके परिणामस्वरूप, 212 एपीडीआरपी नगरों में एटीएंडसी हानियों को 20% से भी नीचे तक लाया गया है, जिनमें से 169 नगरों में एटीएंडसी हानियां 15% से भी कम हैं। 11वीं योजना के लिए कार्यदल ने पहले स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने और शेष बचे जिला मुख्यालयों एवं बड़े नगरों को शामिल करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को 11वीं योजना के दौरान एक नए नाम "**त्वरित विद्युत वितरण सुधार कार्यक्रम**" के अंतर्गत जारी रखने की सिफारिश की है।

(ii) **ग्रामीण विद्युतीकरण नीति** 23 अगस्त, 2006 को अधिसूचित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। भारत समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा के स्रोतों से संपन्न है। भारत के लिए ऊर्जा के स्रोत गैस, कोयला, तेल इत्यादि जैसे जीवाश्म-ईंधन, नाभिकीय, जल-विद्युत और सौर पवन, बायोमास, लघु जल-विद्युत, भू-तापीय और ज्वारीय इत्यादि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। प्रत्येक आवास के लिए बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इनका उचित एवं इष्टतम उपयोग किया जा सकता है ।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली आपूर्ति वैश्विक परिवेश में देश में आर्थिक कार्यकलापों को प्रतिस्पर्धी बना देगी। विशेषकर वे उपभोक्ता जो कम लागत पर प्रशुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है, उन्हें गुणवत्ता वाली निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति का हक है।

भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण को लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों इत्यादि में उत्पादक लाभों हेतु एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध करवा कर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। सभी गावों में ग्रामीण आवासों और चूल्हों, दुकानों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली आपूर्ति द्वारा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। इससे ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

समग्र विद्युतीकरण	आवासों की संख्या (मिलियन)	प्रतिशत
विद्युतीकृत आवास	60.18	43.5%
विद्युतीकृत किए जाने वाले आवास	78.09	56.5%
कुल आवासों की संख्या	138.27	100%

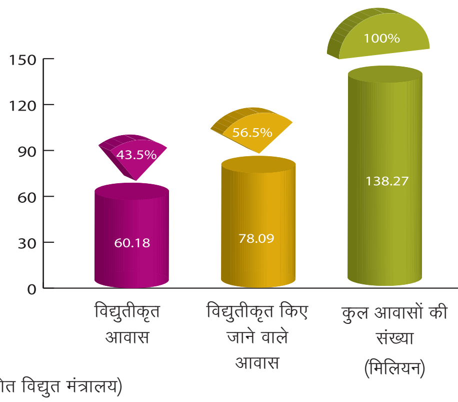

(स्रोत विद्युत मंत्रालय)

(iii) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)** सभी आवासों को पांच वर्षों में बिजली तक पहुंच प्रदान करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई थी।

- कम से कम एक 33/11 केवी उप-केंद्र के साथ ग्रामीण बिजली वितरण आधार (आरईडीबी);
- किसी भी गांव अथवा पुरवा में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण, ढांचे (वीईआई); और
- जहां ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है, वहां पर विद्युत उत्पादन के साथ अकेले ग्रिड परिकल्पना की गई थी।

यह ढांचा सिंचाई पंपसेटों, लघु एवं मध्यम उद्योगों, खादी एवं ग्राम उद्योगों, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यकलापों की जरूरतों को पूरा करेगा। पूंजीगत व्यय के लिए 90% तक आर्थिक-सहायता आरईसी के माध्यम से सारणीबद्ध की गई है, जोकि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है। अविद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) आवासों का विद्युतीकरण सभी ग्रामीण वासस्थलों में 1500/- रूपए प्रति कनेक्शन की दर पर 100% पूंजीगत आर्थिक-सहायता के साथ वित्तपोषित किया गया है। ग्रामीण वितरण का प्रबंध फ्रैंचाइजियों के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं उपलब्ध हैं।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009 तक अनुमानित लगभग 1.25 लाख अविद्युतीकृत गांवों और लगभग 2.34 करोड़ बीपीएल आवासों का विद्युतीकरण तथा सभी ग्रामीण आवासों तक बिजली की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य था। इनमें से एक लाख गांवों को आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रिड से जोड़ने तथा शेष लगभग 25,000 गांवों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कवर किए जाने थे। आरजीजीवीवाई का मूल अनुमानित परिव्यय 16,000 करोड़ रूपए था। दसवीं परियोजना के अंतिम दो वर्षों अर्थात 2005-06 और 2006-07 के लिए 5000 करोड़ रूपए अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2006-07 में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 19758 गांव शामिल थे।

आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत आरईसी द्वारा 566 जिलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त की गई हैं, जिनमें से 68763 अविद्युतीकृत गांवों और 83.1 लाख बीपीएल आवासों को शामिल करते हुए 25 राज्यों के 233 जिलों में 235 परियोजनाएं इस समय क्रियान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 9819 अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 40233 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। वर्ष 2005 में इस योजना की शुरूआत से 6.72 लाख बीपीएल आवासों सहित 7.31 लाख ग्रामीण आवासों को कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पावर ग्रिड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, दामोदर घाटी निगम जैसे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाएं राज्यों को उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके लिए उन्होंने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इन संगठनों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए

हैं। वर्तमानतः, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम(सीपीएसयू) देश में 139 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में अवसर

"सभी के लिए बिजली" सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अगले पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र में 10,00,000 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वर्ष 2009 तक 100% गांवों का विद्युतीकरण और वर्ष 2012 तक 100% आवासों का विद्युतीकरण करने पर बल दिया गया है। इन कार्यक्रमों ने आरईसी के लिए वित्तपोषण के भारी व्यावसायिक अवसर प्रदान किए हैं। "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)" के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होने के नाते आरईसी ग्रामीण भारत में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है।

निगम ने अपने कार्यकलापों के विस्तारण के लिए परंपरागत क्षेत्रों के अलावा वित्तपोषण हेतु नए क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से व्यवसाय विकास के लिए एक अलग से यूनिट की स्थापना की है। व्यवसाय विकास प्रभाग ने भावी व्यवसाय के अवसरों के दोहन हेतु एक पंचवर्षीय व्यवसाय विकास योजना तैयार की है। विश्व बैंक, जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू और अन्यों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मांग और आपूर्ति में भारी अंतर को देखते हुए विद्युत उद्योग के अवसरों में निम्नलिखित शामिल हैः

- सभी खंडों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का क्रियान्वयनः
    - ऊर्ध्व स्तर पर एकीकृत राज्य बिजली बोर्डों का विभाजन;
    - पारेषण एवं वितरण नेटवर्क तक "खुली पहुंच";
    - वितरण परिमंडल का निजीकरण;
    - विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रशुल्क सुधार।
- विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उपलब्ध अवसरः
    - खदान स्थलों अथवा तटीय स्थलों (आयातित कोयला) पर कोयला आधारित संयंत्र;
    - भार केंद्रों पर अथवा गैस टर्मिनलों के निकट प्राकृतिक गैस/सीएनजी आधारित टरबाइन्स;
    - दोहन न की गई 1,50,000 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता;
    - पुराने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों का नवीकरण, आधुनिकीकरण, श्रेणी-उन्नयन और जीवन काल का विस्तार।
- वर्ष 2012 तक अतिरिक्त 60,000 सर्किट कि.मी. पारेषण नेटवर्क की आशा है।
- अपने-अपने राज्य बिजली बोर्डों का विभाजन/निगमीकरण करने वाले तेरह राज्यों में वितरण का निजीकरण करने हेतु अगले 2-3 वर्षों में बोलियां आयोजित किए जाने की आशा है।

चुनौतियां, जोखिम एवं चिंताएं

राज्य बिजली बोर्डों की लगातार कमजोर वित्तीय हालत उनके सुधारों के बावजूद चिंता का विषय बनी हुई है, हालांकि वे लगातार विवेकपूर्ण उधार लेने में सक्षम बन रहे हैं और सभी देय राशि का भुगतान कर रहे हैं।

खंडवार या उत्पादवार कार्यनिष्पादन

निगम एक वित्तीय संस्थान के रूप में राज्य बिजली बोर्डों/ राज्य विद्युत संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता देने के लिए उनके द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न घटकों समेत स्कीमों के लिए ब्याज पर ऋण प्रदान करके संसाधनों में योगदान करता है। आरईसी ने कई ऋण वर्ग पहले ही शुरू किए हैं तथा ऋण लेने वाले विद्युत संगठनों की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल वह उनमें लगातार संशोधन, नवीकरण और विस्तार भी करता रहता है। वर्ष के दौरान आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों का विस्तार करते हुए सरकार द्वारा दिए गए समादेश के अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए निगम ने 32925 करोड़ रूपए की ऋण सहायता स्वीकृत की एवं 13733 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की है। आरईसी की स्वीकृतियों का मुख्य घटक उत्पादन स्कीमों के लिए था, जिसमें 10364 करोड़ रूपए शामिल थे। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 4773 करोड़ रूपए, पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) योजना के अंतर्गत 14204 करोड़ रूपए और अल्पावधि ऋण के अंतर्गत 2205 करोड़ रूपए तथा पूरक ऋण के अंर्तगत 247 करोड़ रूपए और आईसी एंड डी स्कीमों के अंतर्गत 1132 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए। संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 4291 करोड़ रूपए, आरजीजीवीवाई के अधीन 3365 करोड़ रूपए और पारेषण एवं वितरण स्कीमों के लिए 4419 करोड़ रूपए तथा अल्पावधि ऋण हेतु 1658 करोड़ रूपए शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

निगम ने प्रबंधन की नीतियों का पालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी और त्रुटियों को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की सत्यता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित, जहां तक संभव हो सके अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में विभिन्न नीतियां एवं पद्धतियां तैयार की हैं।

लेखापरीक्षा प्रभाग

निगम में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है, जोकि प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रचालनों के व्यापक क्षेत्र कवर करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग भुगतान और व्यय की जांच-पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने और उन्हें रोकने और निगम के वित्तीय तथा तकनीकी रिकार्डों की जांच करने, लेन-देन और प्रचालनों की परिशुद्धता तथा दक्षता में सुधार लाने में सहायता करता है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों, सीआईआरई और निगम मुख्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की द्विवार्षिक, वार्षिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है, जिससे प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने और नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में सहायता मिलती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण जांचों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचनार्थ और लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षाएं भी की जाती हैं।

प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर परिचर्चा

वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत ऋण वर्ष 2005-06 के दौरान 18771 करोड़ रूपए की तुलना में 32925 करोड़ रूपए हो गया। वर्ष के दौरान संवितरण भी वर्ष 2005-06 के 8007 करोड़ रूपए के मुकाबले 13732.99 करोड़ रुपए बढ़ा। वर्ष 2006-07 के दौरान वसूली 6584.67 करोड़ रूपए रही, जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान यह 5434 करोड़ रूपए थी।

- वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने प्रचालन आय में 580.39 करोड़ रूपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2005-06 के दौरान 2071.31 करोड़ रूपए से बढ़ कर 2006-07 में 2651.70 करोड़ रूपए हो गई।
- कर-पूर्व लाभ वर्ष 2005-06 के 829.83 करोड़ रूपए की तुलना में 1006.19 करोड़ रूपए दर्ज किया गया।
- कर-पश्चात् लाभ में वृद्धि 22.75 करोड़ रूपए पर सीमांतिक थी अर्थात् यह गत वर्ष के 637.51 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2006-07 में 660.26 करोड़ रूपए था, जोकि मुख्यतया 116.29 करोड़ रूपए का आस्थगित कर भारित करने और वर्ष 2006-07 में 21.04 करोड़ रूपए के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करने के कारण था।
- वर्ष 2006-07 के दौरान, वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के लिए 448.17 करोड़ रूपए के आस्थगित कर प्रावधान को लेखा में सामान्य प्रारक्षित निधि से उतनी ही राशि अंतरित करके शामिल किया गया था। तथापि, 2000-01 की अवधि के लिए 190.63 करोड़ रूपए के आस्थगित कर को सामान्य प्रारक्षित निधि से आस्थगित कर देयता में अंतरित कर दिया गया है।

नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

मानव संसाधन प्रबंध

आरईसी अपनी कार्यपालक मानवशक्ति का लगातार व्यावसायीकरण कर रहा है और निगम में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्षेत्रों यथा; परियोजना मूल्यांकन, परियोजना वित्तपोषण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण, आंतरिक संसाधन जुटाने इत्यादि में अनुभव एवं जानकारी रखने वाले कार्यपालक तैनात हैं, ताकि बढ़ी हुई व्यापारिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। आरईसी प्रबंधकीय संवर्ग को अधिक मजबूत बनाने हेतु व्यावसायिकों को शामिल करता रहा है। खुले विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के अलावा आरईसी भारत सरकार, विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों और अन्य राज्य विद्युत संगठनों से भी कार्यपालकों को प्रतिनियुक्ति पर शामिल करता रहा है।

दिनांक 31 मार्च, 2007 के अनुसार निगम की कुल मानव शक्ति 698 थी, जिसमें 355 कार्यपालक और 343 गैर-कार्यपालक व्यक्ति शामिल हैं। आरईसी के 51% कार्यपालक इंजीनियरी, प्रबंध, विधि एवं लेखा-पालन सहित अनेक क्षेत्रों में से किसी एक में औपचारिक अर्हता प्राप्त हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान और अगस्त, 2007 तक निगम ने इंजीनियरी, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, विधि इत्यादि के क्षेत्रों में 56 व्यावसायिक प्रबंधकों को शामिल किया है।

देश के विभिन्न भागों और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों और निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निगम के 136 कर्मचारियों को भेजा गया था। इसके अलावा, 190 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौ आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फरवरी-मार्च,2007 के दौरान एओटीएस निगमित प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 2 अधिकारियों को जापान भेजा गया था।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कल्याण पर उचित ध्यान दिया गया। आकर्षक प्रोत्साहनों के भुगतान के अलावा इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों में कर्मचारियों के लाभ हेतु निशुल्क स्वास्थ्य जांच हेतु कैम्प लगाना/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना शामिल हैं। सीडी पैटर्न वाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामले में गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद देख-भाल और गुर्दे की किसी बीमारी का इलाज सहित गुर्दा प्रत्यारोपण को "विशेष रोग" के रूप में शामिल किया गया।

दृष्टिकोण

विद्युत मंत्रालय के अनुसार, भारत को अगले 25 वर्षों के दौरान 8% से 9% की सतत् विकास दर बनाए रखने और सभी नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को अपनी मूल ऊर्जा आपूर्ति में तीन से चार गुना और विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग छह गुना वृद्धि करनी होगी। भारत के अंदर बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अतिरिक्त उन्नत पारेषण एवं वितरण प्रणालियों की जरूरत पड़ेगी, जिनके लिए बहुत अधिक निवेश करना अपेक्षित होगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 78,577 मेगावाट की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, जिस पर 10,31,600 करोड़ रूपए का निवेश किया जाना अपेक्षित होगा।

आरईसी ने गत वर्षों के दौरान सरकार की सतत् सहायता से अपने व्यवसाय परिदृश्य में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। परिणामतः, इसके बकाया ऋण पोर्टफोलियो को ग्रामीण विद्युतीकरण,विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) क्षेत्रों में अच्छी तरह से विविधीकृत किया गया है। 11वीं योजना के लक्ष्यों, विद्युत क्षेत्र सुधारों, नीति संबंधी अधिसूचनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति को देखते हुए भावी संभावनाएं अत्यंत उज्ज्वल हैं। इन सबसे आरईसी को भारतीय विद्युत क्षेत्र के नीति एवं विनियामक ढांचे के विकास में भाग लेते रहने में सहायता मिलेगी। आरईसी सुधार वाली यूटिलिटियों और निजी कंपनियों को निवेश के अवसर प्रदान करके मूलभूत सुधारों को प्रभावित करने में अपनी भूमिका बढ़ाना जारी रखेगा।

“ JÉ¶ÉcÉãÉÉ

BÉEÉ ´ÉÉnÉ

º´ÉÉ{xÉãÉ भविष्य

BÉEÉ ´ÉÉnÉ ”

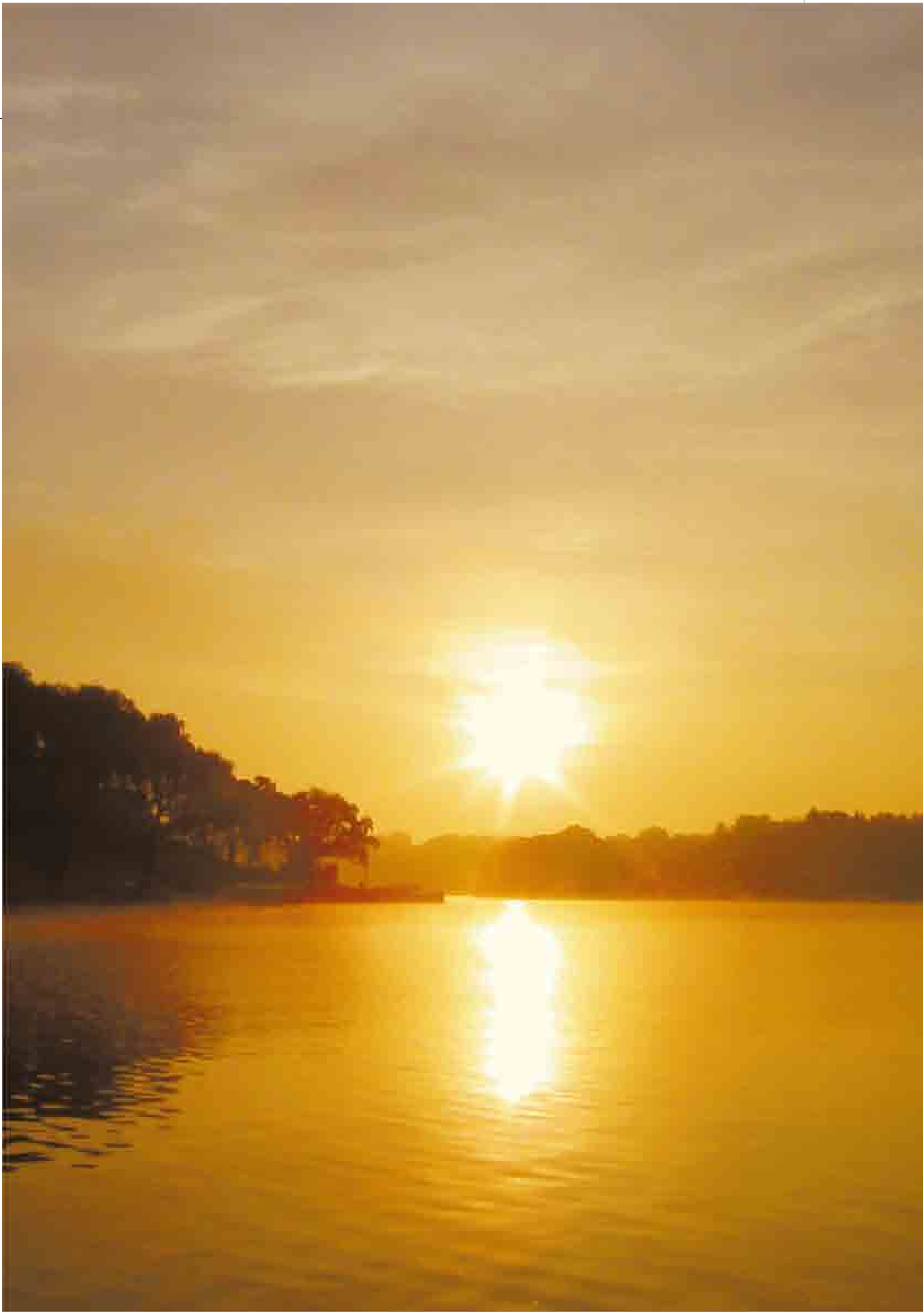

अनुबंध-III

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

आरईसी की पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार या भारत सरकार के प्रतिनिधि के पास होने के कारण यह एक सरकारी कंपनी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसके कुछ ऋण पत्रों की श्रृंखलाओं के सूचीबद्ध होने के कारण भी यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। सेबी द्वारा 1.11.2004 को अधिसूचित और आरईसी पर लागू आदर्श सूचीकरण करार के अनुसार निगमित सुशासन से संबंधित करार का खंड 2.18 कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। तथापि, निदेशक मंडल ने निर्णय किया है कि आरईसी निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखगा और अतिरिक्त अपेक्षाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करने का प्रयास करेगा। तद्नुसार, करार के खंड 2.18 में किए गए प्रावधान के अनुसार निगमित सुशासन के संबंधित पहलुओं का नीचे उल्लेख किया गया है:-

सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा करने, उनको प्रोन्नत करने एवं उनका संरक्षण करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और वितरण तंत्र संबंधी परियोजनाओं को प्रोन्नत करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी ग्रामीण और अर्धशहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

निदेशक मंडल

(क) बोर्ड की संरचनाः आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली में न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 निदेशकों का प्रावधान है।

वर्तमान में आरईसी के निदेशक मंडल में 5 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 3 प्रकार्यात्मक निदेशक हैं और 2 गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, जो कि भारत सरकार के नामिती हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित निदेशक आरईसी के निदेशक मंडल में थेः-

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री ए. के. लखीना	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकंद	-	निदेशक (तकनीकी)

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री अरविंद जाधव	-	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय(13.3.2007 से निदेशक नहीं रहे)
श्री एम. साहू	-	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
श्री जयंत कावले	-	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय(दिनांक 13.3.2007 से श्री अरविंद जाधव के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त)

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इस समय आरईसी पर लागू नहीं होते, क्योंकि आरईसी की ऋण प्रतिभूतियां/बांड सार्वजनिक अथवा राइट्स इश्यू के माध्यम से जारी नहीं किए जाते और ये केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाते हैं

तथापि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अनुमोदन के अनुसार आरईसी को मिनी रत्न, श्रेणी-1 का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसलिए, आरईसी को कम से कम तीन गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना है, ताकि यह लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के अनुसार मिनी रत्न सरकारी उद्यमों के लिए लागू प्राधिकारों के बढ़े हुए प्रत्यायोजन का प्रयोग करने के लिए पात्र हो सके।

किसी भी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य छूट के साथ पठित आरईसी के संस्था - अंतर्नियमावली की शर्तों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित संख्या में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है, जोकि निदेशक मंडल के निर्णयों में अपने संबंधित क्षेत्र में मूल्यवान योगदान कर सकें और इस अनुरोध पर उनके द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण

इस समय गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क/प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वे भारत सरकार के नामित अधिकारी हैं।

बोर्ड और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) **वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा**

बैठक की तारीख	बोर्ड की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
21 अप्रैल, 2006	5	4
1 जून, 2006	5	5
20 जुलाई, 2006	5	5
21 जुलाई, 2006 (स्थगित बैठक)	5	5
24 जुलाई, 2006(दूसरी स्थगित बैठक)	5	5
30 अगस्त, 2006	5	4
29 सितंबर, 2006	5	4
26 अक्तूबर, 2006	5	5
13 दिसंबर, 2006	5	5
11 जनवरी, 2007	5	5
15 जनवरी,2007 (स्थगित बैठक)	5	3
19 जनवरी, 2007(दूसरी स्थगित बैठक)	5	2
1 मार्च, 2007	5	4
29 मार्च, 2007	5	5

इस अवधि के दौरान आयोजित किन्हीं दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतराल 3 महीने से कम था।

(ii) वर्ष 2006-07 के दौरान निदेशकों के पदनामों, उनकी श्रेणी, बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या, पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति और उनके द्वारा अन्यत्र धारित निदेशक पद/समिति की सदस्यता (यथा लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र. सं.	निदेशक (श्रेणी)	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें (स्थगित बैठकों सहित)	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें वे उपस्थित थे (स्थगित बैठकों सहित)	पिछले वार्षिक महासभा में उपस्थिति (22.09.06 को आयोजित)	अन्य निदेशक पदों की संख्या (31.03.2007 के अनुसार)	अन्य कंपनियों में दूसरी समितियों की सदस्यता की संख्या(31.03.2007 के अनुसार)	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री ए. के. लखीना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (टिप्पणी 1 देखें)	14	14	हां	1	शून्य	शून्य
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा (निदेशक-वित्त)	14	14	हां	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री बाल मुकंद (निदेशक-तकनीकी)	14	12	हां	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री अरविंद जाधव (सरकारी निदेशक) (टिप्पणी 2 देखें)	13	9	हां	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
5.	श्री एम. साहू (सरकारी निदेशक) (टिप्पणी 3 देखें)	14	10	नहीं	12	2	4
6.	श्री जयंत कावले (सरकारी निदेशक) (टिप्पणी 4 देखें)	1	1	भाग नहीं लिया	1	शून्य	शून्य

टिप्पणी 1: श्री ए.के. लखीना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के दूसरे निदेशक पद के ब्योरे
(i) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड-अध्यक्ष एवं निदेशक

टिप्पणी 2: विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 13.3.2007 के अनुसार श्री अरविंद जाधव निदेशक के पद पर नही रहे।

टिप्पणी-3 श्री एम. साहू द्वारा धारित निदेशक के पद/समितियों की सदस्यता का ब्योराः

निदेशक का पद

(i) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन(एनटीपीसी)
(ii) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन(टीएचडीसी)
(iii) सतलुज जल विद्युत निगम लि.(एसजेवीएनएल)
(iv) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(v) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी)
(vi) राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी)
(vii) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (एनएमएफडीसी)
(viii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
(ix) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
(x) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
(xi) ट्राईबल को-ऑप्रेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआरआईएफईडी)
(xii) आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. ऑफ इंडिया लि.।

समिति की सदस्यता

(i) एनटीपीसी लिमिटेड- (क) लेखापरीक्षा समिति - सदस्य (ख) शेयरधारक शिकायत समिति - अध्यक्ष
(ii) टीएचडीसी - लेखापरीक्षा समिति - सदस्य
(iii) एसजेवीएनएल-लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष
(iv) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - (क) लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष (ख) शेयरधारक शिकायत समिति - अध्यक्ष

टिप्पणी-4 श्री जयंत कावले को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 13.3.2007 के कार्यालय आदेश के अनुसार श्री अरविंद जाधव के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया ।

श्री जयंत कावले द्वारा धारित निदेशक पद के ब्यौरे :

निदेशक का पदः

(i) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

3. लेखा परीक्षा समिति

(क) संरचना और विचारार्थ विषय

निगम की लेखापरीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, जिनमें से 2 गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक और 1 प्रकार्यात्मक निदेशक है।

समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-क में उल्लिखित और सेबी द्वारा अधिसूचित आदर्श सूचीकरण करार के अधीन लागू के अनुसार हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान श्री अरविंद जाधव के स्थान पर दिनांक 13.3.2007 को श्री जयंत कावले को निदेशक नियुक्त किया गया। श्री अरविंद जाधव के निदेशक के पद पर न रहने के परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और दिनांक 31 मार्च, 2007 के अनुसार पुनर्गठित लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थेः-

1. श्री एम. साहू - अध्यक्ष (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)
2. श्री जयंत कावले - सदस्य (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)
3. श्री बाल मुकंद - सदस्य (प्रकार्यात्मक निदेशक)

बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2006-07 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 बैठकें दिनांक पहली जून, 2006, 31 जुलाई, 2006, 30 अगस्त, 2006, 26 अक्तूबर, 2006, 11 दिसंबर, 2006 और 2 फरवरी, 2007 को आयोजित की गई थी

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. साहू	6	5
श्री अरविंद जाधव	6	5
श्री बाल मुकंद	6	6
श्री जयंत कावले	कोई नहीं	भाग नहीं लिया

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

पारिश्रमिक समिति

वर्तमान में आरईसी के संस्था-अंतर्नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और/या अन्य भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, निगम सुशासन कोड के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैः-

कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योराः

(लाख रूपए)

क्र.सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	बोनस/ कमीशन	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन *	जोड़
1.	श्री ए. के. लखीना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	695497	221441	शून्य	252239	1169177
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा निदेशक (वित्त)	1410987	275483	शून्य	368836	2055306
3.	श्री बाल मुकंद निदेशक (तकनीकी)	1144596	263057	शून्य	375249	1782902

* कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान आरईसी की कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना के अनुसार किया जाता है।

निवेशक शिकायत समिति

वर्ष 2006-07 के दौरान, श्री अरविंद जाधव के निदेशक पद से हट जाने के बाद उनके स्थान पर श्री जयंत कावले को 13.3.2007 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री अरविंद जाधव के हट जाने के बाद निवेशक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया और 31 मार्च, 2007 के अनुसार पुनर्गठित निवेशक शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः-

1. श्री जयंत कावले - अध्यक्ष (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)
2. श्री एम. साहू - सदस्य (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)
3. श्री एच डी खुंटेटा - सदस्य (प्रकार्यात्मक निदेशक)

निवेशकों की शिकायतों पर निगम द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) द्वारा नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है, जिसका समन्वय कार्य निगम के वित्त प्रभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान, शिकायत प्रक्रिया और निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए निवेशक शिकायत समिति की दो बैठकें 20 जुलाई, 2006 और 29 मार्च, 2007 को आयोजित की गई थी।

वार्षिक महासभा

संख्या	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
35th	2003-04	पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,नई दिल्ली-110003	16 सितंबर, 2004 अपराह्न 12.30 बजे	नहीं
36th	2004-05	पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	22 सितंबर, 2005 अपराह्न 3.00 बजे	हां
37th	2005-06	पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड,, नई दिल्ली-110003	22 सितंबर, 2006 अपराह्न 4.00 बजे	नहीं

प्रकट की गई बातें (डिस्क्लोजर)

- महत्वपूर्ण पार्टी संबद्ध लेन-देन का प्रकटीकरण, जिसका कुल मिलाकर कंपनी के हितों से भारी विवाद उत्पन्न हो सकता है। शून्य
- विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने, पूंजीगत बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी एवं किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्मानों, भर्त्सना किए जाने का ब्योरा। शून्य

संप्रेषण के साधन

निगम के तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं तथा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाता है। ये परिणाम निगम की वेबसाइट -www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सामान्य शेयर धारकों को सूचना

निगम की पूर्ण प्रदत्त : शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति तथा उसके नामित व्यक्तियों के पास है। वार्षिक महासभा का विवरण उपर्युक्त (6) में दिया गया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 30 मई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2006-07 के लिए 177 करोड़ रूपए के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

निगमित सुशासन

पर प्रमाण पत्र

कंपनी की पंजीकरण संख्या	:	5095
प्राधिकृत पूंजी	**:**	**1200 करोड़ रूपए**

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित सभी संगत रिकार्डों की जांच कर ली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आदर्श सूचीकरण करार की धारा 2 वर्तमान में निगम पर लागू नहीं है, क्योंकि निगम ने सार्वजनिक अथवा राइट्स इश्यू के जरिए कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। तथापि, निगम ने इसके बाद निगमित सुशासन से संबंधित आदर्श सूचीकरण करार के उप-खंड 2.18 का पालन करने और उक्त खंड में उल्लिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का एक चरणबद्ध तरीके से पालन करते रहने का निर्णय किया है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा इसके बारे में अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में और हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पन्न उपर्युक्त आदर्श सूचीकरण करार में दी गई अनिवार्य अपेक्षाओं का कुल मिलाकर अनुपालन किया है।

तथापि, यह देखा गया है कि आदर्श सूचीकरण करार के उप-खंड 2.18 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं। हमें सूचित किया गया था कि निदेशकों की नियुक्ति, जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। निगम ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ यह मामला उठाया है। इसके अलावा, निगम द्वारा यथा गठित बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में दो गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक (सरकारी नामिति) और एक प्रकार्यात्मक निदेशक है तथा लेखापरीक्षा समिति में कोई भी स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या कारगरता के लिए कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एस.सी. चौधरी)
भागीदार
सदस्य सं.82023

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04 अगस्त,2006

“ |ÉBÉÉÉ¶É BÉÉÉ àÉ¶ÉÉãÉ ºÉ
VÉMÉàÉMÉ cÉ
BÉÉÉÉ]-BÉÉÉÉ] ØnªÉÉ BÉÉÉ
+ÉÉBÉÉÉFÉÉA ”

31 मार्च, 2007 को यथास्थिति तुलन-पत्र

(लाख रूपए)

	अनुसूची संख्या	31.3.2007 को	31.3.2006 को
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	1	78,060.00	78,060.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	323,211.09	341,773.00
		401,271.09	419,833.00
ऋण निधियां:			
रक्षित ऋण	3	2,653,397.19	2,174,958.82
अरक्षित ऋण	4	374,702.94	228,962.65
		3,028,100.13	2,403,921.47
आस्थगित कर देयता	8	73,966.79	-
जोड़		3,503,338.01	2,823,754.47
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां:	5		
सकल ब्लॉक		6,755.42	3,480.85
घटाएं मूल्यह्रास		1,218.46	1,105.56
निवल ब्लॉक		5,536.96	2,375.29
चालू पूंजीगत कार्य		826.01	4,063.82
निवेश	6	119,453.88	132,499.09
ऋण	7	3,209,910.10	2,532,560.93
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	8	-	1,542.20
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशि:	9		
नकद और बैंक में शेष		229,726.89	191,364.46
अन्य चालू परिसंपत्तियां		31,235.87	30,566.61
ऋण एवं अग्रिम राशि		23,648.97	99,737.36
		284,611.73	321,668.43
घटाएं: चालू देयताएं एवं प्रावधान:	10		
देयताएं		71,446.93	59,133.07
प्रावधान		45,553.74	111,822.22
		117,000.67	170,955.29
निवल चालू परिसंपत्तियां		167,611.06	150,713.14
जोड़		3,503,338.01	2,823,754.47
खातों पर टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 और महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां लेखा का अभिन्न अंग है।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्य संख्या. 91007.

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2007

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(लाख रूपए)

	अनुसूची संख्या	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से आय (निवल आय)	11	265,169.55	207,130.85
अन्य आय	12	20,230.38	17,375.40
जोड़		285,399.93	224,506.26
ब्याज एवं अन्य प्रभार	13	174,089.41	133,960.25
स्थापना संबंधी व्यय	14	4,981.57	4,250.44
प्रशासनिक व्यय	15	1,435.04	1,519.40
बांड/ऋण दस्तावेज जारी करने पर हुआ खर्च	16	2,389.01	1,616.77
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		2,104.45	-
निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-	51.00
मूल्यह्रास		112.89	109.92
जोड़		185,112.37	141,507.78
वर्ष के दौरान लाभ		100,287.56	82,998.47
जोडिए: पूर्वावधि समायोजन (निवल)	17	331.68	15.44
कर-पूर्व लाभ		100,619.24	82,983.03
कर के लिए प्रावधान:			
कर-चालू वर्ष		21,482.25	17,280.64
कर-पूर्ववर्ती वर्ष		1,414.60	3,266.74
आस्थगित कर-चालू वर्ष		11,629.12	(1390.69)
आस्थगित कर-पूर्ववर्ती वर्ष		44,817.00	-
घटाइए: सामान्य प्रारक्षित से अंतरित		(44817.00)	-
अनुषंगी हित लाभ कर		67.18	75.28
जोड़		34,593.15	19,231.97
कर पश्चात लाभ		66,026.09	63,751.07
जोडिए: बट्टे खाते डाला गया बांड पुनर्विमोच्य प्रारक्षित		-	8,850.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		66,026.09	72,601.07
विनियोजन:			
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरित		34,500.00	26,500.00
आशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयकर अधिनियम,1961की धारा 36(1)(viiए) के अधीन प्रारक्षित निधि		3,400.00	2,750.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		17,700.00	10,126.00
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		-	9,000.00
निगमित लाभांश कर			
- प्रस्तावित लाभांश		3,008.12	1,420.17
- अंतरिम लाभांश		-	1,262.25
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित		7,200.00	21,100.00
तुलनपत्र में लाया गया अधिशेष		217.97	442.65
जोड़		66,026.09	72,601.07
प्रति शेयर आय 10/- रूपए मूल एवं तदनुकूल		8.46	8.17
खातों पर टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 और महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां लेखा का अभिन्न अंग हैं।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

राजीव वधावन	**बी.आर. रघुनंदन**	**एच.डी खुंटेटा**	**ए.के.लखीना**
भागीदार	**कंपनी सचिव**	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
सदस्य संख्या. 91007.		.	

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 **मई**, 2007

अनुसूची '1' - शेयर पूंजी

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
प्राधिकृत		
प्रति 10 रूपए के 1200,000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1200,000,000)	**120,000.00**	120,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रूपए के पूर्णतया प्रदत्त 780,600,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 780,600,000)	**78,060.00**	78,060.00
जोड़	**78,060.00**	78,060.00

अनुसूची '2' - आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रूपए)

	01.04.2006 को अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	31.03.2007 को इति शेष
क) पूंजी प्रारक्षित निधि (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
ख) वित्तीय वर्ष 1996-97 तक आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि	5,173.77	-	-	**5,173.77**
ग) वित्तीय वर्ष 1997-98 से आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि	184,606.00	34,500.00	-	**219,106.00**
घ) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1) (viiए)के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रारक्षित निधि	17,169.13	3,400.00	-	**20,569.13**
ड.) सामान्य प्रारक्षित निधि	122,231.04	7,200.00	63,879.87	**65,551.17**
च) अधिशेष	2,093.06	217.97	-	**2,311.02**
जोड़	341,773.00	45,317.97	63,879.87	323,211.09
गत वर्ष	299,830.35	50,792.65	8,850.00	341,773.00

अनुसूची '3' - रक्षित ऋण

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
सावधि ऋण (राज्य बिजली बोर्डों/ राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए रक्षित)		
सिंडिकेट बैंक	**20,000.00**	20,000.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**9,700.00**	9,700.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**10,000.00**	10,000.00
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	**25,000.00**	25,000.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**25,000.00**	25,000.00
केनरा बैंक	**20,000.00**	20,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**42,500.00**	42,500.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**20,000.00**	20,000.00
सेंट्रल बैंक	**20,000.00**	20,000.00
सावधि जमा के प्रति ओवर ड्राफ्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक के पास जमा 110 करोड़ रूपए की एफडीआर के प्रति रक्षित)	**10,000.00**	20,500.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स(गत वर्ष बैंक के पास जमा 233 करोड़ रूपए की एफडीआर के प्रति रक्षित)		
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) से ऋण (राज्य बिजली बोर्डों/ राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए रक्षित)	**350,000.00**	350,000.00
बांडों के माध्यम से ऋण		
(संचयी और गैर-संचयी)		
(राज्य बिजली बोर्डों/ राज्य विद्युत निगमों इत्यादि को दिए गए अग्रिम विनिर्दिष्ट ऋणों के विरूद्ध चार्ज द्वारा रक्षित और महाराष्ट्र एवं दिल्ली में अचल संपत्तियों पर संबंधित न्यासियों की संतुष्टि और प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तों पर)		
I. **कर मुक्त रक्षित बांड**		
क) दीर्घावधि अवधि		
41वीं श्रृंखला		
8.25% 22.02.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**7,500.00**	7,500.00
53वीं श्रृंखला		
7.10% 23.03.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**5,000.00**	5,000.00

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
II. कर योग्य सुरक्षित बांड		
क) अल्प अवधि		
52वीं श्रृंखला 11.40% 15.12.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	26,300.00
62वीं श्रृंखला 8.35% 07.03.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	16,270.00
76वीं श्रृंखला 6.00% 15.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**32,000.00**	102,000.00
ख) दीर्घ अवधि		
64वीं श्रृंखला 6.90% 27.09.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**24,000.00**	24,000.00
66वीं श्रृंखला 6.00% 31.01.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**27,400.00**	27,400.00
69वीं श्रृंखला 6.05% 23.01.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**66,920.00**	66,920.00
72वीं श्रृंखला 6.60% 18.08.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**38,570.00**	58,550.00
73वीं श्रृंखलीं 6.90% 08.10.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**23,390.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला 7.20% 17.03.2015 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**50,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला 7.30% 30.06.2015 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला 7.65% 31.01.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**179,570.00**	179,570.00
79वीं श्रृंखला 7.85% 14.03.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला 8.20% 20.03.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला 8.85% 20.01.2017 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**31,480.00**	-
पूंजी अभिलांभ बांड		
श्रृंखला-। पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**43,295.30**	62,089.48
श्रृंखला-2 पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**22,121.10**	34,625.35
श्रृंखला-3 पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**24,971.10**	136,236.80
श्रृंखला-4 पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**228,949.80**	228,949.80
श्रृंखला-5 पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**339,321.78**	233,999.90

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
श्रृंखला-6 पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**449,421.30**	-
श्रृंखला-6ए पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**285,868.00**	-
इंफ्रास्ट्रक्चर बांड		
श्रृंखला-I एवं II इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**3,215.25**	3,524.75
श्रृंखला-III इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**806.00**	1,617.15
श्रृंखला-IV इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय	**18,847.56**	18847.56
बांड एप्लीकेशन मनी-कैपिटल गेन बांड/इंफ्रा · बांड	-	106,918.03
कुल रक्षित ऋण	2,653,397.19	2,174,958.82
अगले वर्ष के भीतर वापसी अदायगी/पुनर्विमोचन के लिए देय	110,631.60	शून्य

अनुसूची 3 के संबंध में टिप्पणीः-

क) 52वीं और 62वीं श्रृखलां निगम करते कॉल ऑप्शन के प्रयोग करते हुए दिनांक 15.06.2006 और 07.03.2007 को विमोचित की गई थी।

ख) बांडों की 64वीं, 66वीं, और 72वीं श्रृखलांएं 5 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 27.9.2007, 31.1.2008 और 18.08.2009 में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर हैं। बांड श्रृखलां 72वीं श्रृखलां के बांडों के एचडीएफसी बैंक द्वारा धारित 199.80 करोड़ रूपए शेष परिपक्वता अवधि के लिए समान राशि के स्वच्छ ऋण पर एचडीएफसी बैंक द्वारा विचार करने पर पुनः खरीद प्रबंध के अधीन 31.03.2007 को विमोचित किए गए।

ग) 69वीं, 73वीं और 77वीं श्रृखलांएं क्रमशः छठे, सातवें, आठवें, नौंवे और दसवें वर्ष के अंत में 5 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

घ) बांडों की 75वीं श्रृखलां एसटीआरपीपी के माध्यम से 5-1/2 वर्ष से 10 वर्ष तक अर्द्ध वार्षिक अंतराल पर 10 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय होगी।

ड.) 76वीं श्रृखलां आबंटन की संभावित तारीख अर्थात 15.3.2005 से 18वें महीने के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर है। 700 करोड़ रूपए के बांडों के बांड धारकों ने 15.09.2006 को पुट ऑप्शन का प्रयोग कर लिया है। 76वीं श्रृखलां 15.03.2008 को प्रतिदेय है।

च) बांडों की 78वीं, 79वीं, 80वीं और 81वीं श्रृखलांएं 10 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 31.1.2016, 14.3.2016, 20.3.2016 और 20.01.2017 को सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

छ) 220 लाख रूपए के बांड आरईसी सीपी फंड ट्रस्ट द्वारा धारित रखे गए हैं।

ज) पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड 5.15% से 8.70% की दरों पर देय छमाही/वार्षिक और संचयी भुगतान पर 3/5/7 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन बांडों पर 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा है। चालू वर्ष (2006-07) में श्रृखलां vi के पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड 5.5% पर 5 वर्षों के लिए और श्रृखलां viए के 5.25% की दर से वार्षिक भुगतान पर 3 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बांड 6.00% से 9.00% के बीच विभिन्न ब्याज दरों पर 3 से 7 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक भुगतान के आधार पर जारी किए गए थे। इन बांडों पर आबंटन की तारीख से 3/5 वर्ष के अंत में पुट ऑप्शन की सुविधा है। पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड और इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों को आरईसी की अचल परिसंपत्तियों को न्यासियों की अपेक्षा के अनुसार कानूनी बंधन द्वारा सुरक्षित रखा गया है। इन अचल परिसंपत्तियों और प्राप्तियों का अंकित मूल्य 38.50 लाख रूपए हैं। यह प्रभार न्यासियों के हक में कंपनी पंजीयक के साथ सृजित किया गया है।

अनुसूची '4' - अरक्षित ऋण

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
भारत सरकार से	**10,048.44**	11,997.16
सावधि ऋण		
केनरा बैंक	**40,000.00**	20,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	**75,000.00**	25,000.00
यूको बैंक	**20,000.00**	20,000.00
इंडियन बैंक	**-**	20,000.00
कारपोरेशन बैंक	**32,500.00**	38,500.00
एचडीएफसी बैंक	**19,980.00**	-
नकद ऋण सीमा		
कारपोरेशन बैंक	**-**	10,000.00
इंडियन बैंक	**30,000.00**	-
केनरा बैंक	**-**	20,000.00
विदेशी वाणिज्यिक उधार		
(क) **दीर्घावधिक**		
बैंकों से विदेशी मुद्रा समूह ऋण -I	**87,209.00**	-
बांडों के माध्यम से ऋण		
(ए) (**गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा**)		
(क) **लघु अवधि**		
31वीं श्रृंखला		
13.85% 13.09.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**-**	3,500.00
24वीं श्रृंखला		
13% 17.02.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**5,502.00**	5,502.00
35वीं श्रृंखला		
12.3% 26.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**5,497.50**	5,497.50
(ख) **दीर्घ अवधि**		
18वीं श्रृंखला		
11.5% 12.12.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**6,858.00**	6,858.00
21वीं श्रृंखला		
11.5% 29.12.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**6,908.00**	6,908.00
22वीं श्रृंखला		
11.5% 27.12.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**4,900.00**	4,900.00
23वी श्रृंखला-1		
12% 05.12.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-2		
12% 21.02.2012 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**3,035.00**	3,035.00
(ग) **अन्य बांड**		
74वीं श्रृंखला		
7.22% 31.12.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**25,000.00**	25,000.00
कुल अरक्षित ऋण	**374,702.94**	228,962.65
अगले वर्ष के भीतर वापसी अदायगी/पुनर्विमोचन के लिए देय	45,999.50	5,448.72

टिप्पणी:–

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार आरईसी लिमिटेड, सीपी फंड ट्रस्ट द्वारा 4.00 लाख रूपए की राशि के बांड रखे गए हैं।

अनुसूची '5' - वर्ष 2006-07 की अचल परिसंपत्तियों का सारांश

(लाख रूपए)

अचल परिसंपत्तियां	सकल आय				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	1.04.06 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.3.07 को	31.03.06 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान संवितरित/ बट्टे खाते डाला गया	31.03.07 तक	31.03.07 को	31.03.06 को
फ्री होल्ड भूमि	80.03	3,166.92	-	**3,246.95**	**-**	-	-	**-**	**3,246.95**	80.03
लीज होल्ड भूमि	145.51	-	-	**145.51**	**9.86**	1.46	-	**11.32**	**134.18**	135.64
भवन	2,174.74	9.72	11.37	**2,173.09**	**395.43**	32.88	-	**428.31**	**1,744.78**	1,779.31
फर्नीचर एवं फिक्सचर	360.02	27.06	0.34	**386.74**	**210.00**	21.15	-	**231.15**	**155.59**	150.03
ईडीपी उपकरण	371.50	70.75	-	**442.25**	**274.80**	37.11	-	**311.91**	**130.34**	96.70
कार्यालय उपकरण	249.08	11.23	0.24	**260.07**	**152.93**	11.10	-	**164.03**	**96.04**	96.15
वाहन	98.16	-	0.89	**97.27**	**61.66**	8.78	-	**70.44**	**26.83**	36.50
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां **(कम्प्यूटर साफ्टवेयर)**	1.83	1.71	-	**3.54**	**0.89**	0.41	-	**1.30**	**2.25**	0.95
कुल जोड.	3,480.87	3,287.39	12.84	6,755.42	1,105.56	112.89	-	1,218.46	5,536.96	2,375.30
गत वर्ष	3,418.35	71.48	9.00	3,480.85	1,003.81	109.92	8.19	1,105.56	2,375.29	2,414.54
चालू पूंजीगत कार्य	4,063.82	4.31	3,242.12	826.01	-	-	-	-	826.01	4,063.82
गत वर्ष	140.54	3,923.29	-	4,063.82	-	-	-	-	4,063.82	140.54

टिप्पणी : अन्य अमूर्त (इंटेजीबल) परिसंपत्तियों में बाहर से ए एस-26 की शर्तों के अनुसार खरीदे गए सफ्वेयर शामिल हैं और इन्हें पांच वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।

अनुसूची '6' - निवेश

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
दीर्घावधि (अनुद्धृत) **गैर-कारोबार निवेश**		
8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड-।।	**117,900.00**	132,048.00
दिनांक 01.04.2005 से लागू 30 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में परिपक्व (प्रति 4716 लाख रू. के अंकित मूल्य के 25 बांड) (गत वर्ष के प्रति 4716 लाख रू. के अंकित मूल्य के 28 बांड)		
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" निधि 1,59,90,942 यूनिट 9.686 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य(एनएवी) पर "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" निधि 50,20,900 यूनिट 8.98 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य(एनएवी)पर (10/-रू. प्रति यूनिट अंकित मूल्य)	**1,548.88**	451.09
सहायक कंपनी - आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि. परन्तु प्रत्येक 10/-रू. के 50000 इक्विटी शेयर प्रदत्त (गत वर्ष-शून्य)	**5.00**	-
जोड़	**119,453.88**	132,499.09

अनुसूची '7' - ऋण

(लाख रूपए)

		31.3.2007 को		31.3.2006 को	
(i)	राज्य बिजली बोर्डों/निगम, सहकारिताएं एवं राज्य सरकारें संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा अरक्षित, अच्छे और गारंटीशुदा समझे जाने वाले		**1,786,639.61**		1,842,016.82
(ii)	राज्य बिजली बोर्डों/निगम (संबद्ध राज्य बिजली बोर्डों/ निगमों के पास सामग्री को गिरवी रख कर रक्षित किए गए)				
	अच्छे माने गए		**1,087,506.85**		542,176.11
	संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किए गए	**140.99**		140.99	
	घटाएं : संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	**70.50**	70.49	70.50	70.50
(iii)	अन्य (मूर्त संपत्ति को गिरवी रखकर रक्षित) अच्छे माने गए		**44,837.74**		35,948.45
	संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किए गए	**15,349.57**		2,854.99	
	घटाएं : संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	**4,104.45**	**11,245.12**	2,000.00	854.99
(iv)	अन्य (अरक्षित)-अच्छे माने गए।		**191,743.45**		33,230.90
(v)	ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज		**1,196.95**		118.52
(vi)	पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर अर्जित ब्याज		**86,669.90**		78,144.64
	जोड़		**3,209,910.10**		2,532,560.93

अनुसूची '8' - आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियां)

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को		31.3.2006 को	
आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियां) का अथ शेष	**(1542.20)**			**(151.51)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि				
- पिछले वर्षों के लिए सामान्य प्रारक्षित निधि से	**63879.87**	-		
- चालू वर्ष के लिए लाभों से	**11629.12**	73966.79	**(1390.69)**	**(1390.69)**
जोड़		**73966.79**		**(1542.20)**

अनुसूची '9' - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशि

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को		31.3.2006 को	
I **चालू परिसंपत्तियां**				
क) **नकद और बैंक में जमा राशि :**				
(i) मौजूद/पारगमन में नकदी/चैक (डाक संबंधी व्यय एवं अग्रदाय सहित)		**0.12**		13,292.58
(ii) चालू खातों में				
- भारतीय रिजर्व बैंक के पास		**67.86**		332.58
- अन्य अनुसूचित बैंकों के पास		**17,621.56**		54,438.52
(iii) अनुसूचित बैंकों के खाते में जमा		**211,850.00**		123,300.00
(iv) मार्गस्थ प्रेषण राशियां		**187.35**		0.77
जोड़ – (क)		**229,726.89**		191,364.46
ख) **अन्य चालू परिसंपत्तियां**				
(ii) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज- परंतु देय नहीं		**1,792.46**		1,268.26
(iii) अर्जित ब्याज-परंतु देय नही				
- ऋणों पर		**28,977.91**		23,795.80
- सरकारी प्रतिभूतियों पर		-		5,281.92
- कर्मचारियों को दिए ऋणों पर		**209.22**		203.38
(iv) राज्य बिजली बोर्डों/सरकारी विभागों से वसूली योग्य राशि	**197.45**		197.45	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली वाले ऋणों के लिए प्रावधान	**180.20**	**17.25**	180.20	17.25
(v) भारत सरकार से वसूली योग्य				
- आरजीजीवीवाई व्यय	**230.09**		-	
- अन्य	**8.94**	**239.03**	-	-
जोड़ – (ख)	**31,235.87**			30,566.61
II **ऋण एवं अग्रिम राशि**				
क) **ऋण**				
(i) कर्मचारी (रक्षित)		**233.45**		148.83
(ii) कर्मचारी (अरक्षित)		**155.63**		240.64
ख) **अग्रिम राशि**				
(अरक्षित वसूली योग्य)				
(i) नकद या वस्तुओं के रूप में या प्राप्त होने वाली राशि की एवज में वसूल हो सकने वाले अग्रिम		**175.30**		85.86
(ii) अग्रिम आयकर-कर एवं टीडीएस		**23,084.30**		99,261.74
(iii) वसूली योग्य आयकर/कर (बांड)		**0.29**		0.29
जोड़– (ग)		**23,648.97**		99,737.36
कुल जोड़ (क+ख+ग)		**284,611.73**		321,668.43

अनुसूची '10' - चालू देताएं एवं प्रावधान

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को		31.3.2006 को	
क) चालू देयताएं				
(ए) खर्च के लेनदार				
- लघु उद्योग उपक्रमों की देय राशि		**-**		-
- लघु उद्योग उपक्रमों के अलावा लेनदारों की देयताएं		**4,351.77**		997.55
(बी) अग्रिम प्राप्तियां		**1,356.99**		396.56
(सी) अन्य देयताएं		**128.24**		616.28
(डी) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**529,609.65**		229,442.56	
घटाएं: राज्य बिजली यूटिलिटियों/ सहकारी समितियों को संवितरित राशि	**512,102.55**	**17,507.10**	211,162.48	18,280.07
(ई) अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं				
- बांडों पर	**35,288.95**		19,835.75	
- सरकारी/एलआईसी ऋण	**12,255.03**	**47,543.98**	18,408.37	38,244.11
(एफ)बांड्स तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज और मूलधन-जिनका दावा न किया गया हो				
- ब्याज	**488.89**		298.50	
- मूलधन	**69.96**	**558.85**	300.00	598.50
जोड़ (क)		**71,446.93**		59,133.07
ख) प्रावधान				
(ए) आयकर		**21,613.44**		98,167.71
(बी) सेवानिवृत्ति पश्च स्वास्थ्य योजना		**1,350.27**		774.57
(सी) छुट्टी नकदीकरण		**820.21**		711.78
(डी) उपदान		**49.70**		98.76
(ई) प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		**1,011.75**		523.00
(एफ) धन कर		**0.25**		0.23
(जी) प्रस्तावित लाभांश		**17,700.00**		10,126.00
(एच) निगमित लाभांश कर		**3,008.12**		1,420.17
जोड़ (ख)		**45,553.74**		111,822.22
कुल जोड़ (क+ख)		**117,000.67**		170,955.29

अनुसूची -'11' प्रचालनों से आय

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष		31.3.2006 को समाप्त वर्ष	
क. आगे उधार देने के प्रचालनों पर				
ऋणों पर ब्याज				
-दीर्घ अवधि वित्तपोषण	**221,452.39**		176,629.14	
घटाएं: समय पर भुगतान करने/पूरा करने के लिए छूट	**2,156.00**	**219,296.39**	1,541.38	175,087.76
-लघु अवधि वित्तपोषण		**35,825.94**		18,410.31
ख. ऋणों के पुनः निर्धारण से आय		**8,777.30**		12,168.24
		263,899.63		205,666.31
ग. प्रोसेसिंग शुल्क, अपफ्रंट शुल्क,सेवा प्रभार आदि		**1,223.58**		169.50
घ. अदला-बदली प्रीमियम		**-**		1,295.04
ड. समय से पहले भुगतान प्रीमियम		**46.34**		-
जोड़		**265,169.55**		207,130.85

अनुसूची '12' - अन्य आय

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष		31.3.2006 को समाप्त वर्ष	
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा राशि पर ब्याज	**8,664.78**		6,243.83	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**9,997.92**	**18,662.70**	10,752.48	16,996.31
ख. अन्य आय				
बट्टे खाते डाले गया अधिक प्रावधान				
- आयकर	**1305.28**		-	
- अन्य	**37.15**	**1342.43**	291.66	291.66
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज		**31.90**		29.13
वेंचर फंड में निवेश की बिक्री पर लाभ		**106.45**		-
विविध आय		**82.35**		58.29
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		**3.76**		-
बट्टे खाते डाले गए वेंचर फंड में निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		**0.79**		-
जोड़		**20,230.38**		17,375.40

अनुसूची '13' - ब्याज एवं अन्य प्रभार

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
निम्नलिखित पर ब्याज:		
- सरकारी ऋण	**807.20**	910.68
- आरईसी बांड	**120,388.31**	93,416.84
- वित्तीय संस्थाएं	**49,510.10**	39,387.52
- विदेशी वाणिज्यिक उधार	**19.85**	-
जोड़	**170,725.46**	133,715.03
एआरईपी आर्थिक सहायता पर ब्याज	**201.45**	198.00
बांड गारंटी शुल्क	**3,162.50**	47.22
जोड़	**174,089.41**	133,960.25

अनुसूची '14' - स्थापना व्यय

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	**3,438.81**	2,575.12
उपदान निधि में अंशदान	**16.31**	100.73
सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा व्यय	**575.70**	774.57
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**208.48**	172.47
कर्मचारी कल्याण खर्च	**680.72**	575.26
किराया-आवास	**61.55**	52.28
जोड़	**4,981.57**	4,250.44

अनुसूची '15' - प्रशासनिक खर्च

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष		31.3.2006 को समाप्त वर्ष	
किराया- कार्यालय		**98.70**		28.02
दर एवं कर		**24.96**		34.49
बिजली एवं जल प्रभार		**47.87**		41.87
बीमा प्रभार		**4.00**		3.02
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
भवन	**168.66**		160.79	
अन्य	**17.67**	**186.33**	13.93	174.72
वाहन रख-रखाव		**22.71**		17.98
छपाई एवं लेखन सामग्री		**46.83**		42.80
यात्रा एवं वाहन				
- निदेशक	**46.48**		3.07	
- अन्य	**301.91**	**348.39**	299.04	302.11
डाक, तार एवं टेलीफोन		**74.13**		67.12
इंटरनेट प्रभार		**19.19**		29.11
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**255.08**		101.19
विधि एवं व्यावसायिक शुल्क		**40.05**		47.43
बैठक एवं सम्मेलन व्यय		**61.41**		26.14
आतिथ्य सत्कार		**12.85**		11.27
आरजीजीवीवाई स्कीम के क्रियान्वयन पर व्यय	**301.02**		342.96	
घटाएं: आरजीजीवीवाई अनुदान पर प्राप्त ब्याज से राशि का समायोजन	**301.02**	**-**	34.02	308.94
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		**18.14**		15.54
सुरक्षा सेवा प्रभार		**41.16**		31.32
विविध व्यय		**113.35**		207.00
अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन		**12.32**		24.96
परामर्शी प्रभार		**6.07**		4.09
दान एवं धर्मार्थ		**1.50**		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा		**-**		0.30
जोड़		**1,435.04**		1,519.40

अनुसूची '16' - बांड/ऋण पत्र निर्गम व्यय

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
बांड स्टाम्प ड्यूटी	**6.01**	20.03
स्टॉक सूचीकरण शुल्क	**7.72**	8.09
बांड दलाली लेखा	**1,161.76**	935.27
बांड निपटान प्रभार	**202.37**	653.39
ईसीबी के लिए प्रबंध शुल्क	**632.48**	-
उधारों के लिए प्रबंध शुल्क	**113.36**	-
विनिमय दर में अंतर	**182.68**	-
वचनबद्धता शुल्क	**40.70**	
अंतर्राष्ट्रीय साख निर्धारण शुल्क	**37.05**	-
एजेंसी शुल्क	**4.88**	-
जोड़	**2,389.01**	1,616.77

अनुसूची '17' - पूर्वावधि समायोजन

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
पूर्वावधि आय		
वसूली योग्य आरजीजीवीवाई व्यय	**308.94**	-
प्रोसेसिंग शुल्क	**18.44**	-
ब्याज	**11.03**	-
	338.41	**-**
पूर्वावधि व्यय		
यात्रा एवं वाहन भत्ता	**0.81**	0.13
टेलीफोन व्यय	**0.17**	-
वेतन एवं भत्ते	**0.97**	0.90
मरम्मत एवं रख-रखाव	**1.51**	0.32
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**0.85**	-
बांड जारी करने पर व्यय	**-**	3.26
दरें एवं कर	**-**	4.44
बिजली एवं जल	**0.37**	-
विविध व्यय	**2.05**	6.39
	6.73	15.44
जोड़	**331.68**	(15.44)

अनुसूची "18" - खातों पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है:-

(लाख रूपए)

		31.3.2007 को	31.3.2006 को
क	निगम के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के 463.19 लाख रूपए शामिल हैं, पिछले वर्ष 2526.11 लाख रूपए)	1631.15	3694.51
ख	संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	671.46	1847.00
ग	अन्य	शून्य	910.00

आकस्मिक देयताएं क्रमशः न्यायालय/न्यायालय से बाहर मामले के निपटान के परिणाम, मांगी गई राशि, संविदात्मक वचनबद्धताओं की शर्तों, घटनाओं और संबंधित पार्टियों द्वारा मांग करने, अपीलों के निपटान पर निर्भर करती हैं।

उपर्युक्त 1(ख) के अंतर्गत 650.91 लाख रूपए (गत वर्ष 1747.91 लाख रूपए) की राशि शामिल है, जो "स्माल इज ब्यूटीफुल" न्यास, पूंजी निधि के यूनिटों के अंशदान हेतु है।

2. वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत किया गया था। आरबीआई की दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/ डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 का अनुपालन करती हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई सी के प्रावधानों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

3. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की बिल्डिंग और नई दिल्ली स्थित स्कोप कांप्लेक्स कार्यालय का फर्नीचर एवं जुड़नार अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किए गए हैं, क्योंकि इस संबंध में अंतिम बिलों की प्राप्ति अभी लंबित है। इस संबंध में अंतिम लागत में जो अंतर आएगा, उसे पता लगाने के उपरांत लेखाबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000-01 के दौरान केरल राज्य आवास मंडल (केएसएचबी) से तिरूवनंतमपुरम में खरीदे गए फ्लैटों के संबंध में कुछ भूस्वामियों ने केएसएचबी द्वारा करार के अनुसार उन्हें पहले भुगतान किए गए मुआवजे पर विरोध जताया है। यदि भूस्वामियों को कुछ अधिक मुआवजा दिया जाता है तो केएसएचबी आबंटितियों से आनुपातिक राशि वसूल करेगा।

4. लेखा नीति 2.5 का अवलोकन करें। कुछ ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि जुटाने में 31.3.2007 तक 731.98 लाख रूपए (गत वर्ष 353.11 लाख रूपए) की कमी रही तथा इन समितियों को अपेक्षित विशेष निधि जुटाने के लिए कहा गया है।

5. कुछ कर्जदारों से शेष पुष्टि प्राप्त हो गई है।

6. बांडों पर अर्जित ब्याज के संबंध में लागू आयकर बांड धारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बांड पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होते हैं।

7. निगम द्वारा 4192.83 लाख रूपए (गत वर्ष 5754.23 लाख रूपए) की राशि से अधिग्रहीत भूमि सहित कुछ परिसरों के संबंध में हस्तांतरण विलेख संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

8. 31.3.2007 को कर्जदारों से वसूली योग्य कुल बकाया राशि 33960 लाख रूपए (गत वर्ष 25715 लाख रूपए) थी और इसे वसूल करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। गत वर्ष चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों, विंड फार्म उधारकर्ताओं और सहकारी समितियों के विरूद्ध देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर मुकदमे सुनवाई/कानूनी कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। अन्य चूककर्ता समितियों के संबंध में कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश की कुछ समितियों की ओर देयताओं के संबंध में राज्य सरकार की गारंटी के अनुसार वसूली कार्रवाई की गई हैं और ऐसी गारंटियों का परित्याग नहीं किया गया है।

9. लेखा नीति सं. 11.2 के अनुसार 31.3.2007 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंटस खातों में शेष राशि 52754.39 लाख रूपए (गत वर्ष 27791.26 लाख रूपए) है।

10. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलनपत्र में शामिल चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य कामकाज के दौरान वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

11. परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में लेखा मानक-28 के अधीन अपेक्षित के अनुसार हानियों के लिए प्रावधान करना प्रबंधन की राय में आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

12. सरकार द्वारा अधिकारियों के वेतनमानों का अंतिम अनुमोदन किए जाने तक, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारण से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के संबंध में विभेदक राशि कर्मचारियों के नाम में नियत निक्षेपों में रखी गई हैं (नियत अवधि जमा रसीदें आरईसी के नाम वचनबद्ध की गई हैं)।

13. कंपनी की माइक्रो, लघु और मझौले प्रतिष्ठानों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

14. परस्पर लेनदेनों के कारण वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 1049.59 लाख रूपए (गत वर्ष 236.77 लाख रूपए) कमाए हैं, जिन्हें उसी सीमा तक ऋणों की लागत में कमी में प्रभावित कर दिया गया है।

15. इस वर्ष के लिए कोई बांड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं. 6/3/2001-सीएल.वी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45-आई ए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. निदेशकों का पारिश्रमिक :

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	32.51	22.67
परिलब्धियां/प्रतिपूर्ति	17.56	7.15
सेवानिवृत्ति लाभ	1.54	1.22
जोड़	51.61	31.04

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को भी स्टाफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वे मासिक प्रभार का भुगतान करके 1000 किलोमीटर तक प्रति माह की निजी यात्रा कर सकते हैं।

17. निगम के निदेशकों से ऋणों और अग्रिम सहित 1.90 लाख रूपए (पिछले वर्ष 0.17 लाख रूपए) की राशि देय है। वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 2.62 लाख रूपए (गत वर्ष 2.09 लाख रूपए) है।

18. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैः

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को समाप्त वर्ष	31.3.2006 को समाप्त वर्ष
क) लेखा परीक्षा शुल्क	8.78	7.61
ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	2.24	2.24
ग) खर्चों की प्रतिपूर्ति	2.10	1.47
घ) अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	5.01	4.22
जोड़	**18.13**	**15.54**

19. (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लंदन और डीईएफपीए इन्वेस्टमेंट बैंक, साइप्रस के माध्यम से एक समूह ऋण के रूप में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर जपानी येन में ईसीबी ऋण जुटाया गया है। इस ऋण की अवधि पांच वर्ष है। वापसी अदायगी पांच वर्ष के बाद बुलेट है और ब्याज अदायगी अर्ध-वार्षिक है। ब्याज की दर 6 माह जापानी येन लिबोर जमा 48 ब्रिटिश पाऊंड के साथ अधिकतम लागत सीमा 6 माह जापानी येन लिबोर जमा 61.950 ब्रिटिश पाऊंड है। ऋण की पूरी राशि वर्ष के दौरान पहले ही आहरित की जा चुकी है।

(ख) कंपनी ने राज्य डिस्कॉम्स द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एलटी लाइनों के उच्च वोल्टता वितरण लाइनों में परिवर्तन के प्रयोजनार्थ परियोजनाओं के लिए 3.73% की नियत ब्याज दर पर 70 मिलियन यूरो के लिए केएफडब्ल्यू जर्मनी के साथ एक ऋण करार निष्पन्न किया है। ऋण की अवधि 3 वर्ष की छूट अवधि सहित 12 वर्ष है। वर्ष 2006-07 के दौरान कोई ऋण निकासी नहीं की गई है।

(ग) कंपनी ने उप-पारेषण प्रणाली को सुधारने, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने और अविद्युतीकृत आवासों तथा अन्य ग्रामीण भारों के लिए बिजली की पहुंच का विस्तार करने के प्रयोजनार्थ 0.75% प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर पर 20.63 बिलियन जापानी येन के लिए जेबीआईसी, जापान से एक ओडीए ऋण हेतु करार निष्पन्न किया है। 5 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के साथ ऋण की अवधि 15 वर्ष है। वर्ष 2006-07 के दौरान कोई ऋण निकासी नहीं की गई है।

20. विदेशी मुद्रा में व्यय :

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
रॉयल्टी ,जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	17.77	शून्य
वित्तीय प्रभार	746.61	शून्य
अन्य	10.13	4.82
जोड़	774.51	4.82

कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची vi के भाग II के पैरा 4(ग) और 4(घ) के तहत अपेक्षित अन्य सभी सूचना शून्य हैं या लागू नहीं हैं।

21. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-27 के अधीन अपेक्षित के अनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के संबंध में सूचना :

निवेश में संयुक्त उद्यम स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) नामक केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रौन्नत संयुक्त पूंजीनिधि की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाने वाला 1599.09 लाख रूपए (गत वर्ष 502.00 लाख रूपए) शामिल हैं।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	आवास का देश	स्वामित्व का हिस्सा
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड का एसआईबी फंड	1599.09 लाख रूपए	भारत	12.95%

22. कंपनी ने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि. नामक अपनी एक सहायक कंपनी आरंभ की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के प्रावधान के मद्देनजर इस कंपनी के संबंध में कोई अलग से लेखे तैयार नहीं किए गए हैं और निगम ने सहायक लेखा सहित कोई समेकित लेखे भी तैयार नहीं किए हैं। इस कंपनी के लिए किए गए 0.67 लाख रूपए के व्यय की राशि को अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

23. संबंधित पार्टियों का प्रकटीकरण

ए. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अनिल कुमार लखीना	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकंद	-	निदेशक (तकनीकी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का टिप्पणी संख्या 16 में उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा देय अग्रिम का टिप्पणी संख्या 17 में उल्लेख किया गया है।

बी) अन्य संबंधित पार्टियां, जिनके साथ कारोबार किया जा रहा है।

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां

1) स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वेंचर केपिटल फंड
2) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड

24. ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए स्कीमें प्रारंभ में ब्याज वाले ऋण के रूप में मंजूर की जाती हैं तथा परियोजनाओं के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर ऋण के पात्र अंश को ऋण संवितरण की मूल तारीख से अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाता है।

25. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के अधीन आर्थिक सहायता:-

निगम, भारत सरकार के दिनांक 23.9.1997 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 32024/17/97-पीएफसी और दिनांक 7.3.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार सांकेतिक दरों पर परिकलित निवल मौजूदा मूल्य पर भारत सरकार से आर्थिक-सहायता प्राप्त कर रहा है और एक ब्याज आर्थिक-सहायता निधि का रखरखाव कर रहा है, चाहे वास्तविक वापसी अदायगी अनुसूची, ऋण-स्थगन अवधि और वापसी अदायगी की अवधि कुछ भी रहे। सांकेतिक दर और निकासी के समय विचारित अवधि तथा वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के अंत में ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

ब्याज आर्थिक-सहायता में परिलक्षित 6366.56 लाख रूपए की राशि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक-सहायता की राशि को दर्शाती है, जोकि त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के अधीन भविष्य में उत्पन्न होने वाली कर्जदारों की ब्याज देयता के प्रति उन्हें प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

दिनांक 1.4.2006 को ब्याज आर्थिक-सहायता का अथशेष	: 6646.76 लाख रूपए
जोड़िए:- वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त:	6.43 लाख रूपए
वर्ष के दौरान जमा ब्याज	: 160.66 लाख रूपए
घटाइए:- कर्जदारों को प्रदत्त ब्याज आर्थिक-सहायता	: 447.29 लाख रूपए
दिनांक 31.3.2007 को अंत शेष	: 6366.56 लाख रूपए

26. लेखा मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियों" में अपेक्षित के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण :

i) परिशोधन दर	20% परिसंपत्ति की लागत 5000 रूपए अथवा उससे कम होने के मामले में 100%
ii) परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा

(लाख रूपए)

समाधान विवरण	31.3.2007 को	31.3.2006 को
iii) सकल विद्यमान राशि	3.54	1.83
iv) संचित मूल्यह्रास	1.30	0.88
v) सकल विद्यमान राशि-अथ शेष	1.83	1.83
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	0.89	0.54
विद्यमान राशि	0.94	1.29
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.71	—
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	0 .41	0.34
तुलनपत्र की तारीख का विद्यमान राशि	2.24	0.95

27.क) निगम आय पर कर के लिए लेखा से संबंधित लेखा मानक संख्या-22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान करता रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने आस्थगित कर देयताओं के लिए 11634.09 लाख रूपए का प्रावधान किया है।

दिनांक 31.3.2007 के अनुसार आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नलिखित हैः-

(लाख रूपए)

विवरण	31.3.2007 को	31.3.2006 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
वीआरएस व्यय के लिए प्रावधान	3.86	115.94
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	208.89	170.37
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	458.96	260.72
चिकित्सा लाभ		
निवेशों में कमी के लिए प्रावधान	17.06	17.16
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	1039.13	1251.64
	1727.90	1815.83
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	301.37	273.63
धारा 36(1)(VIII)के अधीन विशेष आरक्षित निधि	11513.45	-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताएं)	(10086.92)	1542.20
घटाएंः 31.3.2006 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति	1542.20	
वर्ष 2006-07 के लिए लाभ एवं हानि में भारित निवल देयता	(11629.12)	

ख) इस वर्ष के दौरान आस्थगित कर देयता आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(I)(VIII)के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरित राशि पर सृजित की गई है। इस खाते में 190.63 करोड़ रूपए की आस्थगित कर देयता वित्तीय वर्ष 2000-01 तक की अवधि से संबंधित है, जोकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-22 के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि से अंतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के लिए 448.17 करोड़ रूपए की आस्थगित कर देयता को" पूर्ववर्ती वर्षों की आस्थगित कर देयता" के रूप में लाभ एवं हानि खाता के माध्यम से लाया गया है और इसे सामान्य प्रारक्षित निधि से लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया गया है।

28. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या-20 के अनुसार, प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित) का परिकलन नीचे दिया गया हैः-

(लाख रूपए)

	31.3.2007 को	31.3.2006 को
न्यूमरेटर लाभ एवं हानि खाता के अनुसार कर-पश्चात लाभ	66026.09	63751.07
डिनोमीनेटर इक्विटी शेयरों की संख्या	780,600,000	780,600,000
वर्ष के दौरान आबंटित शेयर	शून्य	शून्य
प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय कर परिकलन करने के लिए इक्विटी शेयरों की भारांकित औसत संख्या	780,600,000	780,600,000
प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (रूपए/प्रति शेयर)	8.46	8.17

29. कंपनी ने कर परामर्शदाता के परामर्श के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर देयता का प्रावधान कर दिया है।

30. पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश के विभाजन पर एमपीएसईबी और सीएसईबी के बीच आरईसी की देयताओं के समाधान के बाद देयताओं की हिस्सेदारी के संबंध में उनके बीच कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी 160 करोड़ रूपए जमा ब्याज, यदि अर्जित होता है, की वापसी का दावा कर रहा है, जोकि एमपीएसईबी द्वारा सीएसईबी को देय होगा।

31. पुनः निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार बीएसईबी दिनांक 31.3.2002 के अनुसार 301.78 करोड़ रूपए की शेष देयता की तुलना में 267.04 करोड़ रूपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे मूलधन राशि के संबंध में 5 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि के बाद 12 वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में प्राप्त किया जाएगा। तदनुसार, उक्त सहमत राशि में शामिल 87.77 करोड़ रूपए की अतिदेय ब्याज राशि को लेखा की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए निगम की लेखा नीतियों की शर्तो के अनुसार वर्ष के दौरान आय के रूप में माना गया है।

32. कुछ पूर्ववर्ती राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) की ओर ऋण बकाया थे अथवा उनकी ओर से गारंटियां दी गई थीं। संबंधित राज्यों द्वारा उनका पुन: तय किया गया और नई संस्थाएं गठित की गईं।

परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नई संस्थाओं को अंतरित हो गई थीं और निगम, नई संस्थाओं तथा राज्य सरकार के बीच अंतरण करार निष्पन्न किए जाने हैं। कानूनी और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक एपट्रांस्को और केपीटीसीएल को संवितरित ऋणों के मामले में ऐसे करार अभी निष्पन्न किए जाने हैं और दिनांक 31.03.2007 के अनुसार एपट्रांस्को और केपीटीसीएल के नाम में क्रमशः 2816.39 करोड़ रूपए और 769.79 करोड़ रूपए की ऋण राशि बकाया है, जिसका उनके द्वारा परिशोधन किया जा रहा है।

33. लेखा मानक-29 में अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधानों का ब्योरा :

(लाख रूपए)

	वित्त वर्ष 2006-07	वित्त वर्ष 2005-06
क) सेवानिवृत्ति-पश्चात स्वास्थ्य योजना		
अथ शेष	774.57	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	633.25	774.57
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	57.55	-
इति शेष	**1350.27**	**774.57**
ख) छुट्टी नकदीकरण	वित्त वर्ष 06-07	वित्त वर्ष 05-06
अथ शेष	711.78	598.99
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	159.23	975.41
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	50.80	862.62
इति शेष	**820.21**	**711.78**
ग) उपदान		
अथ शेष	98.76	312.91
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	98.76
वर्ष के दौरान प्रदत्त/आहरित राशि	49.06	312.91
इति शेष	**49.70**	**98.76**
घ) प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि		
अथ शेष	523.00	—
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1011.75	523.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	523.00	—
इति शेष	**1011.75**	**523.00**

34. जहां कहीं भी आवश्यक था, गत वर्ष के आंकड़े फिर से व्यवस्थित कर दिए गए हैं, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके।

35. अनुसूची "1 " से " 18 " तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते के अनिवार्य हिस्से हैं और उन्हें विधिवत रूप से प्रमाणित कर दिया गया है।

36. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 4 के अनुसार तुलनपत्र सार और कंपनी के सामान्य कारोबार के ब्योरे इस प्रकार हैः

1.	पंजीकरण ब्योरे :			
	पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
		31	03	2007
	तुलनपत्र दिनांक :	दिनांक	महीना	वर्ष
				राशि(लाख रूपए)
2.	वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी		शून्य	
3.	निधियां जुटाने और उनके विनियोजन की स्थिति			
	कुल देयताएं	3503338.01	कुल परिसंपत्तियां	3503338.01
	निधियों के स्रोत			
	प्रदत्त पूंजी	78060.00	प्रारक्षित एवं अधिशेष	323211.09
	रक्षित ऋण	2653397.19	अरक्षित ऋण	374702.94
	आस्थगित कर देयता	73966.79		
	निधियों का प्रयोगः			
	निवल अचल परिसंपत्तियां (पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित)	6362.97	निवेश	119453.88
	निवल चालू परिसंपत्तियां	167611.06	ऋण	3209910.10
	संचित हानियां	शून्य	विविध व्यय	शून्य
4.	कंपनी का कार्यनिष्पादन			
	कुल कारोबार	285399.93	कुल खर्च	184780.69
	कर पूर्व लाभ	100619.24	कर के बाद लाभ	66026.09
	प्रति शेयर अर्जन रूपए में (10/-रूपए के शेयर पर)	8.46	लाभांश दर	22.67%
5.	कंपनी के मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम			
	मद कोड सं.	लागू नहीं	वित्तीय सेवा 1 से 18 तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर	

तुलन पत्र और लाभ हानि तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के भाग के रूप में अनुसूचियों पर हस्ताक्षर।

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्य सं.91007

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई,2007

ºÉ{ÉEÉãÉ¡ÉÉÉ

BÉEÉ VÉMÉàÉMÉ |ÉBÉEÉ¶É ºÉ

+ÉÉãÉÉÉÉBÉÉ¡É cÉ {ÉlÉ

c® {ÉãÉ

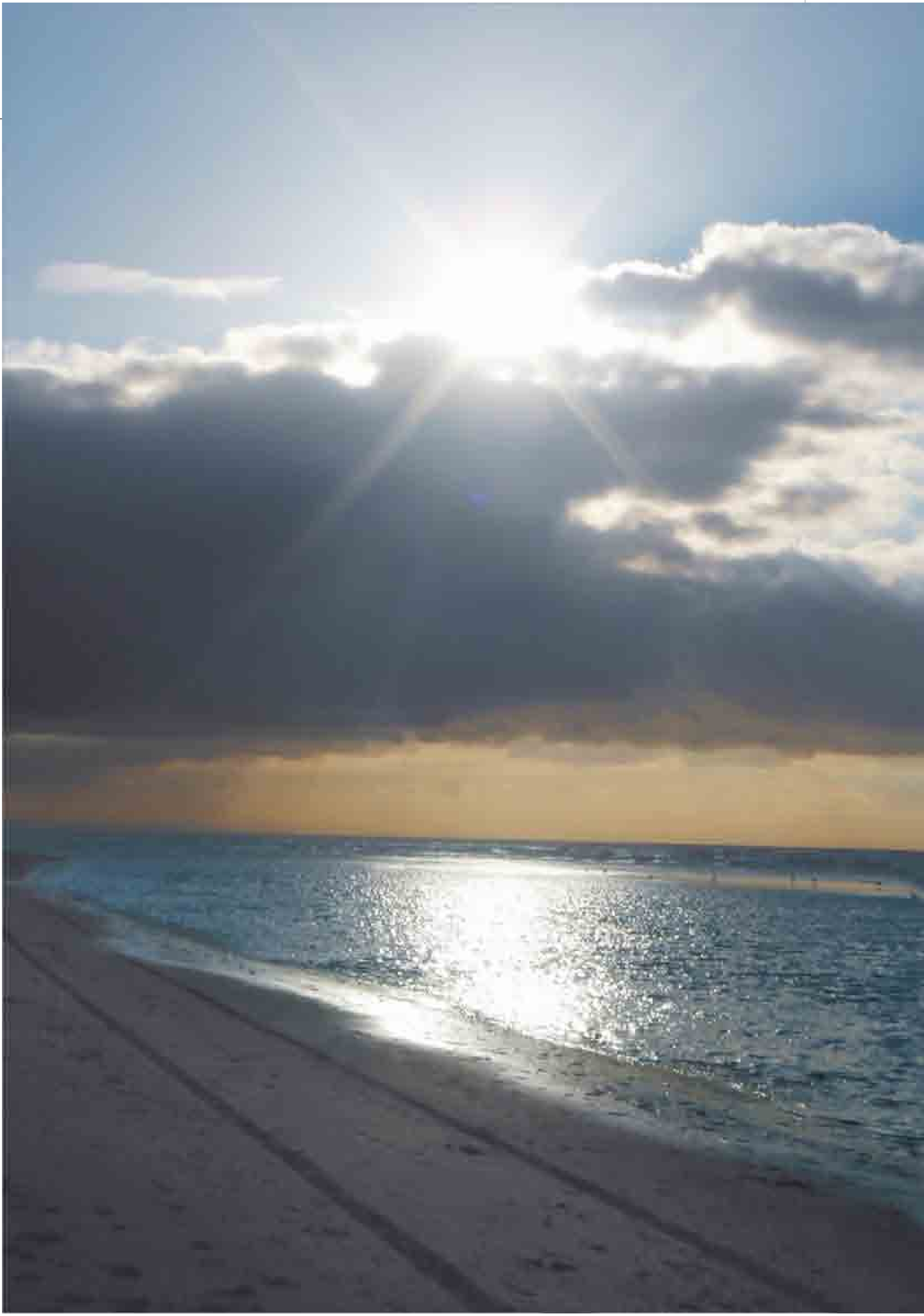

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

(क) लेखा पद्धतिः- वित्तीय विवरण, अर्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा भारत में लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोगः- वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत प्रबंधन से अनुमान और पूर्वानुमान तैयार करने की अपेक्षा करते हैं, जोकि वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं तथा प्रकटीकरण की सूचित राशि और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की सूचित की गई राशियों विशेषतः प्रमुख मदों से संबंधित जैसे ऋण व बिजली बांडों पर ब्याज, बकाया देयताओं, मूल्यह्रास, संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों और प्रासंगिक देयताओं के लिए प्रावधान आदि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2. **राजस्व मान्यता**

2.1 दो तिमाहियों या इससे अधिक के लिए ब्याज/मूलधन अतिदेय हो जाने की स्थिति में निष्क्रिय परिसंपत्तियों (भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार परिभाषित) पर आय को तभी माना जाता है, जब यह प्राप्त हुई हो तथा इसका विनियोजन किया गया हो।

2.2 यदि उधार लेने वालों से अन्यथा सहमति न हुई हो तो उनसे की गई वसूली का विनियोजन इस क्रम में किया जाता है। (i) ब्याज, दंडात्मक ब्याज, जहां लागू हो, ब्याज पर कर सहित सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी; (ii) मूलधन की वापसी, सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी जैसे कि कर्जदारों से वसूली के मामले में किया जाता है, जब तक अन्यथा निर्णय न लिया गया हो या विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्राप्य राशियों के प्रत्याभूतिकरण के कारण एसपीवी या अन्य से प्राप्त राशियों को इसी क्रम में विनियोजित किया जाता है अर्थात पहले ब्याज (इसमें अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं शामिल है), दंडात्मक ब्याज एवं ब्याज कर, यदि लागू हो, पुरानी देय राशियों को पहले समायोजित किया जाता है तथा उसके बाद अतिदेय राशि एवं बकाया मूलधन का समायोजन किया जाता है

2.3. प्रतिभूतिकरण संबंधी अपफ्रंट आय/हानि को उसी वर्ष में स्वीकार किया जाता है, जिसमें इसे निर्धारित और प्राप्त किया गया है।

2.4. पीटीसी/दस्तावेजों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक न्यासी शुल्क एवं अन्य भावी खर्चों को पीटीसी/दस्तावेज धारकों को उनकी पूर्ण अदायगी होने तक उसी वर्ष में आंका जाता है, जिस वर्ष में वे उपचित होते हैं या खर्च किए जाते हैं।

2.5. रिकोर्स के प्रचालन, यदि कोई हो, की स्थिति में एसपीवी को आरईसी द्वारा किए गए भुगतान/उधारकर्ताओं से वसूली योग्य राशि तथा आरईसी द्वारा उपलब्ध एस्क्रो तंत्र या किसी अन्य तरीके से की गई वसूली, जो व्यवहार्य हो, इसमें गारंटी देने वाले को भुगतान करने के लिए कहना भी शामिल है, को खर्च माना जाएगा।

2.6. अगर आरईसी द्वारा इस तरह रिकोर्स अदायगी की जाती है तो उसे खर्च माना जाएगा, बशर्ते कि यह ब्याज के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के बदले में की जाती हो और मूलधन के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के जरिए वसूली योग्य राशि के रूप में प्राप्त हो।

2.7. जब यह उचित प्रत्याशा हो कि उधारकर्ताओं से बकाया वसूली की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है और कर्जदारों के साथ कानूनबद्ध सहमति ज्ञापन निष्पादित कर लिया गया है तो उन ऋणों, जिनकी शर्ते संशोधित/पुनः निर्धारित की गई हैं, को आय मान लिया जाता है। तथापि, यह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद निश्चित प्राप्ति का अनुमान लगाने का अकेला मानदंड नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई सुधार नीति, डीआरटी से प्राप्त न्यायालय डिक्री आदि भी इसके मार्गदर्शी मानदंड होंगे। इसके बावजूद, यह वास्तविकता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरईसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह बात स्वीकार की है कि चूककर्ता राज्यों से आरईसी की देय राशि वसूल करवाने में केंद्रीय विनियोजन अथवा अन्य तरीके से सहायता की जाएगी।

2.8. ऋण के पांचवे वर्ष तक ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के लिए ऋण पर ब्याज हिसाब में नहीं लिया जाता क्योंकि सहकारी समितियां ब्याज अदा न करने की हकदार हैं, बशर्ते कि वे ऋण करार के अनुसार ऐसे ब्याज की राशि के बराबर विशेष निधि बनाने के लिए सहमत हों।

2.9. समय पर किए गए भुगतान के लिए छूट को केवल तभी हिसाब में लगाया जाता है, जबकि ब्याज और ऋण किस्त का भुगतान देय तारीख को अदा/प्राप्त हो गया हो।

3. **अचल परिसंपत्तियां**

संचित मूल्यह्रास घटाकर अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इस लागत में परिसंपत्तियों पर उनके वांछित उपयोग के लिए कार्यचालन स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई लागत शामिल है।

4. **मूल्यह्रास**

4.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार सीधी पंक्ति पद्धति (स्ट्रेट लाईन मेथड) पर यथानुपात आधार पर किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के अनुसार, 16.12.1993 से पहले पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर

मूल्यह्रास को सीधी पंक्ति पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) पर उस समय विद्यमान दरों पर भारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्ति, यदि वह परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक प्रयोग में आ रही है, का मूल्यह्रास खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुसार लगाने की बजाय पूरे महीने के हिसाब से लगाया जाता है।

4.3 वर्ष के दौरान जो परिसंपत्तियां 5000/- रू. से कम में खरीदी गई हैं, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि पट्टा अवधि पूरी होने पर परिशोधित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

उस अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकार किया जाता है, जहां यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ उन परिसंपत्तियों के कारण होंगे, जोकि कंपनी को प्राप्त हों। इन परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश प्रावधान, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर किए जाते हैं, जो कि ऐसे निवेश के मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान निवेश लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं।

7. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग

7.1 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, जो निगम के सामान्य खाते में जमा किए जाते हैं, संबंधित मंजूरियों में उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजन के लिए होते हैं तथा उनका तदनुसार प्रयोग किया जाता है। वर्ष के अंत में निवल शेष राशि को चालू देयताओं और प्रावधानों के खाते में दिखाया जाता है।

7.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है और उनका तदनुसार उपयोग किया जाता है। वर्ष के अंत में निवल शेष को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है। जमा किए जाने की तारीख से लेकर उपयोग की तारीख तक के लिए अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई के लिए किए गए खर्च के बदले में प्रतिसंतुलित किया जाता है।

8. चालू कर और आस्थगित कर

आयकर व्यय में अनुषंगिक हित लाभ कर (एफबीटी) (आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) सहित चालू आयकर शामिल होता है और आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (उक्त अवधि के लिए लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल के प्रभावों को दर्शाने वाला) का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-22 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर देयताएं अथवा परिसंपत्तियां उन कर दरों का प्रयोग करते हुए मानी जाती हैं, जो कि तुलनपत्र की तारीख द्वारा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित अथवा लागू की गई हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां उस सीमा तक मानी और आगे ले जाई जाती हैं, जहां तक कि एक तर्कसंगत निश्चितता हो, जिससे कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल करने के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो सकेगी।

9. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उन परिसंपत्तियों को कोई हानि होने का संकेत है, तब अपनी नियत परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करती है। यदि, ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है, तब ऐसी हानि होने की सीमा का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्यों और अनुप्रयोग मूल्य से अधिक होती है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब माना जाता है, जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान वचनबद्धता होती है और यह संभावना होती है कि ऐसी वचनबद्धता का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की अपेक्षा होती है और तब उसकी की गई वचनबद्धता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जाता है। ऐसे प्रावधान प्रबंधन अनुमानों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जो कि तुलनपत्र की तारीख को वचनबद्धता का निपटान करने के लिए अपेक्षित होते हैं। इनकी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

11. बांड जारी करना

11.1 बांड जारी करके निधि जुटाने के लिए खर्च ऐसे बांड जारी करने वाले वर्ष के राजस्व से भारित किया जाता है।

11.2 बांडों से संबंधित ब्याज वारंट की अदायगी के लिए निगम अपना उत्तरदायित्व नामजद ब्याज वारंट बैंक के खाते में राशि जमा करा कर पूरा करता है। तदनुसार, इन भुगतानों को अंतिम भुगतान माना जाता है तथा वे नामजद खाते किताबों में नहीं दर्शाए जाते, लेकिन उनका मिलान कर लिया जाता है।

12. अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास पर जब भी खर्च किया जाता है, उसे राजस्व से लिया जाता है।

13. ऋण और अग्रिम राशि के संबंध में प्रावधान/बट्टे खाते में डालना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्जदारों के पास बकाया ऋणों के संबंध में, जिनकी गारंटी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई है, कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तथा संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक उनकी दी गई गारंटी का परित्याग नहीं किया है। उन ऋणों को, जिनके बारे में सरकार द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तथा उनके लिए प्रावधान किए जाते हैं।

14. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए सूचित किए जाते हैं, जिससे गैर-नकदी किस्म के कारोबार के प्रभावों और किसी प्रकार की आस्थगित राशि अथवा विगत की अर्जित राशि अथवा भावी नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतानों के लिए कर-पूर्व लाभ समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश संबंधी कार्यकलापों से अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।

15. पूर्व अवधि समायोजन

15.1 कार्य की प्रकृति को देखते हुए पूर्ववर्ती वर्षों के ब्याज की आय/मूलधन की अदायगी को उसी वर्ष के हिसाब में जोड़ा जाता है, जिसमें इसे निर्धारित किया गया हो।

15.2 प्रत्येक मामले में 10,000/- रू. से कम खर्च को सामान्य किस्म के लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है।

16. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

16.1 उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता वर्ष के अंत में मूल्यांकक के मूल्यांकन पर वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसके लिए अलग से धनराशि प्रदान की जाती है।

16.2 कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के लिए देयता वर्ष के अंत में मूल्यांकक के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक तौर पर हिसाब में ली जाती है।

16.3 भविष्य निधि में अंशदान राजस्व में मासिक आधार पर भारित होता है।

17. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

17.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन प्रारंभ में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा ऋण/देयताएं वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार प्रभावी/परिवर्तित किए जाते हैं।

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

(लाख रूपए)

विवरण	31.3.2007 को समाप्त वर्ष		31.3.2006 को समाप्त वर्ष	
ए) प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो :				
कर से पूर्व निवल लाभ एवं असाधारण मदें :	100619.24		79716.29	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(3.76)		0.30	
2. मूल्यह्रास	112.89		109.92	
3. निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान	(0.79)		51.00	
4. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2104.45		-	
5. बट्टे खाते में डाला गया अधिक प्रावधान-आयकर	(1305.28)		-	
6. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" निधि की यूनिटों में निवेश की बिक्री से लाभ	(106.45)		-	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पहले प्रचालन लाभः	101420.30		79877.51	
वृद्धि/कमीः				
1. ऋण	(679453.62)		(364120.19)	
2. अन्य चालू देयताएं	(669.26)		(1067.37)	
3. अन्य ऋण एवं अग्रिम	(89.05)		95.67	
4. चालू देयताएं	14210.89		(7343.27)	
प्रचालन गतिविधियों से कैश आऊट फ्लो	(564580.74)		(292557.66)	
1. भुगतान किया गया अग्रिम आय कर	(21968.38)		(20016.72)	
2. भुगतान किया गया धन कर	(0.23)		(0.32)	
3. भुगतान किया गया अनुषंगिक हित लाभ कर	(67.18)		(75.28)	
प्रचालन गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकदी		**(586616.53)**		**(312649.99)**
बी) **पूंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	16.59		0.50	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद(पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान किए गए अग्रिम सहित)	(49.58)		(3994.76)	
3. मध्य प्रदेश सरकार से पावर बांडों-II के 8% का मोचन	14148.00		9432.00	
4. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल निधि" के यूनिटों में निवेश	(1553.09)		(259.72)	
5. "स्मॉल इज ब्यूटीफुल निधि" की यूनिटों में निवेश की बिक्री	562.54		0.00	
6. सहायक कंपनी "आरईसी प्रोजेक्ट कंपनी लि." के शेयरों में निवेश	(5.00)		0.00	
पूंजी निवेश गतिविधियों से निवल नकदी इन-फ्लो		**13119.46**		**5178.01**
सी) **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1. बांडों का निर्गम	872091.18		718911.13	
2. बांडों का मोचन	(386652.81)		(403777.46)	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जुटाए गए सावधि ऋण/एसटीएल	119980.00		209000.00	
4. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋणों/एसटीएल की चुकौती	(66500.00)		(56000.00)	
5. बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) जुटाना	87209.00		0.00	
6. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	300167.09		115729.83	
7. अनुदानों का संवितरण	(300940.07)		(101165.43)	
8. सरकारी ऋण की चुकौती	(1948.72)		(2019.40)	
9. भुगतान किया गया लाभांश	(10126.00)		(26650.00)	
10. भुगतान किया गया निगमित लाभांश	(1420.17)		(3737.66)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**611859.50**		**450291.00**
नकदी व समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि		**38362.43**		**142819.03**
1 अप्रैल, 2006 को नकदी और समतुल्य नकदी		**191364.46**		**48545.43**
31 मार्च, 2007 को नकदी और समतुल्य नकदी		**229726.89**		**191364.46**
नकदी एवं समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि		**38362.43**		**142819.03**

टिप्पणीःगत वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक था, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहीकृत कर लिए गए हैं।

उसी तारीख की हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्य सं.91007

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई,2007

31 मार्च, 2007 के अनुसार तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के पैराग्राफ 9 बीबी के अनुसार अपेक्षित ब्योरे, जहां तक आरईसी लि. पर लागू होते हैं)

(लाख रूपए)

विवरण	बकाया राशि	अतिदेय राशि	
देनदारी पक्षः गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा उन पर अर्जित ब्याज, लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया गया, को मिलाकरः			
क) ऋण पत्र (डिबेंचर्स)/बांडः			
(i) रक्षित	2,088,697.19	-	
(ii) अरक्षित	59,965.50	-	
ख) बैंकों से विदेशी मुद्रा समूह ऋण	87,209.00		
ग) भारत सरकार से सावधि ऋण	10,048.44	-	
घ) वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	350,000.00	-	
ङ.) बैंकों से सावधि ऋण	379,680.00	-	
च) बैंक से ओवर ड्राफ्ट	10,000.00	-	
छ) बैंकों से नकद उधार	30,000.00	-	
परिसंपत्ति पक्षः ऋणों एवं अग्रिमों का अलग-अलग प्राप्य बिल सहित ब्योरा			
क) रक्षित	1,143,660.20		
ख) अरक्षित	2,066,249.90		
पट्टे पर सभी परिसंपत्तियों, किराए पर स्टॉक एवं ऋण तथा अग्रिम के कर्जदारों का समूह-वार वर्गीकरण।			
		निवल राशि का प्रावधान	
श्रेणी	**रक्षित**	**अरक्षित**	**जोड़**
1. संबद्ध पार्टियां	-	-	-
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) समान ग्रुप की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबद्ध पार्टियां			
2. संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां	1,143,660.20	2,066,249.90	3,209,910.10
जोड़	1,143,660.20	2,066,249.90	3,209,910.10
अन्य सूचना			
विवरण			**राशि**
(i) सकल निष्क्रिय परिसंपत्तियां			
क) संबद्ध पार्टियां			-
ख) संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां			61,971.20
(ii) निवल निष्क्रिय परिसंपत्तियां			
क) संबद्ध पार्टियां			-
ख) संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां			57,796.25
(iii) कर्ज के बदले प्राप्त परिसंपत्तियां			-

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव वधावन
भागीदार
सदस्य सं.91007

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के.लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई,2007

+ÉÉiàÉ¶ÉÉBÉiÉ

BÉÉÉ ãÉ +ÉÉãÉÉBÉE

BÉE® ãÉ àÉ]~É

àÉ भविष्य

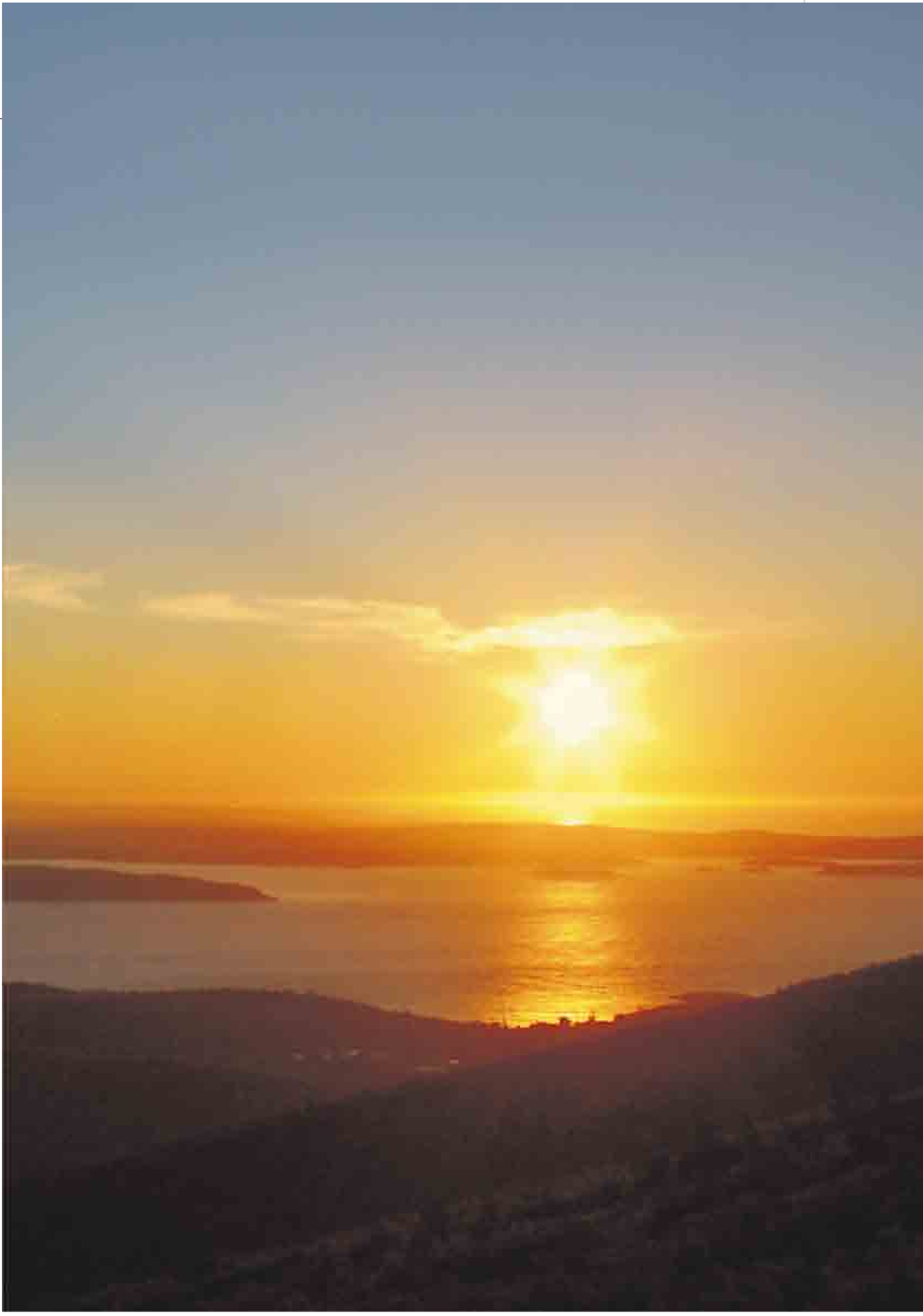

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2007 के संलग्न तुलन पत्र और 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखा परीक्षा में आश्वस्त करें कि हमारे वित्तीय विवरण अयथार्थता से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल में लाए जा रहे लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन, समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल होते हैं।

   हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय का उपयुक्त आधार है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार निगम पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों से आगे हम यह सूचित करते हैं किः-

4.1 38.50 लाख रूपए की परिसंपत्तियों के बदले में अंशतः प्रतिभूत, 14168.17 करोड़ रूपए की राशि बांड जारी कर जुटाने के परिणामस्वरूप आरबीआई के उपयुक्त अनुमोदन/पंजीकरण के बिना सार्वजनिक निवेश जुटाना, जोकि उनके हाल के दिनांक 6 मार्च, 2007 के पत्र द्वारा सूचित के अनुसार बांडधारकों के न्यासी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है।

4.2 अनुसूची - 18 में निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः-

4.2.1 कंपनी के नाम में भूमि-फ्रीहोल्ड और भवन शीर्ष के अधीन शामिल 6172.83 लाख रूपए (गत वर्ष 5754.27 लाख रूपए) की राशि की कुछ संपत्तियों का पंजीकरण न कराए जाने से संबंधित टिप्पणी संख्या 7

4.2.2 कुछेक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों की ओर अतिदेय ऋणों के संबंध में टिप्पणी सं. 8

4.2.3 सरकार द्वारा अधिकारियों के वेतनमान अनुमोदित न किए जाने के संबंध में टिप्पणी सं.12

4.2.4 एजी एंड एसपी योजना के अधीन प्राप्त ब्याज आर्थिक-सहायता और सांकेतिक तथा वास्तविक दरों के बीच अंतर निर्धारित न करने संबंधी टिप्पणी सं. 25

4.2.5 लेखा नीति संख्या 2.7 के अनुसार मान्य आय के संबंध में टिप्पणी संख्या 31

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 4.1 एवं 4.2 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अलावा हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैंः-

i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ii) हमारी राय में और जहां तक इन पुस्तकों की जांच से पता चलता है कि कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता और कैश फ्लो विवरण निगम की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं;

iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में दिए गए लेखा मानकों के अनुसार हैं;

v) भारत सरकार, कंपनी मामले मंत्रालय की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएलV द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

vi) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार आवश्यक सूचनाएं अपेक्षित तरीके से तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सही और वास्तविक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नलिखित बातें इन पर लागू हैं :

(क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप;

(ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; और

(ग) कैश फ्लो विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्य संख्या 91007

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2007

डिस्क्लेमर
''कंपनी ने बाजार की शर्तों और अन्य कारणों के अध्याधीन अपने इक्विटी शेयर का सार्वजनिक इश्यू प्रस्तावित किया है और रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा तैयार कर सेबी के पास फाईल कर दिया है। रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा सेबी की वेबसाईट www.sebi.gov.in और संबंधित बीआरएलएम की वेबसाईटों www.investmart.in, www.icicisecurities.com और www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखे कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस के मसौदे में ''रिस्क फैक्टर'' शीर्षक भाग पढ़ लें।''
यह दस्तावेज भारत में प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राज्य में जारी न किया जाए। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य में बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारी कर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है और संयुक्त राज्य में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी
अधिनियम, 1940 यथा संशोधित के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए प्रतिभूतियां तथा इस घोषणा में वर्णित कोई भी प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकृत न होने की स्थिति में अथवा पंजीकरण से छूट की स्थिति में ऑफर न की जाएं अथवा बेची न जाएं।
कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 1998 को जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की दुरूस्त वित्तीय मौजूदा स्थिति के बारे में कंपनी द्वारा अभिव्यक्त विचारों अथवा किए गए आवेदनों अथवा किसी प्रकार के विवरणों की यथातथ्यता के लिए और कंपनी द्वारा निक्षेपों के भुगतान और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेवारी अथवा गारंटी नहीं लेगा।
''इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जारी नहीं किया जाएगा। यह आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है।''

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

(31 मार्च, 2007 को **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि**. के खातों के विवरण पर उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

1. अचल परिसंपत्तियों के संबंध में-

(ए) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है।

(बी) 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, तथापि कोई मिलान नहीं किया गया। ऐसा मिलान न होने की स्थिति में हम विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(सी) वर्ष के दौरान कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा हिस्सा नहीं बेचा है।

2. मालसूची के संबंध में :

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन दिए गए अथवा प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में:-

(ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई जमानती या गैर जमानती ऋण प्रदान नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तद्नुसार, आदेश के पैराग्राफ 4(iii) (च) और (छ) लागू नहीं हैं।

4. इसके आंतरिक नियंत्रण के संबंध में:-

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों में, जहां पर आंतरिक नियंत्रण मजबूत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि वित्तीय लेखाकरण; दर्जा निर्धारण सेवा नीतियों से संबंधित ऋण मूल्य निर्धारण; उचित ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित करते हुए टी एंड डी उधार मानकों की समीक्षा करना; ऋण दस्तावेजों की स्थिति के संबंध में नियंत्रण रिकार्ड अपनाना; विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों का संवितरण एवं उपयोग; दिए गए ऋणों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के लिए खोज रिपोर्ट प्राप्त करने सहित विभिन्न एसईबी/डिस्कॉम/ ट्रांसकोस/जेनकोस को प्रदत्त ऋण का परिवीक्षण।

5. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन कारोबार के संबंध में:-

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई कारोबार संबंधी लेन-देन नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए एवं 58एए और कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियमावली, 1975 के अधीन जनता से इसके निक्षेपों के संबंध में:-

कंपनी ने बांड जारी किए हैं, जोकि अंशतः अरक्षित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1(खख) के साथ पठित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निक्षेप स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक निक्षेप की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि हमें स्पष्ट किया गया है, आरईसी ने निक्षेप स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी से बदलकर कंपनी को निक्षेप स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी का दर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।

7. इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में:-

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की अनुमोदित लेखा परीक्षा योजना के अनुसार समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक लेखा परीक्षा अनुमोदित योजना के अनुसार की गई और इसमें पूर्व वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि के मद्देनजर और लेखाकरण संबंधी कमियों को शामिल करते हुए जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अधीन इसके लागत रिकार्ड के संबंध में:-

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

9. इसकी सांविधिक देयताओं के संबंध में:-

(ए) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपर्युक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है, सिवाए निम्नलिखित के:

(i) पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा अंतरणीय कुछ बांडों के संबंध में अर्जित ब्याज पर टीडीएस की कटौती न करना और परिणामतः जमा न कराना।

(ii) बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर की 87.25 लाख रूपए की राशि (अब जमा करा दी गई है)।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, धन कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31 मार्च, 2007 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो, सिवाए निम्नलिखित केः-

(सी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थीं।

10. कंपनी की संचयी हानियों और नकद हानियों के संबंध मेंः-

कंपनी को कोई संचयी हानि नहीं हुई। हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई ।

11. वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को देय चुकौतियों में इसकी चूक के संबंध मेंः-

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांड धारियों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।

12. इसके प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध मेंः-

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने शेयर, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं की।

13. चिट फंड/निधि कंपनी पर लागू विशेष कानून के संबंध मेंः-

हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

14. शेयर सिक्युरिटी, डिबेंचर और अन्य निवेश में कार्य/व्यापार करने के संबंध मेंः-

हमारी राय में कंपनी ने शेयर, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन-देन या व्यापार नहीं किया। तद्नुसार, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xiv) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

15. अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए इसकी गारंटी के संबंध मेंः-

हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. सावधिक ऋण के इसके द्वारा अंतिम उपयोग के संबंध मेंः-

हमारी राय में जिस प्रयोजन के लिए सावधि ऋण लिया गया उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया।

17. इसके द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध मेंः-

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि के लिए जुटाए गए ऋण को मुख्यतया दीर्घ अवधि नियोजन/निवेश के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। तथापि, प्रदान किए गए/प्राप्त किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के अवशिष्ट परिपक्वता पैटर्न का विवरण उपलब्ध न होने के कारण हम इसके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

18. इसके शेयरों के अधिमान्य आबंटन के संबंध मेंः-

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को अधिमान्य शेयर आबंटित नहीं किए हैं।

19. जारी डिबेंचरों के लिए इसकी प्रतिभूति के गठन के संबंध मेंः-

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की 38.50 लाख रूपए खाता मूल्य की मुंबई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर विधिक बंधक के रूप में प्रतिभूतियों को छोड़कर कंपनी द्वारा डिबेंचरों के लिए कोई प्रतिभूतियां सृजित नहीं की गई हैं। कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बांड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की राशि के बाबत में 14168.17 लाख रूपए प्रतिभूतियां सृजित की गई हैं।

20. सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि के इसके अंतिम प्रयोग के संबंध मेंः-

कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई है।

21. कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा इसकी धोखाधड़ी के संबंध मेंः-

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा की गई किसी धोखाधड़ी की घटना ध्यान में नहीं आई और न ही उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2007

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्य संख्या 91007

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.,
स्कोप कांप्लेक्स,
कोर-4, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 द्वारा अपेक्षित के अनुसार निगम पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैः-

1. निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए में प्रावधान के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.2.1998 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण संख्या 14000011 है।

2. दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के अनुसार एनबीएफसी विनियमों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनियों को नकदी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों के अनुसरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सार्वजनिक निक्षेपों को स्वीकार करने एवं विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है।

3. कंपनी ने वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना सार्वजनिक निक्षेप प्राप्त किए। तथापि सार्वजनिक निक्षेप प्राप्त न करने वाले एनबीएफसी से सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने वाली एन बी एफ सी में परिवर्तित करने के लिए 23.2.2006 को आयोजित निदेशक मंडल की 299वीं बैठक में सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने, के संबंध में संकल्प पारित किया है और तद्नुसार विद्युत मंत्रालय के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक से तत्संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जोकि मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है।

4. दिनांक 31.3.2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित एनबीएफसी पर लागू लेखाकरण मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उससे संबंद्ध अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन आय निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुसार है।

कृते जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2007

(राजीव वधावन)
भागीदार
सदस्य संख्या 91007

|É£ÉÉ´ÉÉ cÉ ´ÉcÉ

+ÉÉãÉÉBÉE

VÉMÉàÉMÉ BÉE® nÉ

VÉÉ +ÉÉ¡àÉãÉÉBÉE

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों पर आरईसी प्रबंधन का पैरावार उत्तर

क्रम सं.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
4.1	38.50लाख रूपए मूल्य की परिसंपत्तियों के बदले में अंशतः रक्षित, 14168.17 करोड़ रूपए की राशि के बांड जारी करके राशि जुटाने के परिणामस्वरूप आरबीआई के उपयुक्त अनुमोदन/पंजीकरण के बिना सार्वजनिक जमा राशियां जुटाना, जैसाकि उनके दिनांक 6 मार्च, 2007 के पत्र द्वारा सूचित अनुसार बांडधारकों के न्यासी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हैं,	कंपनी ने निक्षेप स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी से निक्षेप स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण का परिवर्तन करने के लिए आरबीआई से संपर्क करने हेतु विद्युत मंत्रालय को आवेदन किया है।
1(बी)	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है; तथापि, कोई मिलान नहीं किया गया है। ऐसा मिलान न किए जाने की स्थिति में हम किसी विसंगति, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	अचल परिसंपत्तियों का महत्वपूर्ण मूल्य (80% से अधिक) भूमि और भवन के रूप में है, जोकि पहचान योग्य हैं और किसी विसंगति का मिलान करने की जरूरत नहीं है। शेष परिसत्तियों जैसे कार्यालय उपकरण और फर्नीचर जुड़नारों जैसी शेष परिसंपत्तियों का मिलान किया जाएगा।
4.	कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप हैं। तथापि, वित्तीय लेखाकरण; दर्जा निर्धारण संबद्ध नीतियों से संबंधित ऋण मूल्य निर्धारण; उचित ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित करते हुए टी एंड डी उधार मानदंडों की समीक्षा; ऋण दस्तावेजों की स्थिति के संबंध में नियंत्रण रिकार्ड अपनाने; विभिन्न स्कीमों के अधीन प्राप्त अनुदानों की प्राप्ति, संवितरण और उपयोग; विभिन्न एसईबी/डिस्कॉम्स/ट्रांसकोस/जीईएनसीओएस को प्रदत्त ऋणों के बदले में एकत्रित प्रभारों की खोज रिपोर्टों सहित प्रदत्त ऋणों के परिवीक्षण जैसे कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।	कंपनी ईआरपी अनुप्रयोग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है और प्रणाली में आवश्यक नियंत्रण पद्धतियां विकसित की जा रही हैं।टी एंड डी मूल्यांकन मानदंड चालू वर्ष में अपनाए गए हैं और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	निगम का लेखापरीक्षा विभाग अपने मुख्यालय में विभिन्न विभागों की और परियोजना कार्यालयों की अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक लेखापरीक्षा को कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि के मद्देनजर और लेखाकरण में कमियों को शामिल करते हुए जोखिम आधारित लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करके और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी के व्यवसाय में वृद्धि और कंपनी की जरूरतों के अनुरूप जोखिम आधारित लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं।
9(ए)	कंपनी द्वारा भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त पदाधिकारी के पास नियमित रूप से जमा किया जा रहा है, सिवाय निम्नलिखित केः (i) पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय कुछ बांडों के संबंध में अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कटौती (टीडीएस) न किया जाना और उसे जमा न किया जाना। (ii) बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर की राशि 87.25 लाख रूपए (अब जमा करा दी गई है)।	(i) ऐसा सामान्य व्यवसाय व्यवहार एवं ऐसे ही मामले में आईटीएटी मुंबई के निर्णय के अनुरूप है (ii) अब जमा करा दी गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	**प्रशासिनक खर्च (अनुसूची 15): 1435.04 लाख रूपए** आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के कारण कंपनी निधियां प्राप्त कर राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों को संवितरित करती है। कंपनी ने इसके द्वारा स्कीम पर किए गए प्रशासनिक व्यय को इसके अंतर्गत प्राप्त निधियों पर ब्याज के साथ प्रतिसंतुलित कर दिया है तथा अधिक व्यय को सरकार के अनुमोदन के बिना भारत सरकार से वसूली योग्य के रूप में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप 6.44 करोड रूपए के कम व्यय और 4.14 करोड़ रूपए की कम अनुदान राशि का भारत सरकार से वसूली योग्य व्यय के रूप में 2.30 करोड़ रूपए के अधिक व्यय के उल्लेख किया गया है।	भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 2005 के का.ज्ञा. सं. 44/19/2004-डी(आरई) के खंड 12 के अनुसार, योजना के अंतर्गत कुल आर्थिक-सहायता का एक प्रतिशत तक प्रशासनिक व्ययों सहित कार्यक्रम के संबद्ध निर्माण कार्यों/प्रयासों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तदनुसार, व्यय का प्रतिसंतुलित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं सही है। तथापि, विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है और उनसे निर्णय की प्रतीक्षा है। विद्युत मंत्रालय के निर्णय अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2.	**कर पश्चात लाभ 66026.09 लाख रूपए** अप्रेल, 2001 से मार्च, 2006 के बीच की अवधि के दौरान विशेष प्ररक्षित निधि को अंतरित राशियों के लिए 448.17 करोड़ रूपए की आस्थगित कर देयता को लाभ से वसूल करने की बजाय सामान्य प्रारक्षित निधि से लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य प्रारक्षित निधि में कम होने का और कर-पश्चात लाभ के रूप में 448.17 करोड़ रूपए अधिक का उल्लेख किया गया है।	कंपनी का यह मत है कि लेखाकरण कार्रवाई सही है और आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर आस्थगित कर " संबंधी लेखा मानक-22 का अनुपालन किया गया है
सी 3	**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी** लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 4.2 में कंपनी के खातों पर कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है और यह उन पर उनकी सहमति अथवा असहमति को व्यक्त नही करता।	कोई टिप्पणी नहीं
4	लेखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 4.2.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अपंजीकृत संपत्तियों के मूल्य का 6172.83 लाख रूपए के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि खातों पर टिप्पणी सं. 7 में इसे 4192.83 लाख रूपए दर्शाया गया है।	खातों की टिप्पणियों में उल्लिखित 4192.83 लाख रूपए का राशि सही है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आरईसी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता की भावना बनाए रखने के लिए आरईसी ने अपनी वेबसाईट 'www.recindia.nic.in' को पुनः तैयार किया है जहां निगम के प्रचालनों से संबंधित व्यापक सूचना प्रकाशित की गई है। वेबसाईट में आरटीआई पर पोर्टल भी है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1(बी) के अनुसार अपेक्षित 17 मदों पर सूचना निहित हैं। निगम में एक स्वतंत्र आरटीआई एकक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित और आवेदकों को सूचना प्रदान कर समन्वय करता है। आरटीआई एकक के अतिरिक्त निगम में निम्नलिखित आरटीआई तंत्र का सृजन किया गया है:-

आरईसी में आरटीआई तंत्र

(1) कारपोरेट कार्यालय :

(ए) विभागीय अपील अधिकारी श्री रमा रमन कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण)	(बी) सार्वजनिक सूचना अधिकारी श्री बी. आर. रघुनंदन महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव	(सी) सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी श्री ए. के. अरोड़ा मुख्य महाप्रबंधक (आरटीआई/संसद एवं समन्वय)

(1) आरईसी आंचलिक/परियोजना कार्यालय - सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्व/श्री	आंचलिक/ परियोजना कार्यालय
1.	रमेश कोडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक	हैदराबाद
2.	जी. सी. बरठाकुर, मुख्य परियोजना प्रबंधक	गुवाहाटी
3.	फजल अहमद, मुख्य परियोजना प्रबंधक	पटना
4.	जी. एस. भाटी, मुख्य परियोजना प्रबंधक	वड़ोदरा
5.	वी. के. शर्मा, मुख्य परियोजना प्रबंधक	पंचकुला
6.	वी. के. शर्मा, मुख्य परियोजना प्रबंधक	शिमला
7.	एच. एस. काला, मुख्य परियोजना प्रबंधक	जम्मू
8.	आर. अनबालगन, मुख्य परियोजना प्रबंधक	बंगलौर
9.	यू. वी. राघवन, मुख्य परियोजना प्रबंधक	तिरूवनंतपुरम

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्व/श्री	आंचलिक/ परियोजना कार्यालय
10.	टी. एस. सी. बोस, आंचलिक प्रबंधक	जबलपुर
11.	आर. के. अरोड़ा, आंचलिक प्रबंधक	मुंबई
12.	एस. आईच, मुख्य परियोजना प्रबंधक	शिलांग
13.	एस. अहमद, मुख्य परियोजना प्रबंधक	भुवनेश्वर
14.	ए. वेलूचमि, मुख्य परियोजना प्रबंधक	चेन्नई
15.	सुनील कुमार, आंचलिक प्रबंधक	लखनऊ
16.	हर्ष बवेजा, मुख्य परियोजना प्रबंधक	जयपुर
17.	एस. घोष दस्तीदार, आंचलिक प्रबंधक	कोलकाता

आरईसी में प्राप्त आरटीआई आवेदनों का स्तर

1.4.06 से 1.11.2007

	ब्यौरे	प्राप्त आवेदन	निपटाई गई सूचना
i.	कुल प्राप्त आरटीआई आवेदन	83	82*
	i) कार्मिक मामले	40	39*
	ii) प्रशासनिक मामले	15	15
	iii) बांड/वित्त	12	12
	iv) आरजीजीवीवाई/पारेषण एवं वितरण/जनरेशन	16	16
ii.	अपील अधिकारी के पास फाईल की गई अपीलें	14	14
iii.	**सीआईसी में फाईल की गई अपीलें**	शून्य	शून्य

* 31.10.07 को प्राप्त एक आवेदन प्रक्रियाधीन है।

{ÉBÉBÉE <®ÉnÉ BÉEÉ

¡ÉÉBÉE¡É ºÉ

cÉÉºÉãÉ c +ÉÉu¡ÉÉªÉ

{ÉÉ®hÉÉàÉ

प्रबंधन दल

श्री अरुण कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. डौली चक्रबर्ती
कार्यकारी निदेशक
(का.प्ला./का.वि./आं.ले.प./आईसी एंड डी)

श्री के. विद्यासागर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री रमा रमन
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री एस.के. अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री वी.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री बी. आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक
(विधि) एवं कंपनी सचिव

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (वित्त आई पी ओ)

श्री गुलजीत कपूर
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री पी.जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(का.वि./प्रशा./आई.टी.)

श्री विजय लखनपाल,
महाप्रबंधक
(आर्थिक विश्लेषक)

श्री जोगेन्दर सिंह,
महाप्रबंधक
(गुणवत्ता नियंत्रण)

श्री सुबोध गर्ग,
महाप्रबंधक
(डीडीजी)

श्री डी.एस. आहलुवालिया,
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल,
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी,
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जनरेशन)

श्री सुनील कुमार,
आंचलिक प्रबंधक
(**पूर्व मध्य अंचल**)

श्री जे. कल्याण चक्रवर्ती,
आंचलिक प्रबंधक
(**दक्षिणी अंचल**)

श्री राकेश अरोड़ा,
आंचलिक प्रबंधक
(**पश्चिमी अंचल**)

श्री टी.एस.सी. बोस,
आंचलिक प्रबंधक
(**मध्य अंचल**)

श्री जी. एस. घोष, दस्तीदार,
आंचलिक प्रबंधक
(**पूर्वी अंचल**)

ºÉ£ÉÉ Én¶ÉÉ+ÉÉ
àÉ {ÉÉãÉ c

BÉªÉÉÉBÉE càÉ ç,
‘‘|ÉBÉÉÉ¶É’’

vkjbl h dk;ky;k d s ir s

Ø- l-	jkT;@l?k 'kkfl r {ks=k	irk	VsyhiQksu u-	rkj dk irk ,o iQSDl u-
1	2	3	4	5
	dkjiksjsV vkfiQl	dksj-4, Ldksi dkWEIysDl 7 yksnh jksM] ub fnYyh-110003	24365161	jsDVd iQSDl% 011-24360644 b&esy% reccorp@recl.nic.in
	vkpfyd dk;kZy;			
Ø- l-	vkpfyd@ifj;kstuk dk;kZy; dk vpy@ LFkku@ vkpfyd dk;kZy;@ifj;kstuk dk;kZy; d s {ks=kkf/kdkj d s vrxr jkT;@l?k'kkfl r {ks=k	irk	VsyhiQksu u-	rkj dk irk ,o iQSDl u-
1.	nf{k.kh vpy gnjkckn vk/ in'k] djy] ikfMpsjh ,o rfeyukM	f'kojkeiYyh] ikLV ,uih,] vkjke?kj d s fudV] u'kuy gkbo u- 7, gnjkckn-500052	24014034 24014420	fljsDVd iQSDl% 040-24014235, 040-24015896 b&esy% reclhyd@sancharnet.in
2.	iwoh vpy dksydkrk if'pe caxky] mM+hlk&iwoh jkT;] vMeku ,o fudksckj }hi leg] fl fDde vkj >kj[kM	vkbZ lh ,e , vkj Mh fcfYMx] 7ok ry] Cykd 14@2 lh vkbZ Vh Ldhe&VII(,e) vYVkMxk] dksydkrk&700067	23566989 24243637 23567017 23567018	iksjsDVd iQSDl: 033-23566991 b&esy: recpokol@vsnl.net rural652@dataone.in zmkolcutta@red.nic.in
3.	iou e/; vpy y[kuÅ fcgkj] mÙkjkapy] mÙkj in'k	19/8, bfnjk uxj foLrkj] y[kuÅ] fjx jksM] y[kuÅ-226016	2716324 2717376 2716446	iQSDl: 0522-2716815 b&esy: recuppo@yahoo.co.in
4.	if'peh vpy eqcbZ egkjk"V] dukVd] xksok] neu ,o n;] xtjkr] nknj ,o uxj goyh	feÙky Vkoj] 51-ch, ikpok ry] ujheu IokbV] eqcbZ-400021	22831004 22830985 22853895 22833055	ikjsDVd iQSDl: 022-22831004 b&esy porecmum@bom4.vsnl.net.in recmumbai@eth.net
5.	mÙkjh vpy ub fnYyh gfj;k.kk] fnYyh] jktLFkku] tEew ,o d'ehj] itkc] fgekpy in'k	dksj-4, Ldksi dkWEIysDl] 7, yksnh jksM] ub fnYyh-110003	24365161	jsDVd iQSDl% 011-24360644 b&esy% reccorp@recl.nic.in
6.	e/; vpy tcyiqj e/; in'k] NÙkhlx<] mMhlk	tMh, fcfYMx] enu egy ukxij jksM] tcyiqj-482001	2424696 2423994	jDik iQSDl% 0761-2671124 b&esy% recjbp@yahoo.com rec_jabalpur @sancharnet.in

Ø- l-	jkT;@l?k 'kkflr {ks=k	irk	VyhiQksu u-	rkj dk irk ,o iQDl u-
1	2	3	4	5
	परियोजना कार्यालय			
1.	vkèk in'k	f'kojkeiYyh] ikLV ,uih,] vkjke?kj d fudV] u'kuy gkbo u- 7, gnjkckn-500052	24014034 24014420 27790721	iQDl% 040-24014235, 040-24015896 b&ey% reclhyd@sancharnet.in cire@sancharnet.in
2.	vle] uxkyM v#.kkpy in'k	^deky ;k** (iFke ,o r rh; ry)] t ukjxh frfu;kyh vkj-th- c:vk jkM] पिनाकी पथ, (बाई लेन नं. 7) ik-vk- flyi[kjh] xokgkVh-781003	 2450485 2454702	fjDik iQDl% 0361-2454702 b&ey% cpmpog@sancharnet.in cpmpog@sify.com
3.	fcgkj	^ek; ykd* dkIyDl] Cykd&lh prFk ry] u;k Mkd cxyk jkM iVuk-800001	2221131 2224596 2520023 (fu.)	jDik iQDl% 0612-2224596 b&ey : recpatna@vsnl.net pat_recl@dataone.in
4.	xtjkr] nknj o uxj goyh	IykV u- 585, Vh-ih- Ldhe u- 2, if'V dkIyDl d ihN] oh-,e-lh- okM vkfiQl d lkeu vkRe T;kfr vkJe jkM] lHkkuijk] oMknjk-390023	2386760 2397487 2252473 (fu.)	jDik iQDl% 0265-2397652 iQu 2386760, 2397487 b&ey : recbaroda@eth.net
5.	gfj;k.kk] fnYyh vkj pMhx<	c u- 7-8, lDVj-2 ipdyk-134112	2563864 2563863 2563822 4621148 (fu-)	jDik iQDl% 0172-2567692 b&ey : recpochd@eth.net
6.	fgekpy in'k	ifMr ineno def'k;y dkIyDl iQl-II, iFke ry] fn fjt] f'keyk-171001	2653411 2804077	jDik iQDl : 0177-2804077 b&ey : recsml@emmtel.com
7.	tEe ,o d'ehj	157-,] xk/h uxj vIljk fluek d ihN tEe-180004	2450868 2566701 (fu)	jDik iQDl: 0191-2450868 b&ey : recpojat@yahoo.com rizvi55@rediffmail.com
8.	dukVd	u-1/5, vylj jkM cxykj-560042	25598244 25598243	ikjfDVd iQDl: 080-25598243 b&ey : ruralblr@eth.net
9.	djy ,o y{k}hi	0-5, prFk ry] ^^liQkfy;e** def'k;y dkIyDl fVMk Hkou] iyk;e] fr#ourije-695034	2328662 2328579 6783208 (fu)	jDik iQDl% 0471-2328579 b&ey : rectvm@eth.net rectvm@md5.vsnl.net.in
10.	eè; in'k	tMh, fcfYMx] enu egy ukxij jkM] tcyij-482001	2424696 2423994	jDik iQDl% 0761-2671124 b&ey% recjbp@yahoo.com rec_jabalpur @sancharnet.in

Ø- l-	jkT;@l?k ´kkfl r {k=k	irk	VyhiQksu u-	rkj dk irk ,o iQDl u-
1	2	3	4	5
11.	egkjk"V] xksok neu o nho	feÙkky Vkoj] 51-ch, ikpok ry] ujheu IokbV] ecb-400021	22831004 22830985 22853895 22833055	ikjfDVd iQDl: 022-22831004 b&ey: porecmum@bom4.vsnl.net.in recmumbai@eth.net
12.	e?kky;, ef.kij ,o fetkje	fjukMh vkYM tkckb jkM] ykpfe;j] f'kykx-793001	2210190 2225687	fjik iQDl: 0364-2225687 b&ey: recl_shillong@rediffmail.com
13.	mMhlk	nhu n;ky Hkou] ikpok ry] v'kkd uxj] tuiFk] Hkou'oj-751009	2536669 2536649 2393206	fjik iQDl: 0674-2536669 b&ey: repobbsr@yahoo.co.in
14.	jktLFkku	t-4-,, >kykuk Mxjh] bLVhV;'kuy ,fj;k t;ij-302004	2706986 2707840 2700161 2700162	ikjfDVd iQDl: 0141-2706986 b&ey: recpojpr@bhaskarmail.com recpojpr@rediffmail.com
15.	rfeyukM ,o ikfMpjh	u- 12 ,o 13 Vh-,u-,p-ch- dkIyDl] yt pp jkM] 180, (yt dkuj)] ekbykikj] pUu-600004	24672376 24670595 24987960	ikjfDVd iQDl: 044-24670595 b&ey: cpmchennai@yahoo.com
16.	mÙkj in'k	19/8, bfnjk uxj foLrkj] fjx jkM] y[kuÅ-226016	2716324 2717376 2716446 23311787 (fu)	fjik iQDl: 0522-2716815 b&ey: recuppo@yahoo.co.in
17.	if'pe cxky] f=kijk] flfDde] vMeku ,o fudkckj }hi leg	vkjblh ,e , vkj Mh fcfYMx] 7ok ry] Cykd 14@2 lh vkb Vh Ldhe&VII(,e) vYVkMxk] dkydkrk&700067	23566989 24243637 23567017 23567018	ikjfDVd iQDl: 033-23566991 b&ey: recpokol@vsnl.net
if'k{k.k dn				
dnh; xke fo|rhdj.k lLFkku (lk;j)		f'kojkeiYyh] ikLV ,uih,] vkjke?kj d fudV] u'kuy gkbo u-7, gnjkckn-500052	24017252 24018583 24015901	fljfDVd iQDl: 040-24015896 b&ey: cire@sancharnet.in
mi dk;ky;				
fcgkj		,&101 ,o Mh&104] vkeJh bUDyo] yk;kyk Ldy d fudV] ghu] jkph-834003	0651-2481372 9431815522	b&ey: v2vltd2003@sify.com rec_ranchi@yahoo.com

डिस्क्लेमर

''कंपनी ने बाजार की शर्तों और अन्य कारणों के अध्याधीन अपने इक्विटी शेयर का सार्वजनिक इश्यू प्रस्तावित किया है और रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा तैयार कर सेबी के पास फाईल कर दिया है। रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस का मसौदा सेबी की वेबसाईट www.sebi.gov.in और संबंधित बीआरएलएम की वेबसाईटों www.investmart.in, www.icicisecurities.com और www.sbicaps.com पर उपलब्ध है। निवेशक ध्यान रखे कि इक्विटी शेयरों में निवेश करना अत्यंत जोखिम पूर्ण हो सकता है और इससे संबंधित विवरणों के लिए उपर्युक्त रेड हैरिंग प्रॉस्पैक्टस के मसौदे में ''रिस्क फैक्टर'' शीर्षक भाग पढ़ लें।''

यह दस्तावेज भारत में प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राज्य में जारी न किया जाए। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य में बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित अथवा इससे छूट के तहत पंजीकरण न होने पर प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य में नहीं बेची जा सकती। जारी कर्ता और प्रतिभूति बिक्री होल्डर ने संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933, यथा संशोधित, के तहत किसी प्रतिभूति को रजिस्टर नहीं किया है और न ही करना चाहता है और संयुक्त राज्य में जनता को कोई प्रतिभूति देने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी को संयुक्त राज्य कंपनी अधिनियम, 1940 यथा संशोधित के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और निवेशक इस अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं होंगे। संयुक्त राज्य के किसी व्यक्ति से कोई धन, प्रतिभूति अथवा अन्य कारणों से नहीं किया जाएगा अगर इन लिखित दस्तावेजों में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में इन्हे भेजा जाता है, तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य सहित किसी भी क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए प्रतिभूतियां तथा इस घोषणा में वर्णित कोई भी प्रतिभूतियां संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकृत न होने की स्थिति में अथवा पंजीकरण से छूट की स्थिति में ऑफर न की जाएं अथवा बेची न जाएं।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आईए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी 1998 को जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की दुरूस्त वित्तीय मौजूदा स्थिति के बारे में कंपनी द्वारा अभिव्यक्त विचारों अथवा किए गए आवेदनों अथवा किसी प्रकार के विवरणों की यथातथ्यता के लिए और कंपनी द्वारा निक्षेपों के भुगतान और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेवारी अथवा गारंटी नहीं लेगा।

''इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जारी नहीं किया जाएगा। यह आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में वितरण के लिए नहीं है।''

आर ई सी

असीमित ऊर्जा, अपरिमित संभावनाएं

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003

फोन: 24365161, फैक्स: 24360644, ई-मेल: reccorp@recl.nic.in वेबसाईट: www.recindia.nic.in